वर्ष - 27 अंक 106 जनवरी-मार्च, 2009

वर्ष - 27 अंक 106 जनवरी-मार्च, 2009

पुलिस विज्ञान

(त्रैमासिक पत्रिका)

जनवरी-मार्च, 2009

सलाहकार समिति

के. कोशी

महानिदेशक

रमेशचंद्र अरोड़ा

निदेशक (अनु. एवं वि.)

डा. बद्री विशाल त्रिवेदी

उप निदेशक

संपादक : **दिवाकर शर्मा**

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

ब्लाक-11, 3 एवं 4 मंजिल

सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड

नई दिल्ली-110003

संपादकीय

पुलिस विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका का जनवरी-मार्च, 2009 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान व अन्य संबंधित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अतः अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्य प्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावनाओं से संबंधित कुछ ओजस्वी विचार तथा प्रेस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिस-कर्मी के साथ सभी वर्ग के लिए उपयोगी होते हैं।

इस अंक में इस बार पुलिस-कर्मियों के लिए **पुलिस और ईमानदारी, पुलिस अन्वेषण के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके, एक विश्लेषण, अपराधी, अभिकर्ता और पुलिस नवीन समाजशास्त्रीय अवलोकन, अक्षमता और अपराध के बीच फंसी आम औरतें, पार्किंग-समस्या नहीं समाधान है, विधि प्रवर्तकों से संबंधित आचार संहिता, बालिका यौन शोषण** से संबंधित लेख भी हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे। आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

दिवाकर शर्मा

संपादक

वर्ष - 26 **अंक 106** **जनवरी-मार्च, 2009**

अनुक्रम

पुलिस और ईमानदारी
• *इन्दराज सिंह* 7

पुलिस अन्वेषण के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके, एक विश्लेषण
• *उमेश कुमार सिंह* 15

अपराधी, अभिकर्ता और पुलिस नवीन समाजशास्त्रीय अवलोकन
• *श्री संजय मल्होत्रा* 24

अक्षमता और अपराध के बीच फंसी आम औरतें
• *यतीश मिश्र* 31

"पार्किंग-समस्या नहीं समाधान है"
• *योगराज सिंह* 39

विधि प्रवर्तकों से संबंधित आचार संहिता
• *रजनी कपूर* 43

बालिका यौन शोषण
• *डा. जयश्री एस. भट्ट* 54

• **निदेशक (अनु एवं वि.) की कलम से** 65
39 वीं पुलिस साइंस कांग्रेस

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम. ज़ैड. खान, नई दिल्ली
प्रो. एस.पी.श्रीवास्तव, लखनऊ
श्री एस.वी.एम त्रिपाठी, लखनऊ
प्रो. बलराज चौहान, भोपाल
प्रो. अरुणा भारद्वाज, नई दिल्ली
प्रो. जे.डी. शर्मा, सागर, (म.प्र.)
प्रो. स्नेहलता टंडन, नई दिल्ली
डा. दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल
प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू
डा. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ
डा. अरविंद तिवारी, मुंबई
डा. उपनीत लल्ली, चंडीगढ़
श्री एस.पी. सिंह पुंडीर, लखनऊ
श्री पी. डी. वर्मा, छत्तीसगढ़
श्री वी.वी.सरदाना, फरीदाबाद
श्री सुनील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

कवर डिजायन : राहुल कुमार

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : रचना इंटरप्राइजिज, वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

पुलिस और ईमानदारी

इन्दराज सिंह,

समादेष्टा 3 वाहिनी सी सु बल
अजनाला, अमृतसर (पंजाब)
मोबा. 09417003264

भारत एक विकाशील देश है। भारतीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर, देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर किया है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले में उन्नति के रास्ते पर कड़ी मेहनत, जोश और ईमानदारी से अग्रसर है। भारतीय विकास में समाज के प्रत्येक तंत्र की भूमिका झलकती है। चाहे वो पुलिस तंत्र ही क्यों न हो।

आदिकाल में जंगलों में अलग-अलग कबिले होते थे तथा उन कबीलों को सुरक्षित रखने, पालन-पोषण करने के लिए कबीले का मुखिया होता था। कबीलों की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों को तैनात करते थे। धीरे-धीरे विकास हुआ फिर भारत छोटे-छोटे राज्यों में बंटा जिसकी कमान राजाओं के हाथों में रही तथा इस स्तर पर राजाओं ने जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस या सेनाओं का गठन किया जिसका कार्य अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रख, जनता को भी सुरक्षा प्रदान करना था। इस काल के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश राज्य ने अपने पैर फैलाने शुरू किए तथा ब्रिटिश शासकों ने भारत में भारतीय लोगों को ही पुलिस में भर्ती कर भारतीयों पर ही जुल्म कर 200 साल तक बहुत ही सफलता से शासन किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक भारतीय पुलिसकर्मी किस जिम्मेदारी और ईमानदारी से ब्रिटिश सरकार के कार्य को सफल बनाने में पूर्ण सक्षम रहा।

आज के आधुनिक समाज में पुलिस की भूमिका दिन-प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। विकास के साथ-साथ पुलिस तंत्र को मजबूत बनाने के लिए नए हथियार, नए संचार के उपकरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए छोटी-बड़ी गाड़ियां तथा अन्य सुविधाएं भारत सरकार या राज्य सरकारों ने प्रदान की हैं और कर रही हैं। यह सही है कि इन सब के साथ-साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है तथा पुलिस के कार्य को जिम्मेदारी से निभाने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। पुलिस तंत्र जिम्मेदार और महत्वपूर्ण होने के कारण एक प्रदर्शक या बगैर भेद-भाव वाला तंत्र है। जिससे समाज के व्यक्तियों की सुरक्षा, राज्यों की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षापूर्ण रूप से सफलतापूर्वक की जा सके।

अच्छा मकान बनाने के लिए अच्छी ईंटों की आवश्यकता होती है। लेकिन केवल ईंटों से मकान नहीं बनता। उन्हें यथास्थान रखने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अन्यथा ईंट गिरकर खंडहर बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार पुलिस तन्त्र को सुरक्षित और प्रभावशाली बनाए रखने के लिए पुलिस के प्रत्येक सदस्य को अपने कार्य में ईमानदारी लाना अति महत्वपूर्ण है। वरना पुलिस तंत्र के कार्य का स्तर दिन-प्रतिदिन यूं ही गिरता रहेगा, यूं ही पूरे देश में आतंकवादी अपने कार्य को अन्जाम देते रहेंगे। यूं ही देशद्रोही भारत की सुरक्षा में सेंध लगाते रहेंगे।

भारत में अलग-अलग राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि आतंकवादी कभी भी, किसी भी समय अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं और देते आ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यों की पुलिस ईमानदारी और जिम्मेदारी से कार्य नहीं कर रही है लेकिन कहीं कोई न कोई बात है जिस कारण से कानून व्यवस्था दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है और समाज के लोग अपने आप को असुरक्षित समझने लगे हैं। जनता पुलिसजन को नैतिकता, साहस और दृढ़ता के एक प्रतीक के रूप में देखना चाहती है। जब तक ये गुण

नहीं है, पुलिसजन के लिए यह संभव नहीं हो सकेगा कि वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सके या जनता का विश्वास जीत सके।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पुलिस तंत्र में पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्य शैली के उद्देश्य के बारे में प्रकाश डालता है। जिससे कि समाज पुलिसजन को अपने कार्य पर नाकामयाबी के कारणों की जानकारी प्राप्त हो और ज्यादा पुलिसजन अपनी ड्यूटी नैतिकता, साहस और दृढ़ता से निभा सकें। जिससे राष्ट्रीय विकास और देश में शांति, आर्थिक स्थिति आदि को सुधारा जा सके। साथ ही निम्न उद्देश्यों को पूरा करता हो—

1. पुलिसजन भर्ती
2. संदिग्ध ईमानदारी के दायरे
3. संदिग्ध ईमानदारी के दुष्परिणाम
4. समस्या से निपटने के उपाय

1. पुलिसजन भर्ती : राष्ट्रीय कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को अपने-अपने पुलिसबल तैयार कर अपने-अपने राज्य की कानून व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही केंद्रीय सरकार ने भी केंद्रीय स्तर पर अलग-अलग कार्य के लिए बल खड़े किए हैं। जो जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारों की सहायता के लिए भेजे जाते हैं।

राज्य सरकारों की अलग-अलग पुलिस होने के नाते सभी राज्य भी पुलिसबल में भर्ती अपने स्तर पर ही करते हैं। समय-समय पर उम्र सीमा तक पुलिस तंत्र में कार्य करने के बाद कर्मी सेवानिर्वत हो जाते हैं लेकिन पुलिस तंत्र में प्रशिक्षित और योग्य जवान रखने के लिए पुलिस में भर्ती लगातार होती रहती है। लेकिन सामान्य जन किसी न किसी तरीके से अपने सगे संबंधियों को पुलिस तंत्र में पैसा कमाने के उद्देश्य से भर्ती कराते हैं। चाहे उन्हें इसके लिए किसी दूसरे तंत्र के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से ही सिफारिश क्यों न लगानी पड़े, यानि भर्ती होने से पहले ही वहां भ्रष्टाचार की नींव डल जाती है और भर्ती के बाद भ्रष्टाचार का चक्र चलना शुरू हो जाता है। यह भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह भ्रष्टाचार किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ड्यूटी से हटकर किसी भी रूप में फायदा पहुंचाना भी शामिल है।

पुलिसकर्मी भर्ती के दौरान पुराने दिनों में सिपाही के लिए शारीरिक गठन, साहस, सुंदरता, चरित्रवान और सिफारिश जैसी योग्याताओं को देखकर युवाओं को भर्ती किया जाता था। इन सभी बातों पर अभी भी ध्यान दिया जाता है लेकिन सिफारिश के आधार पर भर्ती पुराने समय के मुकाबले आज के आधुनिक भारत में कुछ ज्यादा ही है। इसका कारण हम सब जानते हैं। अगर भर्ती के समय ही ईमानदारी बर्ती जाए तो केवल ईमानदार युवाओं का ही चयन हो पाएगा। जिससे पुलिस तंत्र की नींव मजबूत होगी।

2. संदिग्ध ईमानदारी के दायरे : पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था—"पुलिसजनों के लिए सबसे पहली बात यह है कि उनकी ईमानदारी सर्व-श्रुत हो और ईमानदारी के बारे में सबसे मौलिक बात है आर्थिक ईमानदारी। हमें सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए, और इस सार्वजनिक जीवन में पुलिस भी शामिल है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका हमारे समूचे राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव पड़ता है। विशेषकर पुलिस को चूंकि सार्वजनिक कल्याण का संरक्षक समझा जाता है, इसलिए उनका एक विशेष उत्तरदायित्व है। मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, सीमित करने के लिए, रोकने के लिए, यह एक ऐसा कार्य है जो कभी नहीं किया जाना चाहिए, निरंतर प्रयत्न किया जाना चाहिए।

पुलिस के बारे में जनता की जो भावना है, उससे पुलिसजन के कार्य में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। यह

एक सहायक भावना होनी चाहिए लेकिन केवल एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ही जनता से सहायता प्राप्त कर सकता है। इसका बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि यदि नींव खिसक जाती है, यदि पुलिस पर जनता का विश्वास नहीं है और उस पर सभी तरह के बुरे कामों का आरोप लगाया जाता है, तब न केवल कानून और व्यवस्था के संरक्षकों की ही बदनामी होती है, बल्कि राष्ट्रीय जीवन का संपूर्ण स्तर गिर जाता है।

आज की जनता पुलिसजन को नैतिकता, साहस, और दृढ़ता के एक प्रतीक के रूप में देखना चाहती है। जनता नागरिकों द्वारा किए गए अनाचारों को सहन कर सकती है लेकिन कानून के रक्षकों द्वारा किए गए अनाचारों को नहीं। आज जनता पुलिस की विरोधी है। इस विरोधी वातावरण में पुलिस कार्मिकों को अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकना बहुत जटिल है"। संदिग्ध ईमानदारी के कारण निम्न है—

(क) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करना : प्रत्येक राज्य के क्षेत्र को पहले जौन में, फिर रेंज में और फिर पुलिस जिले स्तर पर विभाजित किया गया है। जिले का कोई भी भाग ऐसा नहीं होता जो पुलिस थाने के अधीन न हो। थानों का इलाका काफी लंबा होता है लेकिन पुलिस जन अपने इलाके में गश्त कर सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं फिर भी अपराधी अपराध करने में सफल रहते हैं। यहां तक सब ठीक है लेकिन आए दिन अखबारों से मालूम होता है कि पीड़ित पक्ष को कभी-कभी पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया जाता है। बाद में मीडिया तथा कोर्ट का सहारा लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई जाती है। जिससे सामान्यजनों का विश्वास पुलिस तंत्र से उठता जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट न लिखने के निम्न कारण है—

- अपराधी अपने इलाके में आर्थिक तथा बल की स्थिति से शक्तिशाली हो।
- पीड़ित आर्थिक और रहन-सहन के हिसाब से निम्न स्तर का हो।
- पीड़ित किसी निम्न जाति से संबंध रखता हो।
- पीड़ित किसी अल्प समुदाय से संबंध रखता हो।
- पीड़ित किसी अशिक्षित समाज से संबंध रखता हो।
- अपराधी पक्ष की रिश्तेदारी या दोस्ती पुलिस थाने के किसी पुलिस कर्मी से हो।
- थाना प्रभारी का साहसी और दृढ़ न होना।
- पुलिसकर्मी द्वारा अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जिम्मेदारी के दौरान होने वाले अपराधों का रिकार्ड निम्न स्तर का बनाए रखने के लिए अपने कार्य को उच्च कोटि का दिखाकर, समय पर या समय से पहले पदोन्नति पा सकने के लिए इत्यादि।

(ख) अनैतिक व्यवहार : पुलिसकर्मी को कानून का रखवाला कहा जाता है और कानून लागू करने के लिए तैनात किया जाता है। कानून की किताब में समाजजन के साथ अनैतिक व्यवहार करना तथा उनकी बात न सुनना, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करना, गलत तरीके से पीटना, मारना, यातनाएं देना इत्यादि मानवअधिकार के खिलाफ है। लेकिन आए दिन मीडिया के द्वारा पुलिस तंत्र के इस रूप की सच्चाई टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। जिससे पुलिसजन के साथ-साथ सामान्यजन भी अपने व्यवहार को नकारात्मक स्थिति की तरफ बदल रहे हैं। और पुलिसजन को बुरी नजर से देखते हैं। पुलिसजन के द्वारा अनैतिक व्यवहार निम्न कारणों से हो सकता है।

- कोई अपराधी बार-बार अपराध कर पुलिसजन को क्रोधित करता है तो ऐसी स्थिति में पुलिसजन की कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ अनैतिक व्यवहार की घटनाएं भी प्रकाश में आती हैं।
- पीड़ित पक्ष की पूर्ण तरह या सही तरह से बात न सुनकर गैर कानूनी पुलिस स्टेशन में बंद रख पीटना, यातनाएं देना, जिसका कारण जाति, धर्म, परस्पर संबंध तथा आर्थिक कारण और अपराधियों

की सामाजिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है।

(ग) स्थानांतरण का भय : आधुनिक भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का रूप समाप्ति की ओर अग्रसर है। इसका श्रेय समाज के व्यक्तियों को ही जाता है। संयुक्त परिवार व्यवस्था कम होने के कारण प्रत्येक पुलिसजन अपने परिवार, पत्नी तथा बच्चों को अपनी सुविधा के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र में ही रखना पसंद करते हैं। जिससे अपने परिवार की देखभाल भी भलीभांति कर सकें। इसलिए पुलिस कर्मी उसी कार्यक्षेत्र में रहने के लिए अपनी ड्यूटी को दबाव में करते हैं। स्थानांतरण के भय के कारण पुलिसकर्मी की कार्यप्रणाली कुछ ऐसी होगी—

- शक्तिशाली अपराधियों की गलत गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने पर भी कार्रवाई न करना।
- अपराधियों से दोस्ती गठन।
- नियमित समय सारणी से ड्यूटी न जाकर पारिवारिक समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देना।
- अपने जिम्मेदारी के इलाके की पूर्ण जानकारी न रख, समय पर महत्वपूर्ण खबर अपने उच्चअधिकारी को न देना।
- स्थानांतरण के भय से पारिवारिक अस्थिरता का डर बने रहना, इत्यादि।

(घ) अपर्याप्त वेतन : संदिग्ध ईमानदारी के लिए जो कारण बताए जाते हैं उनमें अपर्याप्त वेतन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यद्यपि इस बात में कुछ सच्चाई हो सकती है, फिर भी अपर्याप्त वेतन ही अकेला कारण नहीं है। बेईमानी लोगों में पैदा होने वाली एक मनोवैज्ञानिक आदत है, और बेईमान लोग जितने अधिक निचले स्तर में होते हैं उतने ही संपन्न तथा उच्च सेवा-वर्गों में भी पाये जाते हैं। ईमानदारी भी दोनों ही वर्गों में पाई जाती है। वास्तव में निम्न स्तर के पुलिस अधिकारियों के ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, जहां उन्होंने पूर्णतः ईमानदारी का जीवन बिताया, जबकि अच्छा वेतन पाने वाले भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं।

(ड़) जाँच : किसी भी अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए कानून लागू कर उसे उचित सजा दिलाना भी पुलिस का कार्य है। जो सिर्फ पुलिसजन ही कर सकते हैं। यह दूसरी बात है कि जांच के दौरान जांच अधिकारी को जांच निष्पक्ष रूप से करनी चाहिए जिससे सही अपराधी को सही सजा मिल सके लेकिन कई कारणों से जांच भी पूर्ण और भेदभाव युक्त होती है जिसके निम्न कारण हैं—

- जांच अधिकारी को पूर्ण शिक्षित तथा पूर्ण कानून का ज्ञान न होना। जिसके कारण सही दस्तावेज कोर्ट में सही तरीके से पेश नही हो पाते और अपराधी को पूर्ण तरह से कानूनी शिकंजे में नही लिया जाता तथा पीड़ित को सही न्याय नही मिल पाता।
- जांच का आधार किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, जाति और उच्च या निम्न तथा अमीर और गरीबी पर केंद्रीत होता है। जो कि कानून के खिलाफ है क्योंकि कानून की नजर में सभी एक समान है।
- राजनैतिक अथवा अन्य प्रकार के दबावों में पुलिस जन को अपने सत्य पथ से विचलित होना, जिससे जनता के विश्वास को आघात पहुंचता है।

(ट) समय पर कार्रवाई न करना : किसी भी राज्य में पुलिसजन की प्राथमिकता समाज जन की सुरक्षा करना तथा अपराधियों पर कानून लागू कर सजा दिलानी होती है। लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर पुलिस की कार्यशैली सवालिया निशान छोड़ती है। समय पर खबर मिलने पर पुलिसजन द्वारा कार्रवाई अवश्य ही अपराध को रोकने, जनता का विश्वास जीतने में अवश्य ही सफलता प्राप्त कर, अपने कार्य को स्वच्छ तरीके से करने में सफलता मिलेगी। अतः समय पर पुलिसजन द्वारा कार्रवाई न करना भी एक अनुचित कारण है।

(ठ) राजनैतिक अथवा अन्य प्रकार के दबाब :

साहसी व्यक्ति ही स्थिति के पक्ष-विपक्ष को तोल सकता है और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहता है। बल्कि दु:साहसी व्यक्ति साहसी नहीं होता। यह सच है कि पुलिसजन के ऊपर किसी भी विशेष कानून को लागू करने के लिए राजनैतिक एवं दूसरे दबाव भी होते हैं। जिस कारण से वे अपनी कार्रवाई सच्चाई से नहीं निभा पाते। इसके अनेक कारण हैं जैसे—विभागीय दबाव, आपराधिक दबाव, तथा राजनैतिक दबाव इत्यादि।

(ढ) आडंबरपूर्ण रहन-सहन : आडंबरपूर्ण रहन-सहन न केवल अपने वैध साधनों से परे जाने के लिए बाध्य करता है बल्कि उसके अधीनस्थों के सामने एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करता है। आडंबरपूर्ण रहन-सहन के लिए व्यक्ति प्रलोभित होते हैं और अपने रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठा लेने पर वह दूसरों से भी आशा करता है।

पुलिसजन के ईमानदार जीवन के लिए सबसे पहले सादा और दिखावा रहित रहन-सहन रखना आवश्यक है। उसे अपने परिवार के सदस्यों की ऐसी अवाश्यकताओं या सुविधाओं को प्राप्त करने में एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाने देना चाहिए। आवश्यकता को कम करके सादा जीवन जीना, ईमानदारी के उद्गम का प्रतीक है।

(त) पुलिसजन का दूसरों के उपकार का ऋणी बनना : पुलिस जन द्वारा दूसरों से किसी भी रूप में सहायता लेने से भविष्य में वह अपनी ड्यूटी को कानून के दायरे में रहकर नहीं कर सकता। जिससे दूसरों के उपकार के कारण पुलिसजन दबाव में आ जाते हैं और स्वतः ही ईमानदारी से कार्य नहीं कर पाते। मनोरंजन कार्यक्रमों और यात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। पत्रों का उपयोग करना भी एक गलत आदत है। क्योंकि इससे पुलिसजन कुछ विशेष लोगों की कृपा के आश्रित बन जाते हैं। परिणामस्वरूप उस व्यक्ति के पक्ष में भेदभाव करने से अपने आप को नहीं बचा पाते, निदान देने वाला व्यक्ति बदले में कुछ आशा करेगा ही।

(थ) आर्थिक ईमानदारी : उपरोक्त सभी बातों का पुलिसजन की आर्थिक ईमानदारी पर असर पड़ता है परन्तु जैसा पं. पंडित नेहरू जी ने कहा है कि आर्थिक ईमानदारी ही वह चीज है जिस पर उनकी प्रतिष्ठा निर्भर है। यदि वह सीधे रास्ते से फिसल जाता है तो वह अपनी प्रतिष्ठा गवां बैठता है। प्रायः यह तर्क दिया गया है कि जब तक रिश्वत देने वाले मौजूद है, तब तक रिश्वत लेने वाले भी रहेंगे। लेकिन इस तर्क का उल्टा भी बहुत सही है कि यदि रिश्वत लेने वाले नहीं रहेंगे तो रिश्वत देने वाले भी नहीं रहेंगे।

3. संदिग्ध ईमानदारी के दुष्परिणाम : ईमानदारी से किया गया काम कभी गलत नहीं रहता तथा इसके परिणाम अच्छे ही रहते हैं। व्यक्ति में साहस का मादा दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहता है। जब कभी व्यक्ति सीधा रास्ता न अपनाकर गलत तरीके से किसी कार्य को करता है तो उसके दुष्परिणाम अवश्य ही दिखाई देते हैं तथा पुलिस जन के सही तरीके से कार्य न करने के दुष्परिणाम व्यक्तिगत, राज्य की कानून व्यवस्था, देश की उन्नति तथा देश और समाज में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर अवश्य पड़ते हैं।

(अ) व्यक्तिगत : किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत कार्य कर या उल्टे सीधे तरीके से ज्यादा धन कमाने से उसके घर में खर्च बढ़ता है तथा वह घर में अनावश्यक विलासितापूर्ण वस्तुओं को खरीदता जाता है। धीरे-धीरे दिखावटी शान से परिवार में रहने वाले बच्चों का भविष्य दाब पर लगा दिया जाता है। ऐसे बच्चे यदा-कदा स्कूल में भी अपनी ताकत को ध्यान में रख गलत काम कर बैठते हैं जिसके कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।

(आ) समाज : पुलिसजन का कार्य समाज के लिए बहुत ही अहम स्थान रखता है। अगर पुलिसजन अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ कानून के दायरे में रहकर,

बगैर किसी भेदभाव तथा जिम्मेदारी के साथ निभाए तो समाज अवश्य ही पुलिसजन को सहयोग करेगा। लेकिन आज के युग में जनता का विश्वास टूट चुका है और किसी भी स्तर पर सामान्य व्यक्ति पुलिस को सहयोग करने में असमर्थ रहता है। जिसके कारण समाज में आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार और अन्य अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप समाज के लोग अपने इस आजाद देश में असुरक्षित महसूस कर शाम होते ही अपने घरों में घुस जाते हैं अगर कोई अपने परिवार के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उस परिवार को किसी न किसी रूप में पीड़ित किया जाता है तथा इसका असर देश की अर्थव्यवस्था तथा कानून पर भी अगुंली उठाता है।

(इ) देश : पुलिस तंत्र का उदगम समाज में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया था। जिससे की अपराधियों की नाक में नकेल डाल कर रखी जाए और उन्हें सही समय पर सही धारा के अनुसार सजा दिलाई जा सके। पुलिसजन के सही रास्ते पर न चलकर कार्य करने से आए दिन देश में किसी न किसी राज्य में बम ब्लास्ट, आतंकवादी गतिविधियां, आम आदमी पर जानलेवा हमला, देश की खुफिया खबर पड़ोसी देशों को भेजना, जाली नोटों को भारतीय अर्थव्यवस्था में पहुंचाकर अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर करना, जनता का सरकार में विश्वास न रहना इत्यादि। जो देश की उन्नति में बाधक बनकर देश की नींव को कमजोर बना रहें हैं।

4. समस्या का निवारण : समस्याओं का समाधान हमेशा ही ढूंढा गया है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। जिसका समाज या जनता समाधान न कर सकी हो। यह अवश्य है कि समाधान में कुछ समय अवश्य ही लग सकता है। पुलिस तंत्र को भी पुलिसजन को अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी निभाने के लिए उत्साहित कर उनका मनोबल ऊंचा रखना चाहिए इसके लिए सुझाव है—

- पुलिसजन को अपने सार्वजनिक जीवन के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन में भी अनुशासन के समस्त माप-दंडों का पालन करना चाहिए। क्योंकि अपने अधीनस्थों के बीच अनुशासन तब ही बनाए रख सकते हैं जब वह स्वयं भी सख्ती के साथ अनुशासन का पालन करें। इसके साथ ही आपसी विश्वास को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन ही एक अहम क्रिया है।
- पुलिसजन का सार्वजनिक क्षेत्रों में ईमानदारी का निष्कलंक जीवन व्यतीत करना उसकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। लेकिन जनता के सामने या साथ निष्पक्ष कानून को लागू करना तथा उसके विश्वास को जीतना केवल ईमानदारी से ही संभव है इसलिए अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें।
- सामान्यजन प्रत्येक विभाग के बारे में जानकारी रखते हैं और मीडिया भी समय-समय पर प्रत्येक विभाग में कार्य के बारे में सिफारिश करते रहते हैं। मीडिया द्वारा पुलिसजन की गतिविधियां उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया तक को बहुत अच्छे तरीके से जनता को दिखाया जाता है। इससे पुलिस की लापरवाही तथा पक्ष-विपक्ष के प्रति अमानवीय व्यवहार का असर जनता पर ज्यादा और जल्दी पड़ता है। जिस कारण से जनता पुलिस के विरुद्ध कार्य करती है। लेकिन जनता का पुलिसजन के खिलाफ रहना पुलिसजन की असफलता की तरफ इशारा करता है किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए जनता के सहयोग की आवश्यकता आवश्यक है और यह सहयोग अच्छे व्यवहार के साथ पाया जा सकता है।
- समाज में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष एक समान है और सभी के मौलिक अधिकार बराबर है। कानून को भी जाति, धर्म, राज्य के आधार पर

फैसला करने का अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार पुलिसजन को भी बगैर किसी गरीब-अमीर, जाति-धर्म इत्यादि का भेद रखे, प्रत्येक की रिपोर्ट लिखनी चाहिए। जो व्यक्ति थाने में प्रथम रिपोर्ट लिखाने आता है वह अवश्य ही परेशान होता है अतः पुलिसजन को अत्याचारी के विरुद्ध तथा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए।

- पुलिसजन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जिससे स्वयं में विश्वास बढ़ने के साथ-साथ जनता का विश्वास भी जीता जा सके। जनता का विश्वास ही पुलिसजन को सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा सकता है। अतः वह जनता का विश्वास जीते।
- विज्ञान के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। पुलिस विभाग को उच्च स्तरीय तकनीक के साधन प्रदान किए जाएं, जैसे कि गाड़ी, अच्छे संचार साधन, और अच्छे इंस्ट्रेक्टर आदि, पुलिस कर्मियों के आपसी विश्वास को बढ़ाया जाए उनके समय पर पहुंचकर अपराधियों को पकड़ने पर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिया जाए।
- पुलिसजन अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से कार्य तो करते ही हैं, लेकिन कुछ पुलिसजन का व्यवहार लापरवाही जैसा रहता है। अच्छे और बुरे पुलिसजन का मालूम ही नहीं होता, इसलिए अच्छे कार्य के लिए पुलिसजन को पुरस्कृत करना अतिआवश्यक है। ऐसा करने से पुलिसकर्मी का मनोबल ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ-साथ जनता का सहयोग भी प्राप्त होगा।
- सम्मान देना और सम्मान लेना सदियों की कहावत है। पुलिसजन भी सम्मान के उतने ही हिस्सेदार हैं, जितना पुलिसजन किसी को सम्मान देते हैं। लेकिन पुलिस तंत्र में व्यक्तिगत व्यवहार ठीक न होने के कारण जनता भी पुलिस को इज्जत देने से कतराती है। सम्मान देकर ही कुछ सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, जो कार्य शैली को बेहतर बनाने में अवश्य ही सहयोगी सिद्ध होगा।
- पुलिस तंत्र के अन्दर यदि कोई पुलिसजन ईमानदारी से कार्य नहीं करता, भेदभाव या पक्षपात करता है तो अवश्य ही उस पुलिसजन को किसी भी रूप में सामने लाया जाए। और उस पर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में निष्पक्ष कार्रवाई की जा सके।
- पुलिसजन को भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराया जाए तथा इस गन्दगी से कैसे दूर रहा जाए कि जानकारी निम्न स्तर पर भी दी जाए।
- पुलिस थाना अध्यक्ष अपने इलाके में जाकर लोगों से खुलकर बातें करे और समस्याओं के समाधान के लिए भी सहयोग करे। जिससे अपराधों को कम किया जा सके और अपराधियों को पकड़ा जा सके।
- पुलिसजन का सामना अच्छे-बुरे लोगों से होता है। बहुत सारे पुलिसजन बहुत ईमानदारी से अच्छा कार्य करते हैं। जिससे पुलिस बल की वाहवाही होती है। लेकिन सरकार उस व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं दे पाती, इसलिए सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि व्यक्ति विशेष को उसकी ईमानदारी का ईनाम मिल सके। जिससे कि पुरस्कृत कर्मी के साथ-साथ अन्य पुलिसकर्मी भी भविष्य में ईमानदारी पूर्वक कार्य करने को प्रेरित हो।
- पुलिसजन को बगैर किसी दबाव में आकर अपनी ड्यूटी को निःस्वार्थ अंजाम देना चाहिए। जिससे विभाग में पारदर्शिता बनी रहे तथा पुलिसजनों में मजबूती का माद्दा बना रहे।
- यह सही है कि अनुभवी पुलिसजन कर्मियों को ही किसी केस की जांच-पड़ताल के लिए नियुक्त

किया जाता है, लेकिन सभी अनुभवी पुलिसकर्मी ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं होते। जिससे जांच-पड़ताल अच्छी तरह नहीं हो पाती और अपराधी अपराध कर बच निकलता है। उसे कानून से बढ़कर कार्य करने वाला मुजरिम मान लिया जाता है। इसलिए सम्भावित पुलिसकर्मी और काबिल पुलिसकर्मियों को ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए नियुक्त किया जाए जिससे की सच्चाई के साथ अपराधियों को इंसाफ दिलाया जा सके।

- पुलिस विभाग में सभी मुख्य आरक्षकों का शिक्षा का स्तर उच्च नहीं होता, यानि कुछ मुख्य आरक्षक और आरक्षक भी सक्षम तथा उच्च स्तर के शिक्षित होते हैं। जिनको और प्रशिक्षण देकर एक अच्छा एवं उत्कृष्ट कोटि का जांच अधिकारी तैयार किया जा सकता है। पुलिस तंत्र का कार्य और क्षमता जनता के द्वारा उस राज्य के पुलिस कर्मियों की कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है।
- अक्सर सुनने में आता है कि पुलिस थाने में खबर मिलने के बावजूद भी जानबूझकर या कर्मचारियों की अनुपस्थिति या गाड़ियों का न होना इत्यादि का पाठ बताकर समय पर आपराधिक स्थान पर न पहुँचकर अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब रहती है और अपराधी अपराध करने में सफल हो जाते हैं। इससे पुलिस की बदनामी तो होती ही है साथ ही जनता का पुलिस से विश्वास भी उठ जाता है। इसी लिए आज जनता पुलिस तंत्र पर उंगली उठाने के लिए तत्पर है। थाना प्रभारी, अन्य पुलिस कर्मी ऐसी सूचना मिलने पर तुरन्त कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़ कर जनता के विश्वास को जीत सकते हैं। यदि सभी पुलिसजन अपने कार्य के प्रति पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं पूर्ण सजगता का प्रदर्शन करें तो पुलिसजन के प्रति जनता का विश्वास अटूट रहेगा।
- एक पुलिसजन सारे पुलिसजन को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा सकता है। यदि वह अपने कार्यक्षेत्र में आपसी सहयोग व विश्वास की भावना के साथ-साथ देश की सुरक्षा और जनता की रक्षा करने के लिये दृढ़ संकल्प करे। पुलिसजन द्वारा निर्भीक होकर बिना किसी भेदभाव के जांच-पड़ताल कर अपने कर्तव्य का पालन कर पद की गरिमा को बढ़ाना चाहिए। आज पुलिस तंत्र का महत्व प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह समझता है। अतः इस तंत्र को मजबूत बनाने के लिए ईमानदारी ही आज के समय की मांग है ताकि लोगों का पुलिस के प्रति नजरिया बदलें और लोग पुलिस तंत्र में विश्वास रख, अपनी समस्या को निर्भीक होकर इस आशा के साथ उन्हें सूचित करें और आशा करें कि उन्हें न्याय मिलेगा। ऐसा संभव है क्योंकि सत्य की सदैव जीत हुई है चाहे देर से ही सही।

❐

पुलिस अन्वेषण के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके, एक विश्लेषण

उमेश कुमार सिंह

(से.नि.पु.महानिरीक्षक बिहार) दिनकर पथ, हसनपुरा रोड, न्यू महावीर कालोनी, बेडर, पटना-2

आधुनिक युग में अपराधी इतने तेज और चालाक हो गए हैं कि वे अपराध के वारदात के मौके पर कुछ भी ऐसा चिह्न नहीं छोड़ना चाहते जिससे पुलिस को अपराधी का पता चल सके। ऐसी स्थिति में गंभीर अपराधों की दशा में पुलिस की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है और उन्हें लोगों के आक्रोश को झेलना पड़ता है। इस विकट परिस्थिति में पुलिस को यदि कोई सुराग अपराधियों के बारे में मिलने की संभावना दिखती है तो वह सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण एवं शव या आहत व्यक्तियों के शरीर का सूक्ष्म परीक्षण ही होता है। इससे निश्चित रूप से सुराग अपराधियों तक पहुंचने का मिल जाता है।

अपराध से अपराधी तक पहुंचने का हर संभव प्रयास एक अन्वेषणकर्ता कुशलता पूर्वक करता है। बीसवीं एवं इकीसवीं शताब्दी की एक-महत्वपूर्ण देन अन्वेषण में विधान एवं तकनीक का प्रयोग है तथा आज का अन्वेषण इतना कुशल और सफल सिद्ध हुआ है कि वह अक्सर ईमानदारी और निष्ठा से किए जाने पर चूकनेवाला नहीं होता। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता प्राथमिकी दर्ज कर साक्षियों का बयान लेने, घटनास्थल का मानचित्र बनाने, माल एवं वस्तुओं की बरामदगी हेतु तलाशी लेने, जब्ती सूचि बनाने आदि कार्यों तक ही सीमित या संतुष्ट नहीं रहता, बल्कि आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय एवं रासायनिक परीक्षण, अंशुलोक, हस्ताक्षर एवं पद चिह्नों की जांच, फोटोग्राफी इत्यादि वैधानिक परीक्षण का भी आज सहारा ले रहा है। अज्ञात कांड का उदभेदन, सही अपराधी का पता लगाने तथा साक्ष्यों को साक्ष्य अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों के अधीन सुसंगत पुलिस डायरी में बनाने का हर संभव प्रयास करता है।

अपराध करने की नयी-नयी तकनीकियों का अपराधियों द्वारा इस्तेमाल करने के साथ-साथ पुलिस को भी अनुसंधान की नयी-नयी तकनीकों का सृजन करना पड़ रहा है। अपराधों के अन्वेषण के लिए क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट, सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्टेलीजेन्स, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ऐण्ड डेवलपमेन्ट, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अपराध अनुसंधान विभाग, फोरेंसिक साइन्स लेबोरेटरी का सृजन कर राज्य एवं केंद्र स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है।

अन्वेषण की जिन वैधानिक एवं तकनीकी उपकरणों का प्रयोग आज किया जा रहा है, उनमें से कुछ प्रमुख का जिक्र करना अन्वेषण की दृष्टि से आवश्यक है। ये विधियां निम्नप्रकार हैं :

(1) रासायनिक परीक्षण : अन्वेषण में रासायनिक परीक्षण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रासायनिक परीक्षण से अन्वेषण सरल एव सुगम ही नहीं हो जाता है, अपितु यह सही निष्कर्ष पर भी पहुंचने पर सहायक होता है। कई अपराध ऐसे हैं जिनमें रासायनिक परीक्षण के बिना अपराध को साबित करना अत्यंत ही कठिन होता है, जैसे—अफीम, शराब, अन्य नशीली वस्तएं, विषपान, हत्या, बलात्कार, कूटरचना, आग्नेय अस्त्र, मिलावट आदि से संबंधित मामले। इसमें अनुसंधानकर्ता को सावधानी से प्रदर्शो को जब्ती के बाद सावधानी से सील कर मुहर बंद लिफाफे में विशेष दूत से लेबोरेट्री भेजना चाहिए।

रासायनिक परीक्षण का यह कार्य मुख्य रूप से 'स्टेट एवं सेंन्ट्रल फोरेन्सिक साइन्स लेबोरेट्री' द्वारा

किया जाता है।

(2) फोरेन्सिक बेलिस्टिक : अन्वेषण के क्षेत्र में 'फोरेन्सिक बेलिस्टिक' विज्ञान की वह शाखा है जो आग्नेय—अस्त्र, गोला, बारूद आदि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करती है।

(3) चिकित्सीय परीक्षण : अपराधों का पता लगाने में चिकित्सीय परीक्षण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। मारपीट, हत्या, आत्महत्या, विषपान, दुर्घटना, बलात्कार, आदि मामलों में चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। चोटों का परीक्षण, पोस्ट-मार्टम आदि चिकित्सीय परीक्षण के ही अंग हैं तथा परीक्षण के तुरंत बाद रिपोर्ट को चिकित्सक से प्राप्त कर लेना चाहिए। देर करने से अभियुक्तों द्वारा प्रभावति करने का खतरा बना रहता है।

शव परीक्षण के कई उद्देश्य होते हैं जो साक्ष्य अधिनियम अंतर्गत सुदृढ़ साक्ष्य बनाते हैं। घटना के शिकार व्यक्ति की शिनाख्त करना, मृत्यु को कितना समय हुआ, मृत्यु का स्थान, कारण, मृत्यु आत्महत्या से हुई या हत्या हुई, इत्यादि का पता सही शव परीक्षण से ही हो पाता है। इससे आरोप निर्धारण में और सही व्यक्ति को सजा दिलाने में पुलिस को मदद मिलती है। 26 अगस्त, 1978 को गीता चोपड़ा एवं संजय चोपड़ा नामक प्रसिद्ध अपहरण कर हत्या के मामले में अपर रिज के पास कई दिन बाद उनके शव प्राप्त हुए थे तथा संदिग्ध व्यक्ति रंगा एवं बिल्ला को गिरफ्तार किया गया था तथा न्यायालय द्वारा दोनों को मृत्युदंड दिया गया था। माननीय जज ने केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के कार्यों की सराहना की थी तथा चोरी गई कार जिसमें अपराध किया गया था उसके ऊपर प्राप्त रक्त के धब्बों से अभियुक्तों पर अपराध साबित किया जा सका था, क्योंकि चश्मदीद गवाह इस कांड के नहीं थे। वैज्ञानिक चिकित्सीय तरीके का यह अनूठा उदाहरण है।

(4) फोटोग्राफी : संपूर्ण घटना-स्थल को जीवित रूप में चित्रित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण साधन है। निष्पक्ष, विश्वसनीय, सही, परिपूर्ण एवं निर्विवाद साक्ष्य के रूप में फोटोग्राफी की ग्राह्यता का प्रचलन किसी से छिपा नहीं है।

(5) अपराधी की धड़कनों को रिकार्ड करने वाली मशीन : पूर्ण एवं परिपक्व अन्वेषण के लिए अपराधी के दिल, दिमाग और धड़कनों में होने वाले प्रभाव को रिकार्ड करने वाली यह मशीन इस शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन है। इस मशीन के माध्यम से अब अपराधियों को सच बोलने के लिए आतंकित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत सरकार द्वारा दिल्ली एवं हरियाणा पुलिस के लिए ऐसी दो मशीनें खरीदी गई हैं।[1]

(6) वायर टेपिंग : अपराधों को रोकथाम के लिए एक प्रभावकारी साधन के रूप में अमेरिका में इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा टेलीफोन लाइन से संबंध स्थापित कर लिया जाता है ताकि अपराधियों के बीच होने वाले वार्तालाप को सुना जा सके। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने इसे संवैधानिक माना है और कहा है कि 'वायर टेपिंग' अयुक्तियुक्त तलाशी एवं जब्ती की कोटि में नहीं आता है। लेकिन सन् 1934 में वहां की कांग्रेस ने इसके लिए संबंधित पक्षों की समिति को आवश्यक माना है। इससे आपराधिक प्रवृति के प्रतिष्ठानों में भय बना रहता है।[2]

(7) उंगली चिह्न एवं रन्ध्र विज्ञान : आधुनिक न्यायिक विज्ञान में पहचान स्थापित करने का सर्वाधिक विश्वासनीय स्रोत उंगली चिह्न एवं रन्ध्र विज्ञान माना जाता है। उंगली चिह्न के माध्यम से अपराध से अपराधी तक पहुंचने का मार्ग सुगम हो जाता है। यह सुस्थापित धारणा है कि दो व्यक्ति के उंगली चिह्न एक जैसे नहीं होते। उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है। फिर ये उंगली चिह्न जन्म से ही बन जाते हैं और

मृत्युपर्यन्त वैसे ही बने रहते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में उंगली चिह्न को अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है। उंगली चिह्नों का इतिहास अत्यंत ही पुराना है। इस विज्ञान को उंगली चिह्न विज्ञान, रन्ध्र विज्ञान अथवा पोरस्कोपी कहा जाता है।

आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व मिस्र के राजा तुतम खुमे की कब्र में चिकनी मिट्टी के चौकोर टुकड़े मिले थे जिन पर उंगलियों के चिह्न अंकित थे। अपराध जगत में उंगली चिह्नों के माध्यम से अभियुक्त की पहचान स्थापित करने का श्रेय गाल्टन प्रणाली को जाता है। उंगलियों तथा अंगूठे के निशानों की विशेषताओं के कारण हस्तरेखा विशेषज्ञ इसे महत्व देने लगे हैं, क्योंकि व्यक्ति के मूल स्वभाव का प्रभाव उसके भाग्य पर पड़ता है। चूंकि उंगलियों के निशान स्थायी होते हैं, इसीलिए इसके आधार पर किसी जातक का स्वभाव और भविष्य भी बताया जा सकता है। उंगली चिह्नों की विभिन्न आकृतियां व्यक्ति के छिपे चरित्र की चुगली करती है। हाथ के हथेलियों और उंगलियों में रेखाओं के रूप में चक्र, सीप एवं शंख जैसी आकृतियाँ बनी होती हैं। आकृति के बाहरी भागों में डेल्टा एवं अन्दर की ओर कोर का निशान पाया जाता है। व्यक्ति की पहचान करने में इन्ही की मदद ली जाती है।

इस प्रकार की एक और तकनीक रन्ध्र विज्ञान अर्थात् पोरस्कोपी की है। यह लोकार्ड की मन और मस्तिष्क की उपज है। लोकार्ड ने उंगलियों के अंतिम पोर पर पाए जाने वाले रधीनों का जब सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया तो उसने यह पाया कि इन रंधीनों के साथ-साथ एक रेखा में छोटे-छोटे रन्ध्र (छिद्र) होते हैं जो एक दूसरे से सामान दूरी रखते हैं। इन्हीं रन्ध्रों के आधार पर व्यक्ति की पहचान आसानी से स्थापित की जा सकती है। उंगली चिह्न की तरह ये रन्ध्र भी जन्म से ही बने होते हैं तथा मृत्युपर्यन्त एक जैसे बने रहते हैं। आयु के साथ इनके आकार में परिवर्तन अवश्य हो सकता है लेकिन ये कभी भी नष्ट नहीं होते। इनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है।

सत्यता जानने के लिए अपराधियों के उंगली चिह्न बहुत उपयोगी होते हैं। सांसद स्व. फूलन देवी हत्या काण्ड में मुख्य अभियुक्त-शेरसिंह राणा एवं रविन्दु सिंह ने पूर्व नियोजित योजना के तहत हत्या करने के पश्चात दो अन्य व्यक्तियों को जेल भिजवा दिया था तथा उन दोनों ने अपने नाम और पते के साथ दो फर्जी व्यक्तियों को अपने नाम पूर्व में ही जेल भेजवा दिया था तथा 25 जुलाई 2001 को हत्या की घटना के बाद 26 जुलाई को दोनों अभियुक्त फर्जी रूप से जेल से बाहर हो गए। यदि जेल पर ऐसे अभियुक्तों की उंगली चिह्न लेने की व्यवस्था अनिवार्य होती तो इस प्रकार के जालसाजी को वैज्ञानिक रूप से झुठलाया जा सकता था।

(8) पद चिह्न : अपराध विधिशास्त्र की यह धारणा है कि अपराधी अपराध-स्थल पर कुछ लेकर आता है, वहां से कुछ लेकर जाता है और वहीं कुछ छोड़ जाता है। जो कुछ वहां छोड़ जाता है उनमें पावों के निशान भी हो सकते हैं। इन्हीं पद चिह्नों के आधार पर अन्वेषण अधिकारी कभी-कभी अपने गन्तव्य लक्ष्य को आसानी से पा लेता है। पदचिह्नों से यह पता लगाया जाता है कि अभियुक्त कहां से आया, कहां गया और वह कौन है। उंगली चिह्न की तरह पद चिह्न भी जन्म से ही बन जाते हैं और मृत्युपर्यन्त वैसे ही बने रहते हैं। दो व्यक्तियों के पद चिह्न कभी एक जैसे नही होते। पद चिह्न की जांच हेतु पांव को चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है—पंजा, फाबा, तली एवं एड़ी। फावे में दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती है—कमल रेखा एवं डेड रेखा। पद चिह्न लेने की विभिन्न पद्धतियां हैं जैसे—ट्रेसिंग प्रणाली, कास्टिंग प्रणाली, फोटो ब्रोमाइड प्रणाली, आदि।

(9) ऑटोमेटिक फिंगर-प्रिंट रिकग्नीशन (ए. ए. फ. आर.) : अभियुक्त की पहचान का एक और

वैज्ञानिक उपकरण आविष्कृत हुआ है जिसे "ऑटोमेटिक फिंगर प्रिन्ट रिकग्नीशन" (ए. एफ. आर.) कहा जाता है। यह उंगली चिह्नों से पहचान का ही एक स्रोत है। इसमें भी उंगली चिह्नों के माध्यम से अपराध से अपराधी तक पहुंचा जाता है। यह कार्य कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है। नये अपराध होने पर अपराध-स्थल से उठाए गए उंगलियों के चिह्नों का क्षण भर में मिलान करके अपराधी की पहचान करना संभव हो गया है। ब्रिटेन की पुलिस ने पूरे देश के अपराधियों की उंगलियों के निशान कम्प्यूटर में भरकर उनकी शिनाख्त करना प्रारम्भ किया है। लगभग 50 लाख उंगलियों के निशान कम्प्यूटर में भरे गए हैं।

(10) फेशियल एनालीसिस कम्पैरिजन एण्ड एलिमिनेशन सिस्टम" (फेसेज) : अपराधी को पकड़ने के लिए एक और नवीनतम पद्धति लंकाशायर में अविष्कृत की गई है जिसे "फेशियल एनालीसिस कम्पैरिजन एण्ड एलिमिनेशन सिस्टम" (फेसेज) कहा जाता है। इसमें संदिग्ध अपराधियों के चित्रों में से वास्तविक अपराधी को खोज निकालने में घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की सहायता ली जाती है। साक्षी द्वारा अपराधी का हुलिया बता दिया जाता है। इस हुलिए के आधार पर तथा कथित अपराधी के शक्ल के आंकड़े फेसेज द्वारा कम्प्यूटर प्रणाली में भरे जाते हैं। कम्प्यूटर इससे मिलान करके ऐसे मिलते जुलते 12 चेहरे एक साथ विडियो स्क्रीन पर दिखा देता है। इनमें से वास्तविक अपराधी का चेहरा खोज निकालना आसान हो जाता है। इसकी मेमोरी में सभी अपराधियों के हुलिये दर्ज होते हैं।

(11) डी. एन. ए. : इसे जीन प्रणाली भी कहा जाता है। जीनों की पहचान में डी.एन.ए. एक सहायक तत्व है। हर व्यक्ति के शरीर में अरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। हर कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें लाखों डी.एन.ए. अणु पाए जाते हैं। बढ़ते हुए अपराधों को एक आधुनिकतम तकनीक "डी.एन.ए. फिंगर प्रिंट" (डी आक्सीराईबो न्यूक्लिक एसिड) ने काफी निरूत्साहित किया है। इस सफलतम प्रौद्योगिकी का श्रेय डा. जेम्स वी. वाटसन तथा डा. फ्रांसिस एच. किक को संयुक्त रूप से जाता है।

किन्ही दो व्यक्तियों के डी.एन.ए. एक सामान नहीं होते हैं और इसी कारण हर व्यक्ति की शक्ल-सूरत और उनका व्यक्तित्व अलग-अलग होता है। लेकिन जुड़वा बच्चों पर यह बात लागू नहीं होती है। उनमें डी.एन.ए. और जीन एक सामान हो सकते हैं। प्रजनन के माध्यम से माता पिता के विशेष गुण उनकी संतानों में पहुंचते हैं और यह कार्य डी.एन.ए. अणु द्वारा संपन्न होता है। व्यक्तियों को अनुवांशिक स्तर पर पहचानने के लिए सहायता देने वाले डी.एन.ए. को आधार बनाकर 1985 में प्रो. एलेक जैफ्रीस ने एक तकनीक डी.एन.ए. फिंगर प्रिन्ट नाम से विकसित की। भारत में पहली बार पितृत्व सिद्ध करने में 1989 में केरल के एक मामले में इसे मान्यता दी गई। इतना ही नही, राजीव गांधी की हत्या के मामले में धनु नामक मानव बम को पहचानने के लिए डी.एन.ए. फिंगर प्रिन्ट का सफल प्रयोग किया गया।

(12) गोदन चिह्न : विशेष रूप से अज्ञात स्थानों पर मृत्यु हो जाने अथवा दुर्घटना के मामले में मृतक एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में गोदन-चिह्न वरदान सिद्ध होते हैं। गोदन चिह्नों से भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में काफी मदद मिलती है। विश्व के प्रायः सभी देशों में और विशेष रूप से भारत में गोदने की प्रथा अतीत काल से चली आ रही है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रीयां इसमें ज्यादा रुचि लेती हैं। गोदन-चिह्नों से व्यक्ति के नाम, पिता या पति का नाम, जन्म स्थान, भाषा एवं संस्कृति आदि का पता चल जाता है। मिटे या लुप्त हुए गोदन चिह्नों की तलाश अल्ट्रावाईलेट तथा इंफ्रारेड पद्धतियों से आसानी से की जा सकती है।

सिडनी शार्क का इस संबंध में एक महत्वपूर्ण

मामला है। इसमें जेम्स स्मिथ नामक व्यक्ति दिनांक 8.04.1935 को अचानक लापता हो गया था। उसके लापता होने के लगभग दो सप्ताह के भीतर एक शार्क मछली पकड़ी गई जिसे अचानक उल्टी हुई, तो उसमें से एक कटा हुआ हाथ निकला। यह हाथ किसी और का नही जेम्स स्मिथ का ही था। उस पर मुष्टि युद्ध गोदन आकृति थी, जिसे स्मिथ की पत्नी और भाई ने पहचान लिया। स्मिथ की हत्या उसके एक मित्र पेट्रिक ब्रेडी द्वारा की गई थी, जिसे पकड़ लिया गया। पानी में डूबकर मरने वाले व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने में गोदन चिह्न अत्यन्त सार्थक सिद्ध हुए हैं। आजकल लेजर किरणों से इन्हें आसानी से मिटाने की विधि का प्रचलन अधिक बढ़ गया है।

(13) लोकार्ड प्रणाली : इस नियम के अनुसार जब दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अथवा दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो उसमें कुछ न कुछ विनिमय अर्थात आदान-प्रदान अवश्य होता है। वे एक दूसरे पर अपने चिह्न अवश्य छोड़ते हैं और उन्हीं के आधार पर अपराधी का पता लगा लिया जाता है। अपराधी का पता लगाने के लिए फ्रांस के विख्यात न्यायिक विज्ञानी लोकार्ड ने 'परस्पर विनिमय का सिद्धांत' प्रतिपादित किया है। इसे 'आदान-प्रदान का नियम' भी कहा जाता है।

लोकार्ड का परस्पर विनिमय का यह सिद्धांत बलात्कार, वाहन दुर्घटना, गृह-भेदन आदि मामलों में यह अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। बलात्कार के मामलों में स्त्री के पेटीकोट पर पुरुषों के वीर्य के धब्बे पाया जाना, स्त्री की योनी के बाल पुरुष के लिंग पर पाया जाना, दो वाहनों में टक्कर हो जाने पर वाहन के पेंट का छाप-चिह्न टकराने वाले वाहन पर अंकित हो जाना आदि, इसके अच्छे उदाहरण हैं। यह प्रणाली अभी भी कारगर सिद्ध हो रही है।

(14) बर्टिलान-प्रणाली : यही सिद्धांत भी किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण है इसे "नुमापी" प्रणाली अथवा 'शारीरि' नाप की प्रणाली भी कहा जाता है। बर्टिलान की मान्यता थी कि व्यक्ति के शरीर पर तिल, मस्से, गोदन-चिह्न, दाग-चिह्न, उसके नाक, कान, गाल, केश आदि की आकृति तथा लंबाई एवं चौड़ाई आदि से पहचान स्थापित करना अत्यन्त आसान है। बर्टिलान फ्रांस का निवासी था तथा उसे वैज्ञानिक जासूसी का जनक समझा जाता था। उसने शारीरिक नाप तथा अन्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्ति की पहचान स्थापित करने की 'नुमापी प्रणाली' का आविष्कार किया। उसके अनुसार शारीरिक निशानों, अंगों, नापों आदि के माध्यम से व्यक्ति की पहचान सुगमता से हो जाती है। शारीरिक निशान जैसे तिल मस्से, गोदन चिह्न, आहट (चोट चिह्न) आदि हो सकते हैं। शारीरिक अंग जैसे आंखें, कान, गाल, केश, नाक, शरीर का रंग इत्यादि घुंघराले बाल, सख्त बाल, मुलायम बाल, भूरी आंखें, काली आंखें, गोरा सफेद रंग, काला सांवला रंग इत्यादि से व्यक्ति की पहचान का संकेत मिल सकता है। बर्टिलान का मानना था कि 21 वर्ष की उम्र के बाद शारीरिक मापों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा दो व्यक्तियों के शारीरिक माप कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं।

(15) सम्मोहन विज्ञान : यह ज्ञान-विज्ञान की एक नवीनतम शाखा है। यह अचेतन मन में दबी घटनाओं एवं तस्वीरों को स्मृति पटल पर उजागर करने का एक विलक्षण विज्ञान है। अब तक कई मामलों में इस विज्ञान का प्रयोग किया जा चुका है और उसमें आशातीत सफलता मिली है। बात विचित्र किन्तु सच है कि अब सम्मोहन विज्ञान द्वारा अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लिया जा सकेगा। एक बार लंदन शहर में एक अबोध बालिका का अपहरण कर लिया गया। काफी लम्बे समय तक अपराधियों का पता नहीं चला। कुछ व्यक्तियों

ने इस घटना को आंखों से भी देखा था, लेकिन वे अपराधियों के हुलिया बताने में असमर्थ थे क्योंकि यह सारी घटना एक मिनट में ही घट गई इसीलिए वे अपराधियों का चेहरा न तो स्पष्ट रूप से देख सके और ना ही याद रख सके।

बलात्कार जैसे मामलों में यह विज्ञान और भी सार्थक सिद्ध हुआ है। बलात्कार के मामले में अधिकांश पीड़ित महिलाएं कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि इससे उनके अपमानित एवं कलंकित होने की आशंका रहती है। ऐसी महिलाओं पर सम्मोहन शक्ति का प्रयोग कर अचेतन मन में दबी अपराधी की तस्वीर एवं घटना के तथ्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। पुलिस ने साक्षियों की याददाश्त ताजा करने के लिए सम्मोहन शक्ति का प्रयोग किया। परिणाम यह हुआ कि साक्षियों ने अपराधियों का हुलिया तथा अपराध कारित करने में प्रयुक्त की गई कार का नम्बर बता दिया और पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई। ऐसी ही दो घटनाएं अमेरिका और इजराइल की हैं।

(16) इलेक्ट्रानिक बंधन : यह यंत्र आकार में माचिस की डिबिया जैसा होता है। इस यंत्र में नवजात शिशुओं से संबंधित सारी जानकारी इकट्ठी कर दी जाती है। यह यंत्र विशेष कोड या रेडियो सिग्नल प्रसारित करता रहता है। ऐसे सिग्नल को अस्पताल, नर्सिग होम तथा प्रसूति गृह के निकास पर लगी एंटीना ही पकड़ सकते हैं। ज्योंहि यह यंत्र ऐसे निकासों के पास आता है वह एंटिना द्वारा पकड़ लिया जाता है। अस्पतालों, नर्सिंग होमों तथा प्रसूति गृहों से नवजात शिशुओं की चोरी को रोकने के लिए लन्दन के एक अस्पताल में 'इलेक्ट्रानिक बंधन' नामक एक यंत्र स्थापित किया गया है। इन यंत्रों को नवजात शिशुओं के हाथ या पैर में इस प्रकार बांध दिया जाता है कि वह आसानी से कटे नहीं। जब भी कोई महिला चोर ऐसे शिशुओं को चुराकर ले जाती है तो निकास पर वह पकड़ में आ जाती है। इस प्रकार शिशु-चोरी को रोकने एवं पकड़ने वाला यह एक अद्‌भुत यंत्र है।

(17) एन.सी.आई.एस. : आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष कम्प्यूटर द्वारा 7000 करोड़ रुपये अधिक की चोरी और जालसाजी हो रही है। 1976 में चोरों के गिरोह ने जापान के एक फिल्म स्टार के बेटी का अपहरण कर लिया और फिरौती के लिए भारी रकम की मांग की। कम्प्यूटर के माध्यम से पुलिस सुराग पाने में लग गई और सभी बैंकों के खातों को कम्प्यूटर पर डाल दिया गया। अगले दिन निर्धारित राशि बैंक में जैसे ही जमा की गई और अपराधी एक केन्द्र से रकम निकालने लगा वैसे ही कम्प्यूटर ने पुलिस को संकेत दे दिया कि कौन से खाते से रकम निकाली जा रही है। पुलिस ने टोकियो रेलवे स्टेशन के भीतरी आंगन में स्थापित बैंक के खाते से निकाली जा रही रकम को कम्प्यूटर की मदद से राशि और अपराधी दोनों को पकड़ लिया। इस प्रकार यह कम्प्यूटर भी अति उपयोगी पुलिस अनुसंधान में साबित हो रहा है।

कम्प्यूटर द्वारा व्यक्तियों तथा दर्ज किए गए अपराधों के बीच संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रणाली ने सन् 1995 के मध्य में काम करना प्रारम्भ किया है। इस प्रणाली में सर्वप्रथम लन्दन, ब्रिस्टल, वेकफील्ड, मैनचेस्टर और बर्मिघम स्थित कार्यालयों में उपलब्ध सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिये या फिर चार्ट्स के रूप में प्रिन्ट करके संबंधित विभागों को भेजना प्रारम्भ किया। चोरी एवं नशीली वस्तुओं के व्यापार में यह प्रणाली अत्यन्त सफल सिद्ध हुई है।

ब्रिटिश पुलिस की खुफिया ऐजेंसी 'नेशनल क्रिमिनल इंटेलिजेंस सर्विस' (एन.सी.आई.एस.) लगभग 450 पुलिस एवं कस्टम अधिकारियों का एक ऐसा संगठन है जो अत्यन्त शक्तिशाली कम्प्यूटरों के माध्यम से कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ एवं पहचान स्थापित कर लेता है।

(18) अपराधियों की तस्वीर खिंचती पीड़ित की आंखें : यह बात आज चाहे भले ही जनसाधारण के गले नहीं उतरे पर इतिहास के पन्नों पर इसकी विश्वसनीयता के कई प्रमाण मौजूद हैं। सन् 1863 में ब्रिटेन के एक फोटोग्राफर विलियम वार्नर ने यह सिद्ध कर दिखाया कि आंखें के रेटिना वाले भाग पर छिपे हुए चित्रों के फोटो लिए जा सकते हैं। वार्नर ने एक बूचड़खाने में जाकर वहां कुछ समय पूर्व काटे गए एक बछड़े की आंखों के रेटिना का फोटो विकसित किया और उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा। इस चित्र में पत्थर के टाइलों युक्त बूचड़खाने का दृश्य अंकित था। एक महिला ने अपनी रसोई में क्राड नामक मछली को बनाने से पूर्व उसकी आंखों को देखा। मछली की आंखों में उसे मछुआरे का दृश्य दिखाई दिया जो मछली को खींचकर अपनी नाव में डाल रहा था। मनुष्य की आंखें किसी आधुनिक कैमरे से अधिक जटिल कार्य करने में सक्षम होती हैं। ये आंखें मृत्यु के बाद भी उन चित्रों को अपने पटल पर सजाए रखती हैं जो मृत्यु से ठीक पूर्व सामने आए होते हैं। अंधेरे में मृत्यु होने पर भी मृतक की रेटिना में पाई जाने वाली रोहोडोसपीन कोशिकाएं उसके सामने आए हुए व्यक्ति की बहुत धुंधली आकृति चित्रित कर लेती है जिसे मृत्यु के बाद भी रेटीना पर से किसी अच्छे कैमरे की सहायता से उठाया जा सकता है। घोंघे के एक व्यापारी ने लंच के समय एक घोंघे का खोल उतारा तो वह उसकी आंखें देखकर चकित रह गया। घोंघे के आंखों में एक महिला का चित्र अंकित था। फ्लोरेंस के एक होटल में एक महिला लूइसा कारडूसी की हुई हत्या के मामले में अभियुक्त का पता मृतक की रेटीना में अंकित हत्यारे के चेहरे से चला था।

(19) जासूसी कुत्ते : आधुनिक अन्वेषण में खोजी कुत्तों की सहायता एक विशिष्ट बात है। अपराधी का पता लगाने में ये कुत्ते अन्वेषणकर्ता का मार्गदर्शन करते हैं। भारत में सन् 1951 में सर्वप्रथम मद्रास में भारतीय पुलिस कुत्ते दल का गठन किया गया था। आज लगभग सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में यह कारगर ढंग से पुलिस अनुसंधान में लगाए जा रहे हैं। जिन कुत्तों की नस्ल इस कार्य में लगाए जाती हैं उसमें प्रमुख हैं— अलशेसियन, डोवरमेन, लेब्राडोर तथा पिनिस्चर्स। इनके अतिरिक्त मडुहोल हाउंड (कर्नाटक), रामपुरी हाउंड (उत्तरप्रदेश), राजापलायम (मद्रास), बंजारा कुत्ता और तिब्बतन कुत्ता। इन नस्लों को ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

कुत्ते ना केवल स्वामीभक्त एवं वफादार होते हैं, अपितु पुलिस एवं सेना में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये ऐसे जीव हैं जिनमें इतनी बुद्धि होती है कि यदि उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तो जासूसी जैसे कार्य भी सफलतापूर्वक करके अपराधियों को पकड़ सकते हैं। ऐसे कुत्तों का मुख्य लक्ष्य अपराधियों को खोज निकालना होता है। यह कार्य ये कुत्ते अपनी सूंघने की शक्ति के माध्यम से करते हैं। जासूसी कुत्ते को प्रशिक्षण देने वाली भारत में भी एक ऐसी संस्था है 'राष्ट्रीय कुत्ता प्रशिक्षण केन्द्र, टेकनपुर' जहां विशेष रूप से विदेशी कुत्तों को प्रशिक्षित किया जाता है।

(20) फेक मनी डिटेक्टर : इसमें एक विशेष प्रकार का रासायनिक द्रव्य भरा होता है जो कागज पर भूरे काले रंग का निशान छोड़ देता है किन्तु करेंसी नोट पर इसका निशान दिखाई नहीं देता है। फेक मनी डिटेक्टर इसी फर्क को पकड़ता है। अमेरिका में हाल ही में नकली नोटों के जांच के लिए 'फेक मनी डिटेक्टर' नामक एक विशेष पैन बनाया गया है जो विश्व भर के लगभग 150 किस्मों के करेंसी नोटों की तत्काल जांच कर सकता है। करेन्सी नोट एक विशेष प्रकार के आयातित कागज पर ही छापे जाते हैं जबकि नकली नोट छापने वाले ठग सामान्य कागज का प्रयोग करते हैं।

(21) लाई डिटेक्टर : मनुष्य के आंतरिक धारणाओं को प्रकट करने वाली मशीन इस शताब्दी

का एक आश्चर्य है मानव मन को पहचानने वाली यह मशीन झूठ दर्शक यंत्र कहलाता है। 1926 में इस यंत्र का आविष्कार प्रो. किलर ने किया था। इनके माध्यम से क्रमशः श्वास की दर, रक्तचाप और हृदय की गति तथा मानसिक भावनाओं में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यह यंत्र व्यक्ति की श्वास क्रिया, रक्तचाप, नाड़ी की गति एवं त्वचा की संवेदनशीलता को अंकित कर अपराधी के मन तक पहुंच जाता है। मानव मन को पहचानने वाला और मनुष्य की आन्तरिक भावनाओं को प्रकट करने वाला एक और विलक्षण यंत्र है 'लाई डिटेक्टर' अर्थात् झूठ दर्शक यंत्र। इसमें मुख्यतः तीन यंत्र होते हैं—नेमाग्राफी, कार्डियोस्पीमोग्राफी एवं साइकोगेलवेनोग्राफ। यहां यह भी उल्लेख है कि टेक्सास युनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि झूठ बोलने का काम दिमाग करता है, ना कि दिल। प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ है कि 'फंक्शनल मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेंजिग इक्विमेन्ट' नामक उपकरण से यह पता चल जाता है कि झूठ बोलते समय मस्तिष्क का पेरिएन्टल लोब नामक वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो आम तौर पर गणना करने के लिए प्रयुक्त होता है। मैनचेस्टर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में झूठ पकड़ने वाली एक सटीक मशीन का आविष्कार किया है। परीक्षण से यह मशीन 80 प्रतिशत तक सटिक साबित हुई है। साइलेंट टाकर नाम यह मशीन यह भी बता देती है कि बोलने वाला व्यक्ति आधा झूठ बोल रहा है या पूरा सफेद झूठ।

(22) पॉलीग्राफ : इस यंत्र के सामने यदि किसी व्यक्ति द्वारा झूठ बोला जाता है तो इस यंत्र के पटल पर झूठ बोलने के संकेत उभर जाते हैं। झूठ को पकड़ने वाला एक और यंत्र पॉलिग्राफ है। पॉलिग्राफ नामक यह यंत्र पूरी संवेदनशीलता के साथ ग्रहण करता है। झूठ बोलते समय मनुष्य की मानसिक उत्तेजना बढ़ जाती है और इस उत्तेजना के कारण कुछ ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का हारमोन निकलने लगता है जिसके कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है और रक्तचाप भी बढ़ जाता है। पॉलीग्राफ नामक यह यंत्र इन सब परिवर्तनों को पूरी संवेदनशीलता के साथ ग्रहण करता है।

(23) आवाज पहचानने वाली मशीन : इस तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए चण्डीगढ़ की अपराध विज्ञान प्रयोगशाला में इसका एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसका लाभ यह है कि इसमें विभिन्न तरीकों से आवाज और उच्चारण का परीक्षण किया जा सकता है और जिसकी आवाज का परीक्षण करना है उससे लिखी हुई सामाग्री पढ़वाने या सवाल पूछने की आवश्यकता नही पड़ती। विगत दिनों संसद पर हमला करने वाले षड्यंत्रकारियों को पकड़ने में आवाज पकड़ने वाली मशीन का सहारा लिया गया था।

(24) कर चोरी पकड़ने वाला साफ्टवेयर : इसे 25 बिंदुओं के आधार पर मूल्य संवर्धित कर प्रणाली (वैट) को ध्यान रखकर इस प्रकार बनाया गया है कि व्यापारी जैसे ही रिटर्न फाइल करेंगे यह उसका विश्लेषण करेगा। विश्लेषण से यह पता चल जाएगा कि किसमें कम और किसमें ज्यादा कर की चोरी की गई है। बिक्रीकर विभाग द्वारा एक ऐसा साफ्टवेयर तैयार किया गया है जिससे कर चोरी पर शत प्रतिशत रोक लगाई जा सकेगी। इस साफ्टवेयर का नाम रिस्क असेसमेन्ट साफ्टवेयर रखा गया है।

(25) इलेक्ट्रॉनिक कैमरे : अमेरिका में ओसामा बिन लादेन के पश्चात् वहां असुरक्षा की आशंकाए घर कर गई हैं। इस शंका से उभरने के लिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इलेक्ट्रॉनिक कैमरों का अविष्कार किया गया है जो पल-पल की खबरें रखते हैं। इस कैमरे से सभी व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों की नजर में रहते हैं। इन कैमरों से युक्त निगरानी केंद्र में बैठे सुरक्षा अधिकारी पूरे शहर को देख सकते हैं।

(26) ई—क्रॉप्स प्रोग्रामिंग : 50 करोड़ रुपये की लागत का यह नेटवर्क 1585 थानों को जोड़ने

वाला पुलिस से संपर्क का आसान माध्यम होगा। अब नजदीक के थाने में दर्ज हुई रिपोर्ट को बदला नहीं जा सकेगा क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को उसका प्रिंटआउट मिल जाएगा। अभी हाल ही में आंध्रप्रदेश में 'ऑनलाइन पुलिस नेटवर्क ई-कम्प्यूटराइज्ड आपरेशन ऑफ पुलिस सर्विसेज' का शुभारम्भ किया गया है।

(27) कम्प्यूटर पर अपराधियों का रिकार्ड : देश भर के पुलिस मुख्यालयों को इस कम्प्यूटर स्कीम से जोड़ने के पश्चात् पुलिस की संचार व्यवस्था में काफी सुधार आ जाएगा। इसके लिए एक 'साफ्टवेयर प्राइम क्राइम इन्फोरमेशन सिस्टम' (पी. सी. आई. एस.) तैयार किया गया है। इसके बाद 'पोलनेट' का निर्माण कर कम्प्यूटरों को आपस में जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की पहल पर संपूर्ण देश में एक ऐसी कम्प्यूटराइज्ड सेवा प्रारम्भ की गई है जिसमें 'की' बटन दबाते ही अपराधी का पूरा रिकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

उपरोक्त विधियां अत्यंत वैज्ञानिक हैं तथा पुलिस अनुसंधान में वे अहम भूमिका अदा कर सकती हैं यदि अन्वेषणकर्ता सावधानी से अनुसंधान में इनका प्रयोग करें। पुलिस को विशिष्ट उपलब्धि यह दिला सकती है तथा एक से एक कठिन अज्ञात काण्डों का उद्भेदन में सहायक सिद्ध हो सकता है। पुलिस को अनुसंधान में सदा धैर्य और वैज्ञानिक तरीके ही अपनाने चाहिए क्योंकि बिना किसी दूसरे साक्ष्य के भी, ये न्यायालय में अधिक टिकाउ और विश्वसनीय माने जाते हैं तथा सही अपराधियों को सजा दिलाने में अत्यंत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं।

❒

अपराधी, अभिकर्ता और पुलिस
नवीन समाजशास्त्रीय अवलोकन

श्री संजय मल्होत्रा,

वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
सी.एफ.एस.एल., पांचवा तल,
ब्लॉक नं. 4, सी.जो.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोदी रोड़, नई दिल्ली—110003

निःसंदेह सामर्थ्यवान के भीतर ही वह अंतःशक्ति निहित होती है, जिसके बलबूते पर वह अपने मार्ग में आने वाली संपूर्ण बाधाओं का डटकर सामना कर पाता है। संसार में मानव प्रादुर्भाव के समय से ही स्वयं को असुरक्षित अनुभव करता रहा है? साक्ष्य बताते हैं कि बलवान व शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व दुर्बल व्यक्तियों का शोषण करते रहे हैं। कभी-कभी शोषित वर्ग द्वारा अन्याय के विरुद्ध कठोर आवाज उठाने के कारण न केवल कानून व शांति-व्यवस्था भंग हुई, बल्कि आक्रामक हमलों के तहत कई लोग भी मारे गए। अतः शासकों ने अपने-अपने ढंग से गुप्तचर विभागों का संगठन एवं प्रादुर्भाव किया। कालांतर में इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने पुलिस जैसे संगठन का निर्माण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज के हर वर्ग के विकास एवं उसकी सुरक्षा हेतु पुलिस बल जैसी संस्थाओं की परम आवश्यकता है।

देश के प्रजातांत्रिक स्वरूप को देखते हुए पुलिस के कर्तव्य एवं दायित्व का दायरा काफी विस्तृत एवं पेचीदा बन गया है। यह सही है कि पुलिस को काफी कानूनी अधिकार प्राप्त है लेकिन उनके दुरुपयोग का अधिकार प्राप्त नहीं है। समाज के रीति-रिवाज तथा संस्कृति समय के साथ-साथ परिवर्तित होती रहती है। सामाजिक जागरूकता, प्रगति विकास व शिक्षा के निरंतर प्रयास से पुलिस को भी सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, कानूनी नियमों व मानवता को ध्यान में रखते हुए कानून में शांति-व्यवस्था लागू करनी चाहिए। शायद पुलिस नहीं जानती कि कानून-व्यवस्था का वही मुख्य द्वार है, रक्षिका है तथा उसका सजग हो जाना, आक्रामक रुख अख्तियार कर लेना कई अनर्थों को रोक पाने में समर्थ हो पाएगा, कितनों को न्याय दिला पाएगा, समाज में उसकी छवि उज्ज्वल व भव्य होगी। अतः पुलिस कानून की रक्षक है, भक्षक नहीं। यदि पुलिस ही भक्षक हो जाएगी तो रक्षा का कार्य कौन करेगा। पुलिस द्वारा कहे गए शब्द अनुकरणीय होते हैं।

पुलिस कभी-कभी विभिन्न प्रकार के दबाव, निजी स्वार्थ व अन्य कारणवश अपनी परिसीमाओं को लांघकर कानून का उल्लंघन कर जाती है। संचार-माध्यमों द्वारा प्रदर्शित तस्वीर निश्चित रूप से पुलिस की छवि को धूमिल ही करती है। पुलिस के गलत रवैए और रुखेपन की वजह से आज भी पुलिस जनता की दोस्त नहीं बन पाई है।

पिछले तीन दशकों में अपराधों की दुनिया में हुए अनेकानेक अनुसंधानों व अंवेषणों द्वारा यही प्रयास किया गया कि समाज में बढ़ते हुए अपराधों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। उपरोक्त सभी प्रयासों के पीछे यही उद्देश्य रहा कि राष्ट्रपिता गांधी के सपनों के देश भारत में सुख-शांति, चैन और अपराध-विहीन भारत का सुराज स्थापित हो सके। आज भी इन प्रयासों में सरकार व प्रशासनिक अधिकारी निरंतर कार्यरत हैं और कानून में भी इन अपराधों में कमी लाने, निर्धनों व शोषित परिवारों को निःशुल्क सलाह देने हेतु कई बार अलग-अलग स्तरों पर राज्यों में भी परिवर्तन किए गए। पुलिस आचरण-संहिता एवं अपराध दंड प्रक्रिया में भी सुधार के कदम उठाए गए। जहां कहीं भी पुलिस के

द्वारा अपराधियों के कदम उठाए गए। जहां कहीं भी पुलिस के द्वारा अपराधियों पर अत्याचार करने व सताए जाने पर आचरण-संहिता में परिवर्तन आया, वहीं अपराधों की छानबीन करने में भी कुछ सावधानियां बरतने, अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उन पर मानवीय आधार पर सोचने-विचारने पर भी कानून पारित करने का विचार किया गया। यह सब करने का तात्पर्य यही था कि समाज में अपराधों पर अकुंश लगे और पुलिस प्रशासन चुस्त-दुरुस्त कार्य कर सके तथा अपराधी को कानून के सुपुर्द किया जा सके। किंतु ऐसा कुछ न होकर अपराध, अपराधी और पुलिस के मध्य एक ऐसे नए समीकरण ने जन्म लिया जिसने अपराधों, अपराधियों और पुलिस अंवेषण की खोजी प्रक्रिया को कानून की गिरफ्त से कोसों दूर फेंक दिया।

राज्यों की कानून एवं न्याय-व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में पुलिस-प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि पुलिस से बचकर अपराधी आखिरकार भागकर जा भी कहां जा सकता है। किंतु यह उक्ति तभी तक सार्थक होती है जब तक कि अपराधी को पकड़ने में पुलिस अपने अपराध-अनुसंधान ज्ञान का पूरा-पूरा उपयोग ईमानदारी से करे।

समाज में रहने वाले लोगों को भी यह अवसर नहीं आने देना चाहिए कि संगठित समाज में शांति, व्यवस्था और कानून-व्यवस्था का वे उल्लंघन कर समाज में अशांति, अव्यवस्था एवं आपराधिक गतिविधियों को उकसाने का कार्य करें। जो लोग राज्य एवं शासन द्वारा स्थापित कानूनों का पालन नहीं करते, उन्हें नियंत्रित करने, उन पर कानूनी कार्रवाई करने एवं उचित दंड दिलाने की व्यवस्था पुलिस-प्रशासन एवं न्यायालयों द्वारा की जाती है।

प्रत्येक समाज में व्यक्तिगत एवं गिरोह रूप में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो असामाजिक तत्व के रूप में सक्रिय रहते हैं, अशांति व दंगा-फसाद करते हैं, अपराध करते व कानूनों को तोड़ते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए पुलिस-प्रशासन का संगठन जिला-राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है ताकि वे अपराधों पर नियंत्रण लगाए, अपराधियों को पकड़े और उन्हें अदालत के समक्ष दंड पाने हेतु प्रस्तुत करे। पुलिस प्रशासन यदि चाहे तो अपराध, अपराधियों व अपराधों में होती हुई दिनोंदिन वृद्धि को रोका भी जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अपराधियों को सजा मिले और निष्पक्ष न्याय के लिए मध्यस्थ मार्ग को न अपनाया जाए तब ही पुलिस सही मायनों में अपराधों की संख्या में कमी ला सकती है व नागरिकों के साथ सच्चा न्याय कर पाएगी। अपराधों को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प पुलिस प्रशासन को निम्नांकित क़दम उठाने होंगे :

1. मध्यस्थ व्यक्ति को प्राथमिकता न दी जाए : जिला-पुलिस प्रशासन जिले के ग्रामों के पूर्व अपराधियों की सूची तैयार करके थाना-प्रभारियों को हिदायत दे कि जिस किसी भी क्षेत्र में उक्त प्रकार के प्रभावशाली पूर्व अपराधी हों, उनसे किसी भी प्रकार की मदद समस्याओं को निपटाने में न लें। जब पुलिस मध्यस्थ व्यक्ति से सलाह नहीं लेगी और प्रत्यक्षतः अपराधी और फरियादी पक्षों से पूछताछ करेगी गवाहों पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा तो अपराध में कोई न कोई निर्णय निश्चित होगा। अपराधियों को सजा मिलेगी तो उनके चरित्र में भी सुधार आएगा तथा दंड मिलने से समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिणामस्वरूप वह फिर अपराध करने से पूर्व सौ बार सोचेगा व डरेगा भी।

2. पुलिस को निष्पक्षतापूर्वक व्यवहार करना होगा : पुलिस प्रशासन स्वयं जानता है कि आए दिन पुलिस पर अनेक आरोप भ्रष्टाचार, बलात्कार, निर्ममता एवं अनैतिकता के लगाए जाते रहे हैं फिर भी भारतीय पुलिस ने अपनी छवि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बनाए रखने की हर संभव कोशिश की है। हम यह नहीं कह सकते कि सर्वत्र पुलिस भ्रष्टाचारी और निर्मम ही होती है। फिर

भी जिन क्षेत्रों में पुलिस की छवि उनके अनुशासन एवं राष्ट्र-निर्माण के अनुरूप नहीं है, जनता और नेताओं की दृष्टि में जिन्होंने अपने विभाग का नाम बदनाम कर रखा है, ऐसे क्षेत्र के पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस अनुसंधान व अपराध अंवेषण शाखा के अंतर्गत गुप्त रूप से जांच कार्य करनी चाहिए और राज्य पुलिस विभाग अथवा सी.बी.आई. (केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो) को इनके कारनामों की सूचना देकर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

3. पुलिस को भ्रष्टाचार मुक्त रहना होगा : यदि कभी पुलिस संगठन और उसमें कार्यरत कर्मचारीगण एक दृढ़-निश्चय करें कि कभी भी किसी भी हाल में घूस, रिश्वतखोरी को स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि रिश्वत देने वालों के खिलाफ ही ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में कोई भी ऐसी गुस्ताखी करने से पूर्व दो बार सोचने पर मजबूर होगा कि पुलिस अधिकारियों से भ्रष्टाचारपूर्ण तरीकों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार के समूल नाश के साथ ही सभी ओर अमन व शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकेगा, चहुँ ओर खुशहाली हो सकेगी, अपराधियों को समुचित दंड मिल सकेगा व शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर उचित कार्रवाई हो सकेगी। असली मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। पुलिस-आचरण संहिता का पालन करते हुए पुलिस अधिकारियों व जांचकर्त्ताओं को अपराधों की निष्पक्षतापूर्वक जांच तथा पैसों का लेन-देन न कर, घूसखोर को ठोकर मारकर कार्य संपन्न करना चाहिए।

4. पुलिस किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति व संस्था के प्रभाव में न आए : पुलिस यदि किसी भी क्षेत्र अथवा राज्य में अपराधों की छानबीन करती है तो उसे अपने स्वयं के दल पर यह विश्वास होना चाहिए कि वह किसी भी अपराध की सही जांच अपनी शक्ति, विवेक और बुद्धि से कर सकती है जबकि वह किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के कथनानुसार अपराध की जांच न करके निष्पक्ष व निरपेक्ष रह कर करेगी। किसी भी नेता, दादा किस्म के अलावा पुराने अपराधी को साथ में रखकर उनकी बातों में आकर जांच नहीं करनी चाहिए। निष्कर्षतः जांच-कार्य का निष्पादन अपराधी को सजा दिलवाने की नियत से होना चाहिए, न कि उसे रिश्वत लेकर छोड़ देने मात्र से। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पुलिस अधिकारियों के पास सरकार द्वारा प्रदत्त इतने अधिकार व शक्ति प्राप्त होती है कि वे हर अपराध की जड़ों तक जाकर अपराधी को खोज निकालते हैं।

वर्तमान समय में तो अपराधों व अपराधियों की स्थिति में भी परिवर्तन आता जा रहा है। अपराधकर्ता व वे सभी लोग जो अंशतः या पूर्णरूपेण अपराधों में लिप्त होते हैं, वे यही चाहते हैं कि वे पुलिस और न्यायालय में आने से बच जाएं अतः वे पुलिस व मध्यस्थों की जेब गर्म करते हैं। ऐसा होने पर न तो अपराधियों को सजा ही मिलती है और न ही अपराध समाप्त होते हैं बल्कि ये ही अपराधी बार-बार अनेक अपराध करते हैं और पुलिस को प्रलोभन देते हैं व पुनः अपराध का चक्र आरंभ हो जाता है। इसीलिए उक्त कांकश को तोड़ने हेतु पुलिस वालों को अपराधी की अच्छी तरह खबर लेनी चाहिए।

ज्ञातव्य हो कि अपराध और अपराधियों के मध्य पुलिस की भूमिकाओं को सदैव संदेहास्पद एवं विवादास्पद माना जाता रहा है क्योंकि पुलिस पर यह सीधा आरोप लगाया जाता है कि पुलिस कुछ अपराधियों की वजनदार पार्टी से पैसा खाती हैं, परिणामस्वरूप निर्दोष लोग फंस जाते हैं और दोषी अदालतों से बरी हो जाते हैं। पुलिस की छवि अत्यधिक कलंकित न हो, अतः समय-समय पर भारतीय स्तर पर उनके वेतनमान, पदोन्नति, सुविधाएं एवं सेवा-निवृत्ति के समय उनको आर्थिक लाभ आदि की घोषणा की जाए ताकि पुलिस-परिवार अपना जीवनस्तर व रहन-सहन सुधार सके। पुलिस दशा सुधारने के लिए भारत सरकार व राज्य-सरकारों ने अपने-अपने प्रदेशों में काफी सुधार किया, किंतु इन सुधारों ने पुलिस की स्वार्थी

व भ्रष्टाचार की आंतरिक वृत्ति को सुधारने में मदद नहीं की। इसका कारण राष्ट्रीय तथा सामाजिक सुधार की भावनात्मकता का अभाव रहा।

जैसे-जैसे देश प्रगति करता गया, देश में कालाबाजारी अवैध व्यापार व नंबर दो के धंधों का जोर भी बढ़ता गया। काले-धंधों के बढ़ने व नशीली वस्तुओं के आयात-निर्यात ने पुलिस-विभाग को अधिक आकर्षित व भ्रष्टाचार में लिप्त किया। इसी भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों ने छोटे-छोटे थानों, बैरियर्स एवं चौकियों पर भी अपने हफ्ते और माहवार आमदनी के साधन ईजाद कर लिए। अपराधी अपराध करते, पुलिस उन्हें पकड़ने का जाल बुनती और कुछ कर्मी उनसे पैसा खाकर उन्हें पुनः अपराध करने की ओर प्रवृत्त कर देते हैं। ऐसा करते रहने से अपराधी और पुलिस की घनिष्ठता चोली-दामन सी बढ़ती गई। शहरों में थाना बंधा हुआ होने की बात तो समझ में आती है किंतु जब गांवों में भी अपराधी और पुलिस के बीच एजेंटों की भूमिका निभाने वाले प्रतिष्ठित गुंडे अपना व्यवसाय छोड़कर दलाली करने लगें तो, अपराध, अपराधी और पुलिस का कार्य और भी सुगम होने लगा।

ब्लैक-लिस्टेड अपराधियों द्वारा अपराध के नए तरीकों का अपनाया जाना—

शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर होने वाले अपराधों का वर्गीकरण करके हम पता लगाएं तो हमें मालूम पड़ेगा कि आज से आठ-दस वर्ष पूर्व शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपराध होते थे उनमें अपराधी स्वयं शामिल रहते थे। यदि कोई जुर्म करता था तो कुख्यात चोर, गुंडा व बलवाई सीधे पुलिस के शिकंजे में फंसता था और ऐसे अपराधियों की तथाकथित सूचियां थानों में होती थीं। इन सूचियों के अपराधियों के क्षेत्रों में जब भी कुछ गड़बड़ियां होती थीं तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन नामज़द अपराधियों को ही तलाशती थी और अपराध का सुराग इनसे ही मिल जाता था। उक्त स्थिति में पुलिस तथा अपराधी सीधे-सीधे एक दूसरे के आगे-पीछे व आमने-सामने होते थे और गवाह तीसरे त्रिकोण के रूप में अपराध को सिद्ध करने के पक्ष में साक्ष्य के रूप में उपयोगी होते थे।

शहरों एवं ग्रामों में सामाजिक प्रगति व विकास की प्रक्रिया के साथ अपराधों एवं अपराधियों की श्रेणियों में भी परिवर्तन हुआ। पुराने अपराधी समाज में प्रतिष्ठित होते गए और नई पीढ़ी को अपराध करवाने की ओर प्रवृत्त हुए।

सहयोग करने के तरीके

1. **मजबूरों की आर्थिक मदद करना—खेती, विवाह, धार्मिक कार्य आदि।**
2. **सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व आपराधिक तरीके।**
3. **सहानुभूति दर्शाना।**
4. **समाज-व्यवहार तलाक।**
5. **मित्रों की मित्रता में दरार उत्पन्न करना।**

पुराने अपराधियों का प्रतिष्ठित होना, उनके गलत तरीकों से हथियाए धन का कारण बनता गया। उनको समाज में धनवान होने का सौभाग्य मिला परंतु दूसरी ओर ऐसे अपराधियों ने अपने अपराधी दलों का विस्तार किया, विभिन्न क्षेत्रों में फैले अपराधी दल पुराने अपराधी के मार्गदर्शन में कार्य करते रहे और हिस्सेदारी में भी शामिल होते रहे। इस तरह के अपराध में भी पुलिस की छापामार वृत्ति के कारण अपराधियों से चोरी का माल राजसात हो जाता था अतः यह पद्धति भी अपराधियों के लिए कारगर सिद्ध नहीं हुई।

समाज व्यवस्था में अनेक दोषों के व्याप्त हो जाने से इन अपराधियों को पुनः नई तकनीकों को अपनाना पड़ा जैसे किसी लड़की को किसी लड़के के साथ भागने में मदद करना और लड़के वालों से पैसे लेना। किसी बहू को उसके सास-ससुर के कहने पर पति द्वारा छोड़ दिए जाने में मदद करना और पैसे लेना। किसी दामाद को

रुपये देकर ऐसे गुंडों के गिरोह से पिटवाना आदि। ऐसे सामूहिक अपराधी दलों की कार्रवाई में दो दलों में भी टक्कर का होना स्वाभाविक होता रहा, अधिक शक्तिशाली दल ने अपने रौब से, अपने आतंक से जनता पर अपनी शक्ति से आधिपत्य प्राप्त किया, स्वयं को अपराध से दूर रखकर ग्रामवासियों को आपस में लड़वाना, मरवाना, कटवाना शुरू किया तब से, पुलिस ने भी अपना रवैया बदल लिया और सरपंच अथवा विद्यालय प्रमुख को छोड़ ग्रामों के प्रमुख तथाकथित ब्लैक-लिस्टेड सूची के अपराधियों से मिलना ही उचित समझा।

चूंकि ग्राम-सरपंच, ग्राम-मुखिया अथवा विद्यालय शिक्षक से पुलिस विभाग को आर्थिक लाभ के कोई आसार नहीं आते। अतः होशियार व प्रबुद्ध पुलिस-अधिकारियों ने गांव को काली-सूची में दर्ज अपराधियों का सहयोग लेना उचित समझा। गांव के अधिकांश अपराधी चूंकि ऐसे खास लोगों के शिकंजे में रहते रहे हैं। अतः पुलिस को आर्थिक लाभ के लक्षण दृष्टिगोचर हुए और पूर्व अपराधी व पुलिस के नीतिबाज अधिकारियों की सांठ-गांठ ने अपराध के नए त्रिकोण को जन्म दिया।

अपराध का नया त्रिकोण अभिकर्ता

यह तो सर्वविदित है कि समाज कोई हो कैसा भी हो, उसमें अपराध और अपराधी को बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है, फिर भी समाज व्यवस्था में अपनी कोई दंड-प्रक्रिया न होने के कारण अपराधों पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि न्याय और दंड सरकार का विषय है जो नागरिकों को अपराध करने पर रोक लगाती है। अतः पुलिस और न्यायालय ही जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं।

ग्रामीण-क्षेत्रों में जहां अपराधों के व्यापक पैर फैल चुके हैं साथ ही ग्रामीण अर्थतंत्र भी सुधर चुका है, अपराध करना या करवाना एक व्यावसायिक अपराध की श्रेणी में आ गया है। बड़े अपराधियों ने स्वयं को अपराध से दूर रखने के बड़े सीधे किंतु पुख्ता तरीके खोज लिए हैं। इन तरीकों में दो-पार्टियों को लड़वाना और फिर दोनों को पुलिस की ओर से संगीन जुर्म में फंसाकर, पुलिस और अपराधियों के बीच मध्यस्थता कर उनमें सौदेबाजी करना प्रमुख है। पुलिस अधिकारी भी उसी स्थान पर ऐसे अभिकर्ता बनाने में सफल होते हैं जहां उस अभिकर्ता का पूरे क्षेत्र में आपराधिक दबदबा बना हुआ है। ऐसा अभिकर्ता जो पूर्व में शहरी, ग्राम अथवा क्षेत्र-विशेष का प्रमुख गुंडा रह चुका होता है, पर अब वह बैठे-बैठे पुलिस व समाज के मध्य अच्छा बना रहता है व रहना चाहता है, पुलिस को अपने वैभवी प्रभाव से आकर्षित करता है, कुछ धन का प्रलोभन भी देता है और जिला पुलिस के मंडल निरीक्षक अथवा शहर-निरीक्षक से सौदेबाजी पर क्षेत्र-विशेष की अपराध एजेंसी का अभिकर्ता बन बैठता है। इसी तरह अपराध जगत का यह तीसरा त्रिकोण फलने-फूलने लगता है और समाज अपराधों की दलदल में फंसता रहता है।

अपराधी-अभिकर्ता की भूमिका

पुलिस के अधिकारी जब छोटे-मोटे अपराधों की छानबीन करने ग्रामों में आते हैं तभी ऐसे तत्व उनकी सेवा में उनके इर्द-गिर्द मंडराने लगते हैं। ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्र के नागरिक प्रमुख अपराधी की गतिविधियां एवं समाज में उनकी परिस्थिति को समझते हुए उनसे किसी भी प्रकार का वैरभाव अथवा विरोध नहीं करना चाहते किंतु इन्हीं ग्रामीणों में से कोई व्यक्ति अथवा परिवार लड़ाई-झगड़े में फंस जाते हैं तो पुलिस और लड़ाई करने वाले लोगों के बीच मध्यस्थता करने का कार्य ग्राम का नहीं, तथाकथित काली-सूची का पूर्व अपराधी करता है। जो कई दिनों से क्षेत्र विशेष की आपराधिक गतिविधियों का केंद्र-बिंदु रहा होता है। ऐसा व्यक्ति पुलिस को प्रलोभन और अपराधियों को झगड़े से छूट जाने का आश्वासन देता है, अपने को पुलिस का

एजेंट मानने वाला ऐसा व्यक्ति पुलिस एवं अपराध में फंसे व्यक्तियों से कुछ निश्चित राशि तय करता है। उदाहरणार्थ—एक मर्डर केस में दो पार्टियां फंस जाती हैं तब दोनों पार्टियां गांव के उक्त व्यक्ति से अलग-अलग मिलती हैं। अपराध-जगत का यह खिलाड़ी सबसे पहले उन्हें आश्वस्त करता है कि वह टी.आई, आर.आई, सी.आई और एस.पी. साहब से बात करके देखेगा। दोनों पक्ष तब तक अपने-अपने स्तर पर पैसों की व्यवस्था में लग जाते हैं। मध्यस्थता कर रहा वह आदमी टी.आई व सी.आई से मिलता है। बात एक निश्चित राशि पर तय हो जाती है। चूंकि अपराध में फंसे लोग सीधे पुलिस तक नहीं पहुंचते, अपराधी फलते-फूलते रहते हैं और पुलिस की तहकीकात यत्र-तत्र चलती रहती है।

अभिकर्ता और पुलिस की भूमिका : एक परिप्रेक्ष्य

ग्रामीण क्षेत्रों में घटित उक्त प्रकार के अपराधों की जब पुलिस तथाकथित समझौते के अनुरूप छानबीन करती है, उसी दरम्यान दोनों पक्षों से एक निश्चित राशि तय कर क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी अथवा शहर-निरीक्षक के पास जाता है। संबंधित पुलिस अधिकारी अभिकर्ता को आया जान प्रसन्न होता है। ऐसे पुलिस अधिकारी नियोजित तरीके से संबंध बनाए रखते हैं और अभिकर्ता के आने का इंतजार करते हैं। अभिकर्ता और अपराध की छानबीन में लगा क्षेत्रीय अधिकारी सामान्यतः शाम या रात्रि में ही मिलते, उठते-बैठते हैं और सभी प्रकार के मामलों पर स्वच्छंद होकर चर्चा करते हैं। जिस प्रकार किसी जंगली शेर को आदमी के खून का एक बार चस्का लग जाता है और फिर वह आदमखोर होकर जाने कितने असहाय मानवों का खून पीता रहता है, उसी तरह अभिकर्ता एवं पुलिस गुनहगार दोनों को अपनी स्वार्थी चालों में फंसाकर उनसे पैसा ठगते रहते हैं। अपराध में चाहे कितना बड़ा आदमी अथवा कई आदमी फंसे हों, उन्हें रुपयों के लेन-देन से ही तथाकथित अभिकर्ता और पुलिस बचा लेती है।

अभिकर्ता और राजनीतिक दल

ऐसे लोग जो अपराध को ही जिंदगी समझते हैं उनके लिए अपराध व्यवसाय ही बन जाता है। ऐसे अपराधी संपूर्ण जिले में ख्याति अर्जित किए होते हैं और राजनीतिक दलों से भी संबंद्ध होते हैं। जो अपराधी अभिकर्ता की भूमिका का निर्वाह करता है वह किसी दल-विशेष का पंजीबद्ध सदस्य नहीं होता। वैसे भी यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि ग्राम का स्तर राजनीतिक दलों का अस्तित्व क्षणांश ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश अथवा किसी भी राज्य में राजनीति कम पर वैमनस्य की नीतियां अधिक होती हैं। चूंकि पूरी न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन से अदालत तक अपराधी के समाधान में रिश्वत लेने की श्रृंखला से सारे लोग ही जुड़े होते हैं अतः अपराध दब जाता है और अन्याय के विरुद्ध बोलने अथवा लिखने वाला व्यक्ति मूर्ख बनकर लौट जाता है।

मध्यस्थों अथवा राजनीतिक दलों के दबदबे के कारण ही, इसी मनोवृत्ति को धारण करके साधारण जनता, समृद्ध, धनी वर्ग, नेता और प्रभावी समाज सेवक इनके बीच में नहीं पड़ते। ऐसे व्यक्ति इतने कुशल तथा चतुर होते हैं कि सभी प्रकार के प्रतिष्ठितों में अपने को शामिल करके उनकी सहानुभूति अर्जित करते रहते हैं और अपराधों में भी सक्रिय बने रहते हैं। समाज के प्रतिष्ठित अथवा राजनीतिक दल के प्रमुख व्यक्ति यह सब जानते हुए भी कि फलां आदमी बहुत बड़ा अपराधी है अथवा स्मगलर है फिर भी उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करते। समाज के लोगों द्वारा कुछ न किए जाने और भयभीत होकर बैठे रह जाने का ही परिणाम होता है कि ऐसा व्यक्ति सरगना बन बैठता है। अभिकर्ता राजनीतिक पैठ रखने वाले लोगों से मिले रहते हैं और अपराध जस का तस पूर्ववत् ही रहता है। प्रकरण की फाइलें थानों में बंद हो जाती हैं और पुनः नए अपराधों की श्रृंखलाओं की शुरूआत होती है।

पुलिस की भूमिका

उक्त अपराध के संपूर्ण प्रकरण में पुलिस की भूमिका तटस्थ होती दिखाई देती है। यद्यपि ऐसे अपराधों की पुलिस को विस्तृत जानकारी होती है फिर भी कुछ मानवीय कमजोरियों के कारण, धन-संग्रह की लालसा, स्वार्थ एवं धनवान बनने की इच्छा के कारण पुलिस भी सारे प्रकरणों को अनदेखा करने की प्रवृत्ति से घिर जाती हैं। पुलिस यदि ऐसा भी न करना चाहे और कठोर अनुशासन, शक्ति और ईमानदारी का परिचय दे तो भी अनेक प्रकार से उस पर दबाव डलवाए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, अतः अपनी नौकरी पर किसी प्रकार का कलंक आने से पहले ही पुलिसकर्मी अपने को अपराधियों के साथ मिलकर काम करने लगते हैं।

तहकीकात करने वाली पुलिस टीम को पूर्व से ही सभी प्रकार की हिदायतें होती हैं, अतः जैसा ऊपर के अधिकारी कहते हैं, वैसा ही पुलिसकर्मी भी करते हैं। अपराधों में डांटना, फटकारना, गालियां देना महत्व नहीं रखता किंतु किसी अपराध में अपराधी का साफ बच निकलना बहुत बड़ी बात है और उक्त सारे प्रकरण में सभी एक-दूसरे को बचाते दिखते हैं किंतु शोषण अपराध में फंसे लोगों का ही होता है। साक्ष्य के बारे में पुलिस का कथन होता है कि जब गवाह ही नहीं है तो केस कैसे मजबूत होगा। ऐसे कथन कभी-कभी जानबूझकर दिए जाते हैं, जबकि उन्हें मालूम रहता है कि अभिकर्ता के दबदबे अथवा प्रभाव से सब कुछ ठीक हो ही जाना है अतः व्यर्थ ही माथा-पच्ची क्यों की जाए। यह स्थिति है न्याय, अपराध और पुलिस के बीच उस व्यक्ति की जो न्याय प्राप्त करना चाहता है किंतु उसे न्याय प्राप्त नहीं हो पाता। समान व्यवस्था, न्याय-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन का एक जैसा न होने के कारण ही अपराध की दुनिया में तीसरे प्रकार के अभिकर्ता ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है और तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं अपराधों को संप्रेषित कर रही हैं।

अंततः कहा जा सकता है यदि जनता कृतसंकल्प होकर पुलिस प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग व योगदान दे तो कोई कारण नहीं कि न केवल देश वरन् संपूर्ण समाज से ही अपराध, अपराधों और आपराधिक मनोवृतियों वाले मनुष्यों का निर्मूल विनाश हो सकेगा। आवश्यकता है एक दृढ़निश्चय की, एकनिष्ठता और लगन की, उत्साह और अदम्य साहस की।

जनमानस करे यदि पुलिस का सहयोग,
तो मिट जाएगा, अपराध रूपी रोग,
सर्वत्र फैलेगी शांति और खुशहाली,
चमकेगी भारतमाता के मस्तक की लाली।।

संदर्भ ग्रंथ

1. डा.सी. अशोकवर्द्धन, पुलिस दायित्व एवं नागरिक-जागरूकता। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार, गृह मंत्रालय।
2. डा.एस. अखिलेश—पुलिस और समाज, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. पुलिस और समाज—डा.पी.एस.भूषण।
4. पुलिस रिक्रुट्स—मानव व्यवहार और पुलिस भाग-II
5. Crime, Criminals & Society—डा.एस.पी. भूषण।
6. अपराध-शास्त्र, जीतकृष्ण सिंह, प्रकाशन केंद्र, लखनऊ।
7. अपराध एवं आपराधिकी-रांगेय-राघव।
8. भारत में ग्रामीण अपराध और पुलिस की भूमिका।

❐

अक्षमता और अपराध के बीच फंसी आम औरतें

डा. यतीश मिश्र

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी,
लो.ना.ज.ना. राष्ट्रीय अपराधशास्त्र वि. संस्थान,
सै.-3, बाहरी रिंग रोड, रोहिणी, दिल्ली-110085

सारांश

प्रस्तुत लेख उन सामाजिक व आर्थिक कारणों को उजागर करता है जो आम औरतों को अक्षम बनाता है। साथ ही उनसे जुड़े अपराधों की प्रकृति एवं उसके परिणामों का भी उल्लेख करता है। अक्षमताओं से जुड़े तत्वों व कारणों का वर्णन करते हुए लेखक यह साबित करता है कि अधिकार और सक्षमता मिलकर एक 'बृहद सक्षमता' का रूप ले लेती है जो व्यक्ति को संपूर्ण रूप से सक्षम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेखक आगे बताते हैं कि भारतीय संस्कृति एवं समाज हमेशा से मानव धर्म का स्रोत रहा है। लेकिन कालांतर में कुछ आंतरिक एवं बाहरी प्रभावों के कारण उसके मानव धर्म में गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, ताकि समय-समय पर बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनकी उचित व्याख्या हो सके तथा इसमें बदलाव लाने की कौन सी जरूरतें हैं। लेख के अंत में औरतों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों में कमी लाने एवं उन्हें और भी सक्षम बनाने के उपायों का जिक्र किया गया है। प्रस्तुत लेख के लिए लेखक ने 'डेस्क रिसर्च' के साथ-साथ संबंधित विषयों के विशेषज्ञों की राय भी ली है।

मुख्य बिन्दु

अक्षमता, अपराध, औरतें, संयुक्त सक्षमताएं, मानव धर्म, मानवाधिकार इत्यादि।

परिचय

अपराध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इस श्रेणी में सक्षम और असक्षम दोनों ही आते हैं। विभिन्न कारणों से अपने समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा अधिक नाजुक है। इसलिए अपराध का दुष्प्रभाव उन पर ज्यादा पड़ता है। हालांकि सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा काफी प्रयास उन दुष्प्रभावों को रोकने के लिए किए गए हैं, फिर भी सामाजिक कुरीतियां व मान्य सामाजिक तौर-तरीकों में ह्रास के कारण दुष्प्रभाव का ज्यादातर असर महिलाओं पर पड़ता है। औरतें जो हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, देश की मुख्य धारा में उन्हें मिलाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक-हर स्तर पर उन्हें सक्षम बनाने की जरूरत है। निःसंदेह रूप से सक्षम एवं सबल औरतें अपराध रूपी दानव के दुष्प्रभाव को रोकने में काफी हद तक सफल साबित होंगी।

अक्षमता के कारण

भारत के साथ-साथ विश्व के बहुत सारे देशों में मानव जीवन के मौलिक कार्यों को करने के लिए जिन आवश्यक वस्तुओं की जरूरत होती है वो आम महिलाओं के पास नहीं है। पुरुषों की तुलना में उन्हें पोषक तत्व एवं स्वास्थ्य सुविधाएं कम मिलती हैं। फलतः शारीरिक हिंसा एवं यौन अत्याचारों को रोकने में वे पुरुषों की अपेक्षा कम सक्षम होती हैं। पुरुषों की तुलना में अशिक्षा एवं तकनीकी कौशल का भी उनमें अभाव होता है जिसके कारण वे शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से कम सक्षम रहती हैं। अगर वे किसी कार्य क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं

तो उन्हें लोगों से धमकियां भी मिलती हैं। कभी-कभी तो ये धमकियां उन्हें अपने परिवारवालों से ही मिलती हैं। किसी तरह विरोध के बावजूद भी किसी कार्यक्षेत्र में लग जाने के बाद संभावना यह बनी रहती है कि उन्हें अन्य तरीकों से परेशान न किया जाए। इस तरह परेशान होने की संभावना शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्रों में बनी रहती है। कुछ देशों में तो महिलाओं को समान कानूनी अधिकार भी नहीं मिला है "उन्हें संघ बनाने का, एकजुट होने का तथा धार्मिक एवं राजनैतिक रूप से समानता प्राप्त नहीं है" (मार्या सी. नूसाहम, 1999)।

अक्सर महिलाएं घर के अंदर की जिम्मेदारियां संभालती हैं। बच्चों का लालन-पालन तथा उनकी देख-रेख करती हैं। लेकिन उन्हें अपने शारीरिक व मानसिक विकास के लिए आवश्यक खेल के अवसर, काल्पनिकता एवं विचारात्मक अभ्यास के लिए समय नहीं मिलता। कुछ समुदायों में बाल-विवाह प्रथा अभी भी प्रचलित होने के कारण महिलाओं को अपने जीवन साथी चुनने का मौका या पसंद का अवसर नहीं दिया जाता। शादी के बाद कटुतापूर्ण वैवाहिक जीवन होने पर अभी भी अधिसंख्य समुदाओं/समाजों में इसके खिलाफ सामाजिक या वैधानिक उपाय नहीं अपनाए जाते। यानी बेमेल विवाह की सूरत में फिर से मेल विवाह की गुंजाइश नहीं के बराबर है। इस तरह से सामाजिक और राजनैतिक सहभागिता में असमानता होने के कारण महिलाएं 'असमान मानव क्षमता' की श्रेणी में आ चुकी हैं।

उन समाजों में जहां कि पुरुषों एवं महिलाओं को कानूनी रूप से समान अधिकार प्राप्त है, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अधिकार न दिए जाने के कारण कानूनी अधिकार बेमानी बनकर रह जाता है। हैरतवाली बात यह है कि अभी भी कुछ समाजों/समुदाओं में महिलाओं को एक अलग पहचान न देकर उन्हें प्रजनन मशीन, देखभाल करने वाली एवं यौन इच्छाओं के पूरक के रूप में देखा जाता है। प्रचलित सामाजिक नियमों के अनुसार लड़कियों को दूसरे घर की बहु के रूप में देखा जाता है। कहीं न कहीं परोक्ष रूप से यह भावना प्रयाप्त रहती है कि लड़कियों के सामान्य विकास में लगाया गया धन बेकार जाएगा। यही धारणा है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को पोषक तत्व तथा शैक्षिक सुविधाएं कम दी जाती हैं। हालांकि संतोषजनक बात यह है कि अभी भी अधिसंख्य समुदाओं में लड़के एवं लड़कियों के बीच किए गए खर्चों में अंतर बहुत कम रहता है। अलबत्ता कुछ अन्य सामाजिक कुरीतियों के कारण लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। उनमें से एक कारण यह है कि अधिक पढ़ाने के बाद उनके लिए योग्य वर की तलाश भी उसी स्तर पर करनी पड़ेगी, जो कि प्रयाप्त दहेज प्रथा के कारण काफी खर्चीला साबित हो सकता है। कुछ समुदायों में ऐसा देखा गया है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं। ऐसी स्थिति में उन समुदायों में शादी संतुलन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है। कई ऐसे भी सामाजिक तथा आर्थिक कारण हैं जिसके कारण कुछ समाजों में लड़कियों का पैदा होना अपशकुन माना जाता है। लेकिन इस दिशा में किए गए प्रयासों से धीरे-धीरे यह समाप्त होता जा रहा है।

शादी के बाद महिलाओं को उनके ससुराल में यथोचित आदर नहीं मिलता। उसके ससुरालवाले उसे अपने प्रिय पुत्र का सहायक, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का जरिया (पौत्र प्राप्ति) एवं परिवार में एक अतिरिक्त कार्य करने वाला समझते हैं। इसके अलावा बहु को 'दहेज की लगातार मांग का माध्यम' भी समझा जाता है। ऐसी स्थिति में लड़की बेबस हो जाती है। कुछेक मामलों में उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अपने देश की अधिसंख्य आबादी गांवों में रहती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण बहु व बेटे को ही इस समस्या से सामना होता है। उपर्युक्त

स्थिति में बेटा अपनी पत्नी और माता-पिता के बीच मूक दर्शक व बेबस बनकर रह जाता है। मानव रिपोर्ट-1997 के अनुसार आम सच्चाई यह है कि 'पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ महिलाओं को लाइफ एक्सपेक्टेंसी, धन एवं शिक्षा के आधार पर पुरुषों के समान समझा जाता है।'

लिंग भेद का सीधा संबंध गरीबी से है। गरीबी और लिंग भेद दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो नतीजा मानवीय क्षमताओं का पूर्ण विनाश होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में पुरुषों की अपेक्षा अशिक्षित महिलाओं की संख्या अधिक है। भारत तथा दक्षिण एवं पश्चिम एशिया में साक्षरता दर में सुधार (70%) हुआ है, लेकिन महिलाओं के बीच साक्षरता दर अभी भी कम है। प्रत्येक 100 पुरुषों में मात्र 60 महिलाएं ही शिक्षित हैं, जो कि विश्व के किसी भी क्षेत्र की साक्षरता दर से कम है (यूनेस्कों, ग्लोबल मानिटरिंग रिपोर्ट, 2007)।

अपराध परिदृश्य

महिलाओं से जुड़े कई प्रकार के अपराध हैं। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं जैसे बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या, प्रताड़ना, छेड़-छाड़, यौन उत्पीड़न लड़कियों की खरीद-फरोख्त इत्यादि। भारत सरकार की प्रमाणिक रिपोर्ट 'क्राइम इन इंडिया-2005', महिलाओं पर किए जाने वाले कुछ अपराधों का खुलासा करती है जैसे :

1. हर 15 मिनट में एक छेड़-छाड़ का मामला।
2. हर 29 मिनट में एक बलात्कार,
3. हर 77 मिनट में एक दहेज मृत्यु का मामला आता है।

सन 2005 के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं पर हुए अपराध की दर्ज संख्या 1,55,553 है जो कि आई.पी.सी. और एस.एल.एल. दोनों को मिलाकर हैं। यह आंकड़े 2004 की तुलना में 8 प्रतिशत ज्यादा हैं।

बलात्कार : लड़कियों के साथ हुए बलात्कार की कुल संख्या 18,376 थी जिसमें से 9.4 प्रतिशत (1,731) लड़कियां ऐसी हैं जो 15 वर्ष से कम आयु की हैं। जबकि 12.7 प्रतिशत (2,344) किशोरावस्था की हैं जिनकी आयु 15 से 18 वर्ष के बीच है। चौंकानेवाली बात यह है कि 15,869 यानी 86.4 प्रतिशत अपराधी (बलात्कारी), बलात्कार की शिकार हुई युवतियों के जानकार थे।

अपहरण : सन 2004 में अपहरण के मामले 15,578 थे। सन 2005 में यह मामले थोड़े ज्यादा (1.1 प्रतिशत) दर्ज किए गए।

दहेज मृत्यु : सन 2004 की अपेक्षा सन 2005 में इसमें कमी आई है। 2004 में यह संख्या 7,020 थी।

प्रताड़ना : सन 2004 में प्रताड़ना के मामले वर्ष 2003 की तुलना में थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई है। यह बढ़ोत्तरी 0.3 प्रतिशत अधिक है।

यौन उत्पीड़न : यौन उत्पीड़न के मामले में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

लड़कियों की खरीद-फरोख्त : लड़कियों की खरीद-फरोख्त मामलों में तो 67.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2005 में दर्ज किए गए कुल मामले 149 थे जबकि वर्ष 2004 में यह केवल 89 थे।

'क्राइम इन इंडिया-2006' की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं पर हुए अपराध की घटनाओं का कुल योग 1,64,761 है जो वर्ष 2005 के आंकड़ों की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। सन 2005 में यह आंकड़ा 1,55,553 था। यानी 2006 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

हमारे देश में 1,64,765 में से 21,484 अपराध आंध्र प्रदेश में दर्ज हुए। अर्थात कुल अपराधों का 13 प्रतिशत आंध्र प्रदेश में दर्ज किया गया। त्रिपुरा में अपराध दर सबसे अधिक (28.1) प्रतिशत रहा। उसके बाद दिल्ली (28 प्रतिशत) का स्थान रहा। यह दर राष्ट्रीय औसत दर की तुलना में 14.7 प्रतिशत है। देश के 35 बड़े शहरों में से दिल्ली में 31.2 प्रतिशत मामले अर्थात

1706 में 533 मामले बलात्कार के दर्ज किए गए। साथ ही 34.7 प्रतिशत अर्थात 2,746 में से 953 मामले अपहरण के, तथा महिलाओं को छिपाकर रखने के हैं।

औरतों के विरुद्ध हुए अपराधों में पिछले पांच वर्ष में खासी बढ़ोत्तरी हुई है। यह बढ़ोत्तरी वर्ष 2002 में 7.4 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2006 में 8.2 प्रतिशत हो गई। मध्य प्रदेश में बलात्कार के सबसे अधिक मामले (2,900) दर्ज किए गए जो कि यह पूरे देश में दर्ज किए गए मामलों का 15 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में (2,714) यानी 27.2 प्रतिशत मामले यौन उत्पीड़न के दर्ज हुए। उसके बाद आंध्र प्रदेश में यह मामले (2, 411) यानी 24.2 प्रतिशत दर्ज किए गए।

अपराध के परिणाम

महिलाओं पर किए जाने वाले अपराधों में बलात्कार सबसे अधिक निमर्म अपराध है। यह महिलाओं की मान-मर्यादा एवं उनकी शालीनता पर होने वाला सबसे गंभीर अपराध है। इसमें महिलाओं का शारीरिक शोषण तो होता ही है साथ ही मानसिक व नैतिक रूप से भी वो टूट जाती हैं। कई समाजों में उन्हें समाज से भी बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसी कारण बलात्कार को 'मरते दम तक की शर्मिंदगी' या हर रोज 'मर मर कर जीना' जैसे नाम दिए गए हैं। यह बदनामी का एक दाग बलात्कार की शिकार हुई महिला के साथ-साथ उसके परिवार पर लग जाता है। बलात्कार की शिकार हुई लड़की अगर अविवाहित है, तो उसका जीवन और भी कष्टदायक हो जाता है। उसके विवाह होने की संभावनाएं भी बहुत कम रह जाती हैं। विवाहित महिला का जीवन भी बड़ा जोखिम भरा होता है। उसे उसका पति का प्यार भी नहीं मिलता जबकि उसमें उसका कोई दोष नहीं है।

अपराध और हिंसा के जो परिणाम होते हैं वह सभी के लिए-स्वयं महिला, उसका परिवार, समाज व वह देश के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काफी नुकसानदायक होता है। अध्ययन यह साबित करता है कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा का सीधा असर उसके रिश्तेदार, परिवार तथा उस समुदाय पर पड़ता है। अपराध की शिकार हुई महिलाओं में सामान्यतः अपराध के जो परिणाम होते हैं वो इस प्रकार हैं— उदासीनता, आत्महत्या, मानसिक आघात आदि। इसके अलावा उन्हें कई खतरनाक बीमारियां लग सकती हैं, जैसे एच.आई.वी. तथा प्रजनन संबंधी गड़बड़ियां। इसका सीधा असर यहां तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी पर भी पड़ता है। उदाहरणस्वरूप यदि एक लडका अपने पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी मां पर किए गए अत्याचार का गवाह है तो वह लड़का अपनी जिंदगी में किसी भी समस्या का समाधान हिंसा के द्वारा करेगा। ऐसे व्यावहारिक नतीजे कुछ मामलों में एक जैसे होते हैं। परंतु कभी-कभी ये थोड़े भिन्न भी होते हैं।

बदले की भावना से संबंधित मामलों में जब एक समूह दूसरे समूह पर आक्रमण करता है तब यह हत्याओं की एक श्रृंखला बना लेता है। ऐसी स्थिति में भी इसका खामियाजा महिलाओं को अधिक भुगतना पड़ता है। अन्य अपराधों के साथ-साथ, बलात्कार भी बदले की भावना का रूप ले लेता हैं। लम्बे समय तक महिलाओं पर होने वाली हिंसा का मनोवैज्ञानिक असर का परिणाम कभी-कभी पीड़ित महिलाओं द्वारा हिंसा या अपराध किए जाते हैं। महिलाओं पर हुए अत्याचार उनके लिए एक बुरे अनुभव की तरह होता है जिससे उन्हें गहरा आघात पहुंचता है। दूसरे लोगों के साथ रहने की क्षमता खत्म हो जाती है, नींद अच्छी तरह नहीं आती है तथा कभी-कभी गुस्सा भी तेज आता है। ये विषम परिस्थितयां उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के अयोग्य बना देती हैं। साथ ही, वे असहाय, शक्तिहीन व निराश भी हो जाती है। अत्यधिक निराशा की भावना उन्हें आत्महत्या तक करवा देती है। कुछेक महिलाएं अपने आपको

समाज से अलग-थलग कर लेती हैं तथा उनमें असुरक्षा की भावना घर कर लेती है।

यह जानते हुए कि अपराध के भयंकर परिणाम होते हैं फिर भी कुछेक महिलाएं उन पर हुए अपराध/अत्याचार को पुलिस में रिपोर्ट नहीं करातीं। यही कारण है कि अन्य अपराधों के साथ-साथ यौन उत्पीड़न के आंकड़े सही नहीं मिल पाते। पुलिस में रिपोर्ट न दर्ज कराने के पीछे मुख्य कारण है अपने परिवार की बदनामी तथा उस समाज में उनकी इज्जत में कमी। यह एक दकियानूसी विचार है जिसे छोड़ने की आवश्यकता है। अन्यथा महिलाओं का विकास एवं सभ्य समाज की रचना एक बेमानी बनकर रह जाएगी। यह समाज में बदनामी का भय केवल भारत में ही नहीं पाया जाता बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी इस तरह की प्रकृति पाई जाती है। चीन में हुए एक अध्ययन के मुताबिक "यौन उत्पीड़न के वे सभी मामले जो दर्ज किए जाते हैं उसमें 18 प्रतिशत मामलों में ही लड़कियों द्वारा अपने माता-पिता को उनके ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताया जाता है। 4 प्रतिशत से भी कम मामले आगे अधिकारियों को दिए जाते हैं।

विश्व के कई समाजों में घरेलू हिंसा की घटनाएं कई कारणों से पाई जाती हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक स्थिति, धर्म, शैक्षिक योग्यता इत्यादि। यह धारणा कि घरेलू हिंसा के शिकार केवल गरीब और अशिक्षित ही होते हैं, बिल्कुल गलत है। बहुतेरे शोध अध्ययन इस बात को साबित करते हैं कि अमीर लोग भी घरेलू हिंसा के शिकार व उसमें सम्मिलित होते हैं।

मादक पदार्थ भी किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा को गंभीर बनाते हैं। इंग्लैंड में हुए एक अध्ययन (सरह गार्हिन, 2006) भी प्राथमिक जांच के अनुसार "महिलाएं अपने जीवन साथी द्वारा किए गए हिंसा का दोष मादक पदार्थों को नहीं मानतीं। वे सदैव अपने जीवन साथी के साथ रहती हैं, तथा मदिरा/मादक पदार्थ को उत्तरदायी नहीं ठहराती। जबकि महिलाएं यह जानती हैं कि मादक पदार्थों का बुरा प्रभाव पड़ता है। वे यह समझती हैं कि उनके जीवन साथी द्वारा की गई हिंसा और व्यवहार का कारण केवल मादक पदार्थ ही नहीं है।"

मानवाधिकार क्षमताएं और अपराध

राजनैतिक स्वतंत्रता नागरिकों की सुख-समृद्धि को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो समाज अपने नागरिकों को राजनैतिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता उस समाज के नागरिकों में 'संतुष्टि' का भाव या तो नहीं होता, अगर होता भी है तो वह समझ से परे होता है। इसकी भूमिका उनके अपने अधिकारों के लिए न केवल सहायक होती है बल्कि मूल्यवान भी होती है। अमर्त्य सेन ने लिखा है कि "राजनैतिक अधिकार न केवल मानव की आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह आवश्यकताओं के सृजन के लिए भी आवश्यक है।" हम कह सकते हैं कि जो आदर एवं आभार का भाव लोगों में एक दूसरे के प्रति है यह केवल मनुष्य होने के कारण ही है। इस तरह मानव सभ्यता की परिधि में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय दोनों पीढ़ियों की गणना की जाती है। प्रथम पीढ़ी में राजनैतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार तथा दूसरी पीढ़ी में आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार आते हैं। आमतौर पर विभिन्न लोगों द्वारा अधिकारों की परिभाषा भिन्न-भिन्न दी गई है। अधिकारों के आकार को लेकर भी लोगों में मतभेद पाए जाते हैं। इस बात पर भी मत एक नहीं है कि अधिकार व्यक्तिगत दिए जाएं या समूह को। ये अधिकार देश के विकास में बाधक हैं या विकास का यह एक आवश्यक हिस्सा।

अधिकार को किसी व्यक्ति या समूह को सक्षम बनाने के रूप में देखा जा सकता है। यही व्यक्ति या समूह को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरणार्थ, राजनीति में भाग लेने संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार,

इत्यादि नागरिकों को सबल एवं सक्रिय बनाता है। अधिकार शब्द की जड़ें विभिन्न पुरानी सभ्यताओं में पाई जाती हैं (सेन, 1997)। भारत के संदर्भ में अधिकार से जुड़े मुद्दे यहां के महान मनीषियों एवं चिंतको के चिंतन में देखा जा सकता है। धार्मिक सहिष्णुता की भावना एवं विचार ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक के समय के इतिहास में पाई जाती है। हिन्दू-मुस्लिम एकता की मिसाल मुगल शासकों के दौरान अपने आप में अद्वितीय मानी गई है। इतना ही नहीं, 19वीं शताब्दी के भारतीय चिंतकों के साहित्य में विकास के मानवीय पहलुओं की अमिट छाप देखने एवं समझने के लायक है। खासकर, आज जब पूरा विश्व आतंकवाद और अलगाववाद जैसे अमानवीय कृत्यों से जूझ रहा है, इन मानवीय दशर्नों की महत्ता अपने आप में स्पष्ट हो जाती है। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने अपनी अनेक कहानियों में भारतीय नारियों की चर्चा करते हुए उनके वैचारिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। साहित्य और धर्म-ग्रंथों की चर्चा की धुरी में मीरा बाई का नाम एक अलग पहचान लिए हुए है। मीरा-कृष्ण प्रेम प्रसंग में जिस तरह से 'महिलाओं की स्वतंत्रता' के विचार को आत्मसात किया गया है वह भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर की तरह है। यह घटना उस काल की है जिस काल के बारे में तथाकथित हिन्दी संस्कृति के आलोचकों ने नारी स्वतंत्रता पर आघात किया है। ऐसा संभव है कि भारतभूमि विभिन्न समुदायों, समाजों व क्षेत्रों में बटे होने के कारण नारियों की स्थितियों में भिन्नता हो। संभावना इस बात की भी है कि महिलाओं के बारे में तत्कालीन सामाजिक शैक्षिक स्थितियों का सही आकलन व संकलन का कोई संगठित प्रयास न किया गया हो। लेकिन इतना तो सच है कि मीराबाई की वैचारिक स्वतंत्रता का स्रोत कोई पश्चिम देश की संस्कृति नहीं बल्कि अपनी भारत की परंपरा और संस्कृति ही रही है। भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं। धर्म के मानवीय पक्षों के संबंध में सभी धर्मों का कार्य-स्वरूप एक जैसा नहीं है। ऊपर से दिखने में सैद्धांतिक/वैचारिक स्तर पर एक जैसा लगता है लेकिन वस्तुस्थिति ठीक इसके उलट है। अपने देश के बहुसंख्यक अनुयायियों के लिए जो धर्म है उसकी विशालता पूरे विश्व पटल पर स्पष्ट है। इसमें अन्य छोटे-छोटे धर्मों, विचारों आदि को समाहित करने की गुंजाइश है। परंतु अन्य धर्मों के साथ ऐसी बात नहीं है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ धर्म अपने अनुयायियों को धर्म के मानवीय पक्षों को अपनाने से रोकते हैं या सीमित करते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न धर्मों के बीच आपसी वैचारिक टकराव के साथ-साथ व्यावहारिक रूप से भी आपस में मनमुटाव, कुछ स्थितियों में सामुदायिक दंगों जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। या यूं कहें कि मानवाधिकार, सक्षमता एवं धर्म के मानवीय पक्षों के बीच असांमजस्य की स्थिति पैदा होती है जिससे अपराध होने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। इन अपराधों का असर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप दोनों से देश की आवाम के साथ-साथ आम औरतों पर भी पड़ता है।

ऐसा भी देखा गया है कि धर्माधीश अपने अनुयायियों के लिए निर्देश जारी कर धर्म के मानवीय क्षमताओं को आगे बढ़ने, प्रयुक्त करने से मना करते हैं या उसे सीमित करते हैं। इन क्षमताओं को सीमित करने का मतलब है धर्म के माध्यम से मानवीय पहलुओं के विकास को कम करना। धर्म की एक परिभाषा है 'इति धारते धर्मः'। अर्थात, जो धारण करने योग्य है। यहां उल्लेखनीय है कि धारण करने योग्य से मतलब है उन सभी मानवीय पक्षों से जो मानव सुलभ गुणों की श्रेणी में आता है। धर्म का स्वभाव कठोर न होकर लचीला होना चाहिए। मतलब, बदलते सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में इसके व्यवहार में भी यथोचित बदलाव हो। यदि संभव हो तो इस बदलाव की मांग पर राज्य एवं समाज का संरक्षण प्राप्त हो। ऐसा भी देखा गया है कि धर्म के संरक्षण की

आड़ में राज्य किसी खास धर्म या समुदाय को अधिक सुविधाएं देकर उसे खुश करने की कोशिश करता है। ऐसा करने पर निःसंदेह रूप से उस समुदाय के लोगों के साथ-साथ अन्य धर्मानुयायियों एवं देश की जनता का भी अहित होता है और यह अहित जनता के पैसे से ही जनता को होता है। अलबत्ता, इससे राज्य सत्ता को राजनैतिक लाभ अवश्य मिलता है, पर आम जनता की कीमत पर। इस पूरी प्रक्रिया में आम आदमियों की स्वतंत्रता, सुरक्षा, धार्मिक विश्वास एवं देश की सक्रिय क्षमताओं का शोषण होता है। यह शोषण की प्रक्रिया जब एक सीमा पार कर जाती है तब शोषित जनता के कुछ समुदायों में आपराधिक प्रकृति घर कर लेती है जो अंततः देश के राष्ट्रीय विकास में बाधक होता है। राज्य सत्ता धार्मिक स्वतंत्रता देने के नाम पर कुछ खास धर्मों (जो राज्य सत्ता के हित में हो) के नेताओं को मानवीय क्षमताओं एवं धर्म के मानवीय पक्षों को कुचलने का अधिकार दे देती है

भारत एवं अमेरिका के संवैधानिक दस्तावेज

भारत का संविधान 'वीमेन फ्रेंडली', एक लिखित दस्तावेज है। भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में एक अधिकार यह भी है कि लिंग के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है। अमेरिकी संविधान के सदृश्य भारत में भी कानून के समान अधिकारों की बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार बिना उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया के किसी भी नागरिक को उसकी जिंदगी और स्वतंत्रता से उसे वंचित नही किया जाएगा। संविधान निर्माताओं ने यह स्पष्ट किया है कि देश के कमजोर एवं वंचित तबकों के लोगों की बेहतरी के लिए चलाई गई योजनाओं में भी लिंग या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अमेरिका की तरह भारत में भी समानता को मात्र औपचारिक रूप में ग्रहण नहीं किया गया बल्कि इसे नागरिकों के व्यक्तित्व के रूप में अपनाया गया है। भारत में जहां जाति, वर्ग, धर्म, वर्ण, क्षेत्र एवं भाषा के आधार पर विविधताएं हैं और यही विविधताएं देश को एकजुट रखते हुए राज्य एवं केन्द्र स्तर पर सरकारें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वह इसलिए कि यहां के नागरिकों को संविधान द्वारा समान अधिकार प्राप्त हैं एवं इससे नागरिकों का एक बड़ा तबका संतुष्ट भी है।

यह समानता का अधिकार भारतीय समाज में सदियों से चले आ रहे उन सभी सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने की कोशिश करती है। संविधान के 73वें संशोधनों में जो कि पंचायतों एवं नगरपालिकाओं से संबंधित है, भारतीय महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर उन्हें देश के स्थानीय शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार देती है। स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर महिलाओं की यह एक तिहाई भागीदारी उनके अधिकारों की बढ़ोत्तरी में एक विशेष कदम माना गया है। अपने देश में महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण 'मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993' के द्वारा भी दिया गया है। इसके तहत आम महिलाओं के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों को भी संरक्षण मिलता है। इस दस्तावेज के अनुसार "जीवन, आजादी, समानता एवं मर्यादा, चाहे वो भारतीय संविधान द्वारा या अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा प्राप्त हो, बिना जाति, वर्ग, रंग, लिंग एवं विश्वास के भेदभाव के सभी नागरिकों को उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है।"

उपसंहार

संसार के अधिसंख्य देशों की महिलाओं में सक्षमता का अभाव केवल इसलिए है क्योंकि वे महिलाएं हैं। समाज द्वारा उनमें मानवोचित शक्तियां, सामाजिकता एवं

सबलता का विकास होने से रोका गया है। परंपरागत रूप से स्थापित आचारों-व्यवहारों द्वारा उनमें भय पैदा कर उनकी सामाजिकता को तोड़ा-मरोड़ा गया है। वर्तमान समय की मांग है कि सदियों से प्रचलित कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को ठीक कर महिलाओं के छवि को सुधारा जाए, व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से पुरुषों के समकक्ष उनकी पहचान बनाई जाए। माता-पिता अपनी बच्चियों को वैसे निर्देश/शिक्षा या सलाह न दें जो कि उनके स्वतंत्र सोच में बाधक हो। महिलाओं से जुड़े अपराधों जैसे बलात्कार, हिंसा एवं यौन उत्पीड़न के मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा मामले की जांच तुरंत कर देनी चाहिए जिससे कि दोषी अपराध के साक्ष्यों को नष्ट न कर सके। महिलाओं से जुड़े अन्य अपराधों एवं अन्य मुद्दों पर सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती रही है क्योंकि सामाजिक संगठन जमीनी हकीकत के करीब रहते हुए बिना किसी भेदभाव (कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर) के अपना निर्णय दे सकते हैं। आज जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता देने वालों की कमी नहीं, गैर सरकारी संगठन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामाजिक संस्थाएं अपनी सूझ-बूझ एवं समुदायों की निकटता के कारण महिलाओं को सक्षम बनाने, उनसे जुड़े अपराधों को कम करने एवं सदियों से चली आ रही कुरीतियों के कारण उनके खोए हुए गौरव को वापस दिलाने में काफी हद तक सहायक हो सकती हैं।

संदर्भ

1. मार्था. सी. नुसाहम, लिंग और सामाजिक न्याय, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, न्यूयार्क, 1999.
2. मानव विकास रिपोर्ट-1997, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, आक्सफोर्ड और न्यूयार्क, पेज-39।
3. क्राइम इन इंडिया-2005, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
4. क्राइम इन इंडिया-2006, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
5. यूनेस्को की ग्लोबल मानीटरिंग रिपोर्ट-2007. जो कि द हिन्दुस्तान में छपी थी, नवम्बर 9, 2006, नई दिल्ली, पृष्ठ 9।
6. हांग लू, जिआनहांग लियु और एलिया क्राइटर "फीमेल क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन और क्रिमिनल जस्टिस रिस्पांस इन चाइना" द ब्रिटिश जरनल ऑफ क्रिमिनोलोजी, वाल्यूम 46, नं.5 सितंबर, 2006, पृष्ठ-862
7. सराह ग्ल्वानी—"मादक पदार्थ और घरेलू हिंसा", महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, वाल्यूम 12, नं. 7, जुलाई—2004, पृ.-658
8. सेन, अमर्त्य, "स्वतंत्रता और आवश्यकताएं" द न्यू रिपब्लिक, जनवरी 10/17, 1994
9. सेन अमर्त्य, फार इंडिया एंड चाइना—"ह्यूमन शइट्स एंड एशियन वैल्यूम" द न्यू रिपब्लिक, जुलाई—14/21, 1997 पृ.–33-41

❐

“पर्किंग-समस्या नही समाधान है”

योगराज सिंह

पुलिस अधीक्षक
पी.टी.आर.आई.भोपाल

बड़े नगरों में व्यस्त बाजारों में आम सड़कों पर अव्यवस्थित खड़े वाहनों द्वारा यातायात को दुर्गम एवम् अनियंत्रित न होने दिया जाए इस हेतु क्रेन के साथ पुलिस द्वारा कार्रवाई करती हुई दृष्टिगोचर होना एक सामान्य बात हो चली है जो भी वाहन सड़क पर खड़े हो उन्हें पुलिस क्रेन से उठाकर हटा देती है व नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई करती है। जब भी क्रेन से सज्जित पुलिस किसी वाहन को उठाती है, तो वाहन चालक से उसकी बहस प्रारंभ हो जाती है। वाहन चालक अपनी दृष्टि में सही होता है क्योंकि उसे अपना वाहन पार्क करने के लिए प्रशासन द्वारा कोई पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया है, एवं कई बार तो उस स्थल पर ‘नो पार्किंग’ के चिह्न भी नहीं स्थापित होते हैं। पुलिस भी अपनी कार्रवाई को सही ठहराती है, क्योंकि अस्त-व्यस्त पार्किंग से एवं सड़क पर खड़े वाहनों से यातायात दुर्गम व धीमा हो जाता है। इन दोनों सही पक्षों में बहस एवं उसके बाद के परिणाम के लिए उत्तरदायी कोई तीसरा पक्ष होता है, लेकिन दुष्परिणाम इन दोनों को ही भोगना होता है। वाहन चालक को जुर्माना देकर व पुलिस को मेहनत व निष्ठा से कार्योपरान्त भी बुराई लेकर। लेकिन इस कार्रवाई द्वारा पुलिस अपने आपको आम नागरिकों की बुराई से कैसे बचाए क्या यह एक विचारणीय प्रश्न नहीं है। सड़क पर ‘नो पार्किंग’ के बोर्ड लगाकर स्थानीय नागरिक-संस्थाए नगर-निगम आदि अपने कार्य की इतिश्री समझ लेते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य से बाजार गया है वह अपना वाहन कहां खड़ा करें, इस प्रश्न का उत्तर उसे क्यों नहीं मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर दिए बिना अपना प्रशासन पुलिस को कड़ी कार्रवाई के लिए प्रेरित कर देता है। क्या इस प्रकार से की गई कार्रवाई से यातायात व्यवस्था का स्थायी एवम् जनमान्य निराकरण हो सकता है। स्पष्ट है कि यह कार्रवाई एक निरंकुश प्रशासनिक पद्धति का प्रतीक है, जो एक स्वतंत्र देश में मान्य नहीं होनी चाहिए। सर्वप्रथम वाहन चालकों को यह बताना एवं दर्शाना अनिवार्य होना चाहिए कि वे अपना वाहन कहां पार्क कर सकते हैं एवं उस पार्किंग स्थल पर सभी वाहन खड़े हो सकें, इसकी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, तदुपरांत यदि वाहन सड़क पर पार्क किए जाएं तो पुलिस द्वारा कार्रवाई कर यातायात व्यवस्थित करने में अपना सक्रिय योगदान देना जनमान्य हो सकेगा। पुलिस को विवेकहीनता का प्रदर्शन कर आमजन के सम्मुख अपनी छवि के स्तर को गिरने से रोकना होगा यह कहने मात्र से काम नहीं चलेगा कि पार्किंग स्थल का निर्माण करना पुलिस विभाग का काम नहीं है।

यातायात व्यवस्था को इस प्रकार सुव्यवस्थित करते समय यदि क्रेन से हटाए गए वाहन की चालक महिला हो तो स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है। पुलिस द्वारा काफी संयम से समझाने के बाद भी वाहन चालक यह समझने को तैयार नहीं होती हैं कि आम सड़क पर वाहन खड़े करने से अन्य नागरिकों को आवागमन में कितनी असुविधा होती है बल्कि इस वार्तालाप के दुष्परिणाम के रूप में कई बार पुलिस पर यह भी आरोप लगते हैं कि पुलिस का महिलाओं के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है और यदि पुलिस महिला चालक अवहेलनकर्ताओं को छोड़ देती है तो उस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आक्षेप लग सकता हैं।

उक्त घटना यह प्रतिपादित करने के लिए लेख की रचना की गई है कि पार्किंग समस्या यातायात व्यवस्था के लिए तो घातक है ही लेकिन जाने-अनजाने में पुलिस की छवि के लिए भी कितनी विषैली है, क्योंकि

अनियंत्रित एवं आम सड़कों पर हो रही पार्किंग सड़कों की चौड़ाई को कम करते हुए आम यातायात को दुर्गम बना देती है जिसे हटाना पुलिस का कर्तव्य है और ऐसा करते समय वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण पुलिस को अप्रिय स्थिति का सामना करना होता है। अतः पुलिस विभाग को इन दोनों समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक स्तर पर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर उपयुक्त रुचि प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की कार्रवाई अनिवार्य हो गई है कि पार्किंग एक समस्या न रहकर एक समाधान बन जाए दोनों का (प्रथम) यातायात व्यवस्था को सुधारने एवं (द्वितीय) पुलिस की छवि को सुधारने का।

आज सभी छोटे-बड़े शहरों में वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जहां एक ओर यह प्रगति का प्रतीक है वही दूसरी ओर यह अनेक समस्याओं की चेतावनी भी है। वाहनों की वृद्धि यह दर्शाती है कि नागरिकों की आवागमन गति तेज हो रही है, लेकिन यह स्थिति आने के बाद यही वाहनों की वृद्धि तीव्र गति में अवरोधक भी बनती प्रतीत हो रही है, जो कि अवांछित स्थिति को जन्म देती है। समाज के हित में तो यही होगा कि जैसे-जैसे वाहनों की संख्या बढ़े आम नागरिकों की आवोगमन की गति भी बढ़ती जाए।

यातायात की तीव्र गति में सबसे बड़ी समस्या सड़कों की घटती हुई क्षमता है जो कि कई कारणवश है। सड़कों पर बढ़ती पार्किंग इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। सड़कों पर हो रही पार्किंग एक ऐसा तथ्य है जिसे आज एक समस्या का रूप में देखा जाए, जो यह दिन-प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। अब यह समय आ चुका है कि पार्किंग को एक समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक समाधान के रूप में देखा जाए और यातायात के नियम एवं नियंत्रण में इसे एक मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग में लाया जाए।

वाहन पार्किंग का उद्‌देश्य है कि नागरिक अपने गन्तव्य स्थान पर निकटतम बिन्दु तक पहुंचे व वाहन खड़ा करें, लेकिन इस प्रकार की वाहन पार्किंग से अन्य यातायात को किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए वर्तमान में पार्किंग दो प्रकार से की जा रही हैं। (अ) सड़क पर एवं (ब) सड़क से हटकर।

सड़क पर की जाने वाली पार्किंग भी कई प्रकार से की जा सकती है, जैस कोणीय पार्किंग एवं समानान्तर पार्किंग। कोणीय पार्किंग 30^o, 45^o, 60^o या 90^o पर की जा सकती है। कोणीय पार्किंग करने में जहां एक ओर ज्यादा वाहन पार्क किए जा सकते हैं, वहीं इस प्रकार की पार्किंग से सड़क का ज्यादा क्षेत्र वाहन पार्किंग के लिए उपयोग में आता है। जिसके दुष्परिणाम स्वरूप सड़क ज्यादा संकरी हो जाती है व आम यातायात को अपेक्षाकृत ज्यादा असुविधा होती है व धीमा हो जाता है। समानान्तर पार्किंग में सड़क का अपेक्षाकृत कम क्षेत्र वाहन पार्किंग हेतु उपयोग होता है, लेकिन कम संख्या में वाहन पार्क किये जा सकते हैं। सड़क पर की जाने वाली पार्किंग इसकी बनावट को दृष्टिगत रखते हुए सड़क के एक किनारे पर या दोनों किनारों पर अथवा सड़क के बीचों बीच एक पंक्ति में अथवा दो पंक्तिओं में की जा सकती है। सड़क विशेष पर चलने वाले यातायात की दिशा एवं स्वभाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की पार्किंग सप्ताह के विशेष दिनों में एक ओर एवं सप्ताह के अन्य दिनों में दूसरी ओर की जा सकती है। दिन के विभिन्न समयों पर भी पार्किंग साइड को परिवर्तित किया जा सकता है। स्कूल, दफ्तरों, ट्रेन आदि के समय के अनुसार यातायात घनत्व एवं दिशा को दृष्टिगत रखकर वाहन पार्किंग साईड निर्धारित की जा सकती है।

सड़क से अन्यत्र पार्किंग स्थानों का निर्धारण करने से वाहनों के पार्किंग करने में सड़कों की पूरी चौड़ाई का उपयोग यातायात के लिए उपलब्ध रहने से यातायात सामान्य रूप से चलता रहता है। वाहनों को सड़क से अन्यत्र पार्किंग

स्थानों पर पार्क करना ही समय की मांग है। निरंतर बढ़ती हुई वाहनों की संख्या के अनुपात में पार्किंग स्थलों का पुनर्निमाण कर इन्हीं स्थानों पर बहुमंजिला पार्किंग बनाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार पार्किंग स्थलों का चयन कर अब बहुमंजिला पार्किंग निर्माण कार्य सभी स्थानों पर आवश्यक हो गया है।

वाहन संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के कारण यातायात हेतु उपलब्ध सड़कों को चौड़ा करना जहां एक और आर्थिक रूप से महंगा साबित हो रहा है, वही अन्य कई अवरोध भी इस कार्य में आड़े आ रहे हैं जैसे राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक अवरोध। अतएव यदि सड़कों पर हो रही पार्किंग एवं भविष्य में सम्भावित पार्किंग को रोक कर उपलब्ध चौड़ाई को और कम होने से रोका जा सके तो निश्चित ही यातायात समाधान में एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

बहुमंजिला पार्किंग स्थल बनाने में मुख्य रूप से दो समस्याओं का निराकरण करना होता है (एक) आवश्यकतानुकूल स्थल की उपलब्धता एवं (दो) आवश्यक आर्थिक संसाधन। आवश्यकतानुकूल स्थल से तात्पर्य यह है कि किस स्थान पर वाहनों की पार्किंग की आवश्यकता है, जैसे विभिन्न दफ्तर, स्कूल, होटल, सांस्कृतिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बाजार, हाट, बस स्टेन्ड, अस्पताल एवं बहुमंजिला आवासीय भवन आदि ऐसे स्थानों के निकटवर्ती स्थल पर ही पार्किंग उपयोगी एवं सुविधाजनक रहेगी। पार्किंग स्थल का चयन करते समय ऐसे स्थान उपयुक्त रहेंगे जहां से विद्युत हाई टेन्शन लाईन न गुजरी हो या नीचे से मुख्य पानी की पाईप लाईन, सीबेज लाईन आदि न निकले हों।

बहुमंजिला पार्किंग स्थल निर्माण एवं उपयोगिता का प्रारंभिक विरोध इस कारण से भी होता है कि सड़कों पर पार्किंग करना नागरिकों को ज्यादा सुविधाजन एवं गन्तवय स्थल के समीप होता है। लेकिन अन्य सामान्य यातायात को होने वाली असुविधा को ये विरोध करने वाले भूल जाते हैं। सड़क पर वाहनों की पार्किंग समाप्त करने से पहले वैकल्पिक पार्किंग स्थल तैयार करने होंगे व उसके उपरान्त ही सड़कों की पार्किंग को विभिन्न चरणों में समाप्त करना होगा। सड़कों पर हो रही पार्किंग को प्रथम चरण में स:शुल्क पार्किंग के रूप में परिवर्तित करना होगा एवं वैकल्मिक स्थलों को नि:शुल्क पार्किंग के रूप में प्रथम चरण में प्रारम्भ करना होगा ताकि आम नागरिक सड़क से हटकर पार्किंग करने के लिए प्रेरित हों। वैकल्पिक पार्किंग स्थलों पर आवश्यक जन-सुविधाएं शौचालय आदि भी आवश्यक संख्या में निर्मित कराए जाने चाहिए। वैकिल्पिक बहुमंजिला पार्किंग स्थलों को और अधिक सुविधाजनक बननाने के लिए एक मंजिल पर सब्जी/फल विक्रेताओं को पर्याप्त स्थान दिया जा सकता है, जो सड़कों पर अव्यवस्थित रूप से खड़े रहकर यातायात में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, एवं कई बार दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। सड़कों पर हो रही पार्किंग को समाप्त करने के दूसरे चरण के रूप में सशुल्क पार्किंग को समय के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक घंटे के लिए शुल्क निर्धारित किया जा सकता है, व तृतीय चरण के रूप में शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए। चौथे व अंतिम चरण के रूप में उस क्षेत्र विशेष में सड़कों को नो पार्किंग जोन घोषित कराए तब जाकर आवश्यक सूचनात्मक संकेत बोर्ड भी लगाकर वैकल्पिक पार्किंग स्थलों को इंगित करना चाहिए। इस पूर्ण कार्रवाई के उपरान्त उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर सड़क पर होने वाली पार्किंग को समाप्त किया जा सकेगा। इस कार्रवाई से आम यातायात सुगम एवं सुनियंत्रित रहेगा तथा सभी वाहनों के लिए पार्किंग स्थल उपलब्ध रहेंगे। वैकल्पिक पार्किंग स्थलों को आगे चलकर सशुल्क किया जाना आवश्यक रहेगा ताकि वाहन पार्किंग को गैरेज के रूप में उपयोग न किया जा सके तथा ज्यादा से ज्यादा वाहनों के लिए सुविधा उपलब्ध रहे।

सड़कों पर वाहन पार्किंग विशेषकर राजमार्गों पर दुर्घटना कारक होती जा रही हैं। इस संबंध में माननीय

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के समक्ष जनहित याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी /3957/01 भी विचाराधीन चल रही है। इस याचिका के संदर्भ में दिनांक 09.02.2008 को एक अंतरिम निर्देश में माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग से अपेक्षा की है कि इस संबंध में एक जनजागरण अभियान चलाया जाए ताकि वाहन सड़क पर न खड़े हों एवं यदि अन्य विकल्प न हो तो रात्रि के समय पार्किंग लाईट जलाने के बाद ही वाहन सड़क पर खड़े किए जाएं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सड़क पर पार्किंग जहां एक ओर यातायात में व्यवधान है वहीं दुर्घटना का भी कारण बन रही है, एवं आम नागरिक भी इस समस्या से छुटकारा चाहता हैं।

बहुमंजिला पार्किंग स्थल में पार्किंग व्यवस्था संचालित करते समय विभिन्न बिन्दुओं जैसे वाहन प्रवेश, वाहन पार्किंग, वाहन गति, वाहन निर्गम आदि का समायोजित विधि से नियोजन किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग स्थल का उपयोग किया जा सके। पार्किंग स्थल के सम्मुख वाहनों के खड़े रहने का स्थान भी उपलब्ध कराया जाना होता है ताकि पार्किंग स्थल हेतु प्रतीक्षा में भी वाहन सुविधाजनक रूप से खड़े रह सकें। यह स्थान वाहनों की आवागमन की संख्या एवं पार्किंग स्थल के क्षेत्रफल के अनुसार कम-ज्यादा हो सकता है।

पार्किंग स्थल के चयन एवं निर्माण के पहले एक सर्वेक्षण कराया जाना उत्तम रहेगा। इसके लिए निम्नांकित बिन्दुओं पर सर्वेक्षण कराना आवश्यक होगा :

1. वर्तमान में उपलब्ध पार्किंग स्थल व उसकी क्षमता।
2. उपलब्ध पार्किंग स्थल का उपयोग किस प्रकार के वाहनों से कितने समय तक किया जा रहा है।
3. पार्किंग स्थल के आस पास कितने वाहन, कितने समय के लिए अघोषित पार्किंग स्थल पर पार्क किए जा रहे हैं।
4. पार्किंग आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध पार्किंग स्थल की क्षमता में कितनी वृद्धि की जा सकती है।
5. उपलब्ध पार्किंग के अतिरिक्त वैकल्पिक पार्किंग स्थल व उनकी दूरी व आकलित क्षमता।
6. सड़क पर लगने वाले हाट, बाजार या हाथठेलों आदि का अध्ययन जो आवागमन में बाधक हो रहे हैं व क्या इनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी नये प्रस्ताविक पार्किंग स्थल के समीप की जा सकती है।

किसी भी वैकल्पिक पार्किंग स्थल के चयन में स्थानीय नागरिकों, व्यावसायिओं, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं से चर्चा कर अध्ययन करना चाहिए एवं सर्वमान्य स्थल का चयन करना उचित रहेगा। इसी प्रकार स्थानीय राजनैतिक प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेना आवश्यक रहता है। इन सभी गतिविधियों का आशय यह रहता है कि एक बार व्यवस्था लागू करने के उपरान्त उसमें निरन्तरता रखी जा सके। नए पार्किंग स्थल के निर्माण के समय वर्तमान पार्किंग आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखना अपर्याप्त रहेगा, सदैव आगामी दस वर्ष की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर पार्किंग स्थल का निर्माण यातायात व्यवस्था के लिए ज्यादा हितकारी रहेगा। आगामी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए की गई पार्किंग व्यवस्था निश्चित रूप से जन उपयोगी रहेगी। पार्किंग व्यवस्था सुधारकर यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं सुनियंत्रित करना काफी सरल हो सकेगा, जो कि नगरों के विकास की गति को निश्चय ही आगे बढ़ाने में सहायक होगी।

इस पूरे लेख में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि पार्किंग को जहां एक सतत वृद्धिरत समस्या के रूप में लिया जाता है वही इस दृष्टिकोण को परिवर्तित कर अब पार्किंग को विकास गति में आवश्यक मानकर एक समाधान के रूप में देखना होगा तभी समस्त पक्षों द्वारा समग्र रूप से इसके विनयमन एवं सुनियंत्रण हेतु अपेक्षाकृत अधिक एवं तीव्र प्रयास किए जा सकेंगे। ❐

विधि प्रवर्तकों से संबंधित आचार संहिता

श्रीमती रजनी कपूर

शासकीय समापक कार्यालय,
कस्तूरबा गांधी मार्ग कर्जन रोड,
नई दिल्ली-110001

विधि प्रवर्तन या कानून लागू करने के कार्य से जुड़ा प्रत्येक अधिकारी दंड न्याय प्रणाली का अंग है तथा इसका लक्ष्य अपराधों की रोकथाम है। इसीलिए पदाधिकारी के आचरण का समूचे तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से भली प्रकार से सोच-समझकर तथा सुस्पष्ट आचरण संहिता तैयार करके ऐसे नैतिक आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता है, जिनसे कानून लागू करने वाली एजेंसियों को आत्मानुशासन में सहायता मिलेगी। इस आचरण संहिता में कानून लागू करने वाले अधिकारियों के समक्ष आदर्श तथा व्यवहार के नैतिक मानक निर्धारित किए जाने हैं।

17 दिसंबरर, 1997 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने एक संकल्प पारित किया, जिसमें कानून लागू करने वाले अधिकारियों की आचरण संहिता निर्धारित की गई है।

महासभा ने यह महसूस किया था कि शांति और व्यवस्था की रक्षा के लिए विधि प्रवर्तन संबंधी कार्यों की प्रकृति तथा इन कार्यों को संपन्न करने के लिए अपनाए गए तरीके का जीवन की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यद्यपि विधि प्रवर्तन अधिकारी मेहनत, लगन और निष्पक्षतापूर्वक कार्य निष्पादित करते हैं तथा मानव अधिकारों के सिद्धांतों या नियमों का आदर करते हैं, तथापि ड्यूटी करते समय दुर्व्यवहार की आशंका बनी रहती है।

इस संहिता में स्पष्ट किया गया है कि शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब ऐसा करना अपरिहार्य हो, परंतु हिरासत में रखे गए व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल की जाए और यातना देना निषिद्ध हो। इस संहिता में आठ अनुच्छेद हैं तथा प्रत्येक अनुच्छेद के साथ विधिक रूपरेखा तथा सदस्य देश की प्रतिक्रियाओं के अनुसार इस अनुच्छेद को स्वीकार करने के संबंध में स्पष्टीकरण भी दिया गया है।

प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 17 दिसंबर, 1979 को कानून लागू करने वाले अधिकारियों के लिए आचार संहिता अपनाई गई, जिसमें यह बताया गया है कि पुलिस के अधिकारों का उपयोग करने वाले सभी अधिकारी मनुष्य की मान-मर्यादा का आदर करेंगे तथा इनकी रक्षा करेंगे। इसके साथ-साथ सभी व्यक्तियों के मानव अधिकारों का बराबर ध्यान रखना होगा।

इस महासभा में सरकारों को यह सुझाव दिया था कि वे राष्ट्रीय व्यवस्थापिका या पद्धति की रूपरेखा में इस आचार संहिता का ऐसे नियमों के रूप में उपयोग करें, जिनका कानून के प्रवर्तकों द्वारा पालन किया जाना है।

आचार संहिता से संबंधित संकल्प (सं. 34/169) में यह बताया गया है कि शांति और लोक-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधि प्रवर्तन से संबंधित कार्यों की प्रकृति तथा इन कार्यों के निष्पादन में अपनाए गए तरीकों का व्यक्ति के जीवन एवं समूचे समाज की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। सभा ने यह बताया कि कानून के प्रवर्तक मान-मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखते हुए यह महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। परंतु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन सौंपे गए आवश्यक कर्तव्यों का निर्वाह करते समय अधिकारों के दुररुपयोग तथा दुर्व्यवहार की भी आशंका बनी रहती है।

मानव अधिकारों की मर्यादा बनाए रखने के प्रति

विधि अधिकारियों को प्रेरित करने के अलावा आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ यातना पर भी प्रतिषेध लगाया गया है। इस संहिता में बताया गया है कि जब आवश्यक हो, केवल तभी बल प्रयोग किया जाए तथा हवालात में रखे गए व्यक्तियों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाए।

इस आचार संहिता के हर अनुच्छेद के साथ टिप्पणी के रूप में जानकारी दी गई है, जिसका राष्ट्रीय विधान या व्यवहार के क्षेत्र के भीतर उपयोग किया जा सकता है।

इस आचार संहिता का विवरण अग्रलिखित है।

विधि प्रवर्तकों/प्रवर्तन अधिकारियों की आचार संहिता अनुच्छेद 1

कानून लागू करने वाले सभी अधिकारी हमेशा व्यवसाय के लिए आवश्यक जिम्मेदारी की भावना रखते हुए अनैतिक कृत्यों से सभी व्यक्तियों का बचाव तथा समाज की सेवा करके अपने कर्तव्य निभाएंगे।

टिप्पणी

(क) 'कानून लागू करने वाले अधिकारियों' में कानून से जुड़े वे सभी अधिकारी शामिल हैं (चाहे वे नियुक्त किए हों या निर्वाचित हों), जो पुलिस की शाक्तियों, विशेष रूप से गिरफ्तार करने या बंदीगृह में रखने की शाक्तियों, का प्रयोग करते हैं।

(ख) जिन देशों में पुलिस की शाक्तियों का प्रयोग सैनिक प्राधिकारी करते हैं, चाहे वे वर्दी में हों या न हों, या राज्य सुरक्षा बल पुलिस की अधिकार शाक्तियों का उपयोग करते हैं, वहां विधि प्रवर्तन अधिकारियों की परिभाषा में ऐसी सेवाओं के अधिकारी भी शामिल होंगे।

(ग) समुदाय या समाज की सेवा से आशय समाज के उन सदस्यों की सहायतार्थ सेवाएं प्रदान करना है, जिन्हें वैयक्तिक, आर्थिक, सामाजिक या अन्य आपात स्थितियों के कारण तत्काल सहायता की आवश्यकता है।

(घ) इस प्रावधान में केवल हिंसात्मक, लूटमार तथा अन्य क्षति पहुंचाने वाले कृत्य ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें दांडिक स्थिति के तहत आने वाले सभी निषेध भी शामिल हैं। इसके विस्तार क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों का आचरण भी आता है, जो दांडिक दायित्व उठाने में अक्षम हैं।

अनुच्छेद-2

विधि प्रवर्तन अधिकारी तभी बल प्रयोग कर सकते हैं, जब ऐसा करना बहुत आवश्यक हो तथा ड्यूटी निभाते समय जिस सीमा तक बल का प्रयोग किया जा सकता है, उसी सीमा तक सख्ती बरती जाए।

टिप्पणी

(क) इस प्रावधान में इस विचार बिंदु पर बल दिया गया है कि अपवादजन्य स्थितियों में ही कानून लागू करने वाले अधिकारी को बल प्रयोग करना चाहिए, जबकि इसका निहितार्थ है कि अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों, संदिग्ध अपराधियों को कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने के लिए परिस्थितियों की मांग के भीतर बल प्रयोग का प्राधिकार दिया जाए। अपेक्षित सीमा से परे बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) सामान्यतः राष्ट्रीय विधि के तहत प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा समानुपातिक सिद्धांत के अनुसार बल प्रयोग करने की अनुमति दी गई। हमें यह समझना चाहिए कि समानुपातिक सिद्धांत को इस प्रावधान के निर्वचन के अनुसार महत्व दिया जाना चाहिए। किसी भी मामले में इस प्रावधान का निर्वचन करते समय बल प्रयोग को अधिकृत रूप देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह विधि समस्त उद्देश्यों के प्रतिकूल है।

(ग) आग्नेय अस्त्रों का आखिरी/अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाए। आग्नेय अस्त्रों का,

विशेषकर बच्चों के मामलों में, इस्तेमाल न करने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। सामान्यतः जब संदिग्ध अपराधी अपने बचाव के लिए आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करता है या अन्य लोगों का जीवन खतरे में डाल देता है या संदिग्ध अपराधी को रोकने या पकड़ने में सामान्य उपाय पर्याप्त नहीं रहते हैं, तब आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब कभी आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया जाता है, हर बार सक्षम प्राधिकारियों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

अनुच्छेद 3

विधि प्रवर्तन अधिकारियों के पास गोपनीय मामले तब तक गुप्त रखे जाएंगे जब तक न्याय-आवश्यकता को देखते हुए कर्तव्य निभाते समय अन्यथा कार्रवाई करना अर्थात सूचना का खुलासा करना आवश्यक न हो।

टिप्पणी

कर्तव्यों को स्वरूप देखते हुए विधि प्रवर्तन अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जो वैयक्तिक जीवन से संबंधित है अथवा जिसका दूसरों के हितों तथा विशेष रूप से प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी सूचना को संभालकर रखने तथा इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिसे कर्तव्य का निर्वाह करने या न्याय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकट किया जा सकता है।

अनुच्छेद 4

कोई भी विधि प्रवर्तन अधिकारी न तो यातना या क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक बरताव या दंड दे सकता है, न किसी को उकसा सकता है, या ऐसा कृत्य सह सकता है और न ही यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के औचित्य के रूप में उच्च अधिकारियों के आदेश या युद्ध की स्थिति, युद्ध की धमकी, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता अथवा किसी अन्य प्रकार की सार्वजनिक आपात स्थिति जैसी अपवादजन्य परिस्थितियों का अवलंब ले सकता है।

टिप्पणी

(क) महासभा द्वारा अपनाए गए यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार से सभी व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित घोषणापत्र के परिणामस्वरूप यह प्रतिषेध लगाया गया है। ऐसा कृत्य मानव प्रतिष्ठा के प्रति अपराध है तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का खंडन तथा सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणापत्र (तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेज) में घोषित मूलभूत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए ऐसे कृत्यों की भर्त्सना की जानी चाहिए।

(ख) इस घोषणापत्र में 'यातना' की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है-...'यातना' का अर्थ ऐसा कृत्य है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक अधिकारी द्वारा ऐसे (संदिग्ध) व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के लिए जानबूझकर उसे शारीरिक या मानसिक पीड़ा अथवा कष्ट पहुंचाया जाता है।'

(ग) 'क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार अथवा दंड' का अर्थ महासभा द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इसका निर्वचन इस प्रकार से किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार से अधिक-से-अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

अनुच्छेद 5

विधि प्रवर्तन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि हवालात में बंद व्यक्तियों के स्वास्थ्य का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है तथा जब भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें

तत्काल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

टिप्पणी

(क) चिकित्सा कार्मिक द्वारा (इसमें चिकित्सा व्यवसायी (डाक्टर भी शामिल हैं।) दी जानेवाली 'चिकित्सा सुविधा' आवश्यकता पड़ने पर या मांग की जाने पर प्राप्त की जा सकती है।

(ख) हालांकि विधि प्रवर्तन आपरेशन के दौरान चिकित्सा कार्मिक भी साथ होता है, फिर भी विधि प्रवर्तन अधिकारी कानून लागू करने की कार्रवाई से परे चिकित्सा कार्मिक के माध्यम से या उसके साथ परामर्श करके हवालात में व्यक्ति को समुचित उपचार संबंधी सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश करते हैं, तब उन्हें ऐसे कार्मिक के निर्णय का भी ध्यान रखना चाहिए।

(ग) विधि प्रवर्तन अधिकारियों को कानून के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति या कानून के उल्लंघन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति को भी चिकित्सा सुविधा प्रदान करनी होगी।

अनुच्छेद 6

विधि प्रवर्तन अधिकारी भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। वे कठोरता से इसका सामना करेंगे।

टिप्पणी

(क) सत्ता के दरुपयोग के समान ही भ्रष्टाचार तथा विधि प्रवर्तन अधिकारी परस्पर विरोधी हैं। किसी भ्रष्ट विधि प्रवर्तन अधिकारी के संबंध में कानून पूरी तरह से लागू किया जाए, क्योंकि यदि कानून एजेंट तथा अपनी एजेंसियों के विरुद्ध प्रभावी नहीं हो पाता तो सरकार अपने नागरिकों पर कानून लागू नहीं कर पाएगी।

(ख) हालांकि भ्रष्टाचारी को राष्ट्रीय विधि के तहत ही परिभाषित किया जाना चाहिए, फिर भी भ्रष्टाचार की परिभाषा में अपनी ड्यूटी के दौरान या इसके संबंध में हुई भूल-चूक अथवा उपहार स्वीकार करना या मांगना, कोई वादा करना या शर्त करवाना अथवा गलत तरीके से इस प्रकार का कोई कार्य करना शामिल है।

(ग) 'भ्रष्टाचार' अभिव्यक्ति में भ्रष्ट कार्य करने का प्रयास भी शामिल है।

अनुच्छेद 7

विधि प्रवर्तन अधिकारी विधि तथा इस संहिता का आदर करेंगे। ये कानून के उल्लंघन का सख्ती से विरोध करेंगे तथा रोकथाम करेंगे। यदि विधि प्रवर्तन अधिकारियों के पास इस संहिता के उल्लंघन या इसकी आशंका के पर्याप्त आधार हैं तो वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्संबंधी जानकारी देंगे तथा जब आवश्यक हो तब ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों अथवा संगठन को भी सूचित करेंगे, जिन्हें समीक्षा या निदान संबंधी अधिकार सौंपे गए हैं।

टिप्पणी

(क) जब कभी इस संहिता को राष्ट्रीय विधान या परिपाटी में शामिल किया जाना हो तब संहिता का अवलोकन किया जाना चाहिए। यदि विधान या परिपाटी में अधिक कठोर प्रावधान समाहित हैं, तो इस संहिता की अपेक्षा विधान या परिपाटी के प्रावधान लागू होंगे।

(ख) इस अनुच्छेद में एक ओर सार्वजनिक सुरक्षा की आधार एजेंसी की आंतरिक सुरक्षा और दूसरी ओर मूल मानव अधिकारों के उल्लंघन का सामना करने की आवश्यकता के बीच संतुलन रखने का प्रयास किया गया है। विधि प्रवर्तन अधिकारियों को कमान की श्रृंखला के भीतर ही उल्लंघन के मामलों की सूचना देनी चाहिए। जब कोई अन्य उपचार न हो, या उपलब्ध उपचार प्रभावी न हो, केवल तभी कमान की व्यवस्था के बाहर जाकर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि विधि प्रवर्तन अधिकारियों की

प्रशासनिक या अन्य दंड (शास्तियां) नहीं भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यह रिपोर्ट दे दी है कि इस संहिता का उल्लंघन हुआ है या होने जा रहा है।

(ग) 'समीक्षा या उपचारात्मक शक्तियों से संपन्न उपयुक्त अधिकारी या संगठन' शब्द राष्ट्रीय विधि के तहत ऐसे विद्यमान प्राधिकारी या संगठन से संबंधित है, चाहे यह आंतरिक स्तर पर कानून लागू करने वाली एजेंसी हो या उसका भाग, जिसे इस संहिता के अधिकार क्षेत्र के भीतर होने वाले उल्लंघन के मामलों के विरुद्ध की गई शिकायतों की समीक्षा करने की सांविधिक, रूढ़िगत या अन्य शक्तियां प्राप्त हैं।

(घ) कुछ देशों में जनसंचार माध्यम भी उप-पैरा में वर्णित शिकायतों की समीक्षा संबंधी कार्य कर रहे हैं। इसलिए यदि विधि प्रवर्तन अधिकारी जनसंचार माध्यमों के जरिए उल्लंघन के मामले आम जनता की जानकारी में लाते हैं, तो वर्तमान संहिता के अनुच्छेद-4 के प्रावधान के अनुसार अंतिम उपाय के रूप में ऐसा करना न्यायसंगत है।

(ङ) इस संडिता के प्रावधानों का अनुपालन करने वाले विधि प्रवर्तन अधिकारी समुदाय तथा संबद्ध विधि प्रवर्तन एजेंसी और विधि प्रवर्तन व्यवसाय का आदर और पूरा सहयोग पाने के पात्र होते हैं।

भारतीय मानक

भारत में पुलिस की आचार संहिता 1985 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई थी तथा इसे जारी किया गया था। यह संहिता भारतीय पुलिस के प्रमुखों के सम्मेलन द्वारा दी गई सिफारिशों पर आधारित थी।

पुलिस की आचार संहिता

1. पुलिस को भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए तथा उन्हें संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों को बनाए रखना है।
2. पुलिस को विधिवत् रूप से अधिनियमित कानून के स्वामित्व या आवश्यकता पर संदेह नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार के भय या पक्षपात, वैमनस्य या बदले की भावना से मुक्त होकर दृढ़तापूर्वक निष्पक्ष होकर कानून लागू करना चाहिए।
3. पुलिस को अपनी शक्तियों तथा कर्तव्यों की सीमाओं को स्वीकार करके इनका आदर करना चाहिए। इन्हें व्यक्ति से बदला लेने या अपराधी को मात्र दंड देने के प्रयोजनार्थ न्यायपालिका के कार्यों का हनन करते हुए स्वयं कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
4. कानून का पालन सुनिश्चित करते समय या व्यवस्था कायम हुए पुलिस को यथासंभव व्यावहारिक रूप से समझाने-बुझाने के तरीके अपनाकर सलाह या चेतावनी देनी चाहिए। जब बल प्रयोग अपरिहार्य हो, केवल तभी परिस्थितियों के अनुरूप न्यूनतम बल प्रयोग करना चाहिए।
5. पुलिस का प्रमुख कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना है। पुलिस को यह स्वीकार करना चाहिए कि अपराध तथा अव्यवस्था न होना ही उनकी क्षमता, दक्षता का परिचायक है, न कि इनसे निपटते समय पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर ही उनकी दक्षता का पता चलता है।
6. पुलिस को यह जान लेना चाहिए कि वे भी जनसाधारण के ही अंग हैं। अंतर केवल इतना है कि समाज के हित में और समाज की ओर से उन्हें पूरे समय ऐसे कर्तव्यों पर ध्यान देने के लिए तैनात किया गया है, जिनका निर्वहन सामान्यतः प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए।
7. पुलिस को यह महसूस करना चाहिए कि उनके द्वारा सक्षम रूप से कार्य निष्पादन जनता से प्राप्त सहयोग पर आधारित है। यह सहयोग पुलिसकर्मियों के आचरण और गतिविधियों के प्रति जनता की

अभिस्वीकृति तथा जनता का आदर और विश्वास प्राप्त करने पर मिलता है।

8. पुलिस को हमेशा जनकल्याण का ध्यान रखना चाहिए तथा उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। उन्हें व्यक्ति की धन-संपत्ति या सामाजिक हैसियत पर ध्यान दिए बिना सेवा करनी चाहिए। उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा आवश्यक सहायता देनी चाहिए।

9. पुलिस को हमेशा अपनी ड्यूटी का ध्यान रखना चाहिए और चाहे कोई खतरा हो, उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो या उनका कोई तिरस्कार कर रहा हो, उन्हें शांत होकर अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए तथा दूसरों की रक्षा की खातिर अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

10. उन्हें शालीन व्यवहार करना चाहिए। उन्हें निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए तथा लोगों को उन पर भरोसा होना चाहिए। उनकी मान-मर्यादा होने के साथ-साथ उनमें साहस जैसे गुण हों। उन्हें चरित्रवान होने के साथ-साथ लोगों का विश्वास जीतना चाहिए।

11. सर्वोच्च आदेशों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखना पुलिस की प्रतिष्ठा का आधार है। इस दृष्टि से पुलिस का वैयक्तिक जीवन साफ-सुथरा हो, वे आत्मसंयमी हों। उन्हें अपनी कथनी और करनी के प्रति सत्यनिष्ठ और ईमानदार होना चाहिए, ताकि जनता आदर्श नागरिक के रूप में उनका आदर करे।

12. पुलिस को यह अनुभव करना चाहिए कि यदि वे अनुशासन बनाए रखते हैं, कानून के अनुसार निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों तथा कमान रैंक से प्राप्त वैध निर्देशों का पालन करते हैं, हमेशा कुछ-न-कुछ सीखते रहते हैं और निरंतर कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, तभी उनकी दृष्टि से सेवाओं की उपादेयता है।

13. एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते पुलिस को वैयक्तिक पूर्वग्रहों से ऊपर उठने तथा धर्म, भाषा, क्षेत्रगत विविधता वाले लोगों में मेल-मिलाप तथा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। महिलाओं और समाज के गरीब तबकों की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल परिपाटियों का त्याग करना चाहिए। (गृह मंत्रालय का सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा सी.पी.ओ. के अध्यक्षों को लिखे गए तारीख 4.7.85 तथा 10.7.85 के पत्र सं. VI-24021/8784-जी.पी.ए.।) अपने विधि सम्मत कर्तव्यों का निर्वहन करते समय विधि प्रवर्तन अधिकारियों को शारीरिक बल तथा अनेक बार आग्नेय अस्त्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप प्रायः गंभीर क्षति भी पहुंचती है तथा लोगों की मौत हो जाती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विधि प्रवर्तन अधिकारी अंतिम उपाय के रूप में ही शारीरिक बल तथा आग्नेय अस्त्रों का उपयोग करें, ताकि इनका कम-से-कम इस्तेमाल हो सके। सभी लोकतांत्रिक देशों में विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल तथा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग पर नियंत्रण रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था तथा विभागीय विनियमों का प्रावधान है। कम-से-कम प्रयोग आदि की आवश्यकता पर बल देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 'नियमों' की श्रृंखला तय की है, जो इस प्रकार है-

बल प्रयोग तथा आग्नेय अस्त्र के प्रयोग से संबंधित नियम

विधि प्रवर्तन अधिकारी की ड्यूटी सामाजिक सेवा करना है, इसलिए इन अधिकारियों की कामकाजी स्थितियां तथा इनकी पद हैसियत को बनाए रखना तथा इनमें सुधार लाना आवश्यक है। यदि विधि प्रवर्तन अधिकारियों

की जान को खतरा है तो यह पूरे समाज की स्थिरता को खतरा है।

सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणापत्र तथा अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र में दी गई गांरटी के अनुसार, कानून लागू करने वाले अधिकारी जीने के अधिकार, स्वतंत्रता तथा व्यक्ति की सुरक्षा के बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कैदियों के साथ बरताव संबंधी मानक न्यूनतम नियमों में ऐसी परिस्थितियों का प्रावधान दिया गया है, जिसके अंतर्गत जेल अधिकारी ड्यूटी के दौरान बल प्रयोग कर सकते हैं।

विधि प्रवर्तन अधिकारियों की आचार संहिता के अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान दिया गया है कि विधि प्रवर्तन अधिकारी तभी बल प्रयोग कर सकते हैं, जब ऐसा करना नितांत आवश्यक है तथा ड्यूटी निभाते समय अपेक्षित सीमा तक ही बल का प्रयोग किया जा सकता है।

अपराधियों के बरताव और अपराधों की रोकथाम पर इटली के वियना शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की सातवीं कांग्रेस की प्रांरभिक बैठक में विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल तथा आग्नेय अस्त्र के प्रयोग पर अंकुश लगाने के संबंध में उन तत्वों पर सदस्य देश सहमत थे, जिन पर विचार किया जाना था।

सातवीं कांग्रेस ने अपने संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ इस पर बल दिया कि विधि प्रवर्तन अधिकारी मानव अधिकारों का समुचित आदर-सम्मान करते हुए बल तथा आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करें।

आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 21 मई, 1986 को संकल्प 1986 / 10, धारा 9 में सदस्य देशों का आह्वान किया कि वे विधि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बल तथा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग से संबंधित संहिता को लागू करने पर विशेष ध्यान दें तथा आम सभा ने दिसंबर 1986 के संकल्प 41/149 में अन्य बातों के साथ-साथ परिषद द्वारा की गई इस सिफारिश का स्वागत किया।

व्यक्तिगत सुरक्षा पर उचित ध्यान देने के साथ-साथ न्याय प्रशासन, जीने के अधिकार, स्वतंत्रता की रक्षा तथा व्यक्ति की सुरक्षा के क्षेत्र में विधि प्रवर्तन अधिकारियों की भूमिका तथा शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी और उनकी योग्यता, प्रशिक्षण तथा आचरण की महत्ता पर भी विचार करना होगा।

नीचे कुछ मूलभूत नियम दिए गए हैं। विधि प्रवर्तन अधिकारियों की समुचित भूमिका सुनिश्चित करने तथा बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों की सहायतार्थ ये नियम प्रतिपादित किए गए हैं। राष्ट्रीय विधान तथा पद्धति की रूपरेखा के भीतर सदस्य देशों की सरकारों को इन नियमों पर ध्यान देना होगा तथा इनका आदर करना होगा। इसके अलावा, देश की सरकार को विधि प्रवर्तन अधिकारी एवं जज, वकील, एक्जीक्यूटिव बैंच के सदस्य जैसे व्यक्तियों और विधायिका तथा जनसाधारण का इन नियमों की ओर ध्यान दिलाना होगा।

सामान्य प्रावधान

1. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियों को कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा बल तथा आग्नेय अस्त्र के प्रयोग के संबंध में नियम एवं विनियम स्वीकार करने पड़ेंगे तथा इन नियमों को लागू करना होगा। ऐसे नियमों और विनियमों को तैयार करते समय सरकार एवं विधि प्रवर्तन एजेंसियों को बल तथा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग से जुड़े मुद्दे पर निरंतर विचार करते रहना चाहिए।
2. सरकारों तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों को यथासंभव साधनों की व्यापक रेंज तैयार करनी चाहिए तथा कानून लागू करने वाले अधिकारियों के पास विभिन्न प्रकार के हथियार तथा गोला-बारूद आदि होने चाहिए, ताकि वे बल प्रयोग तथा आग्नेय अस्त्रों के इस्तेमाल को पहचान सकें। इस प्रक्रिया में ऐसे साधनों के प्रयोग पर अंकुश लगाना है, जिनका

इस्तेमाल करने पर व्यक्तियों की मौत हो जाती है या उन्हें गंभीर चोट पहुंचती है। इस दृष्टि से समुचित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे हथियार तैयार करते हैं, जो घातक न हों। इसी प्रयोजनार्थ विधि प्रवर्तन अधिकारियों के पास स्वयं के बचाव के लिए शील्ड, हैलमेट, बुलेटप्रूफ जैकेट तथा यातायात के बुलेटप्रूफ साधन जैसे उपकरण भी होने चाहिए, ताकि पुलिस को किसी प्रकार के हथियार का प्रयोग करने की कम-से-कम आवश्यकता पड़े।

3. आघातक परंतु विकलांग बना देने वाले हथियार तैयार करते समय तथा इनका प्रसार करते समय हथियार का मूल्यांकन कर लेना चाहिए, ताकि ऐसे व्यक्तियों को कम-से-कम खतरा हो, जो अपराध में शामिल नहीं हैं। ऐसे हथियारों के प्रयोग पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण रखा जाना चाहिए।
4. अपनी ड्यूटी निभाते समय विधि प्रवर्तन अधिकारियों को यथासंभव बल तथा आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करने से पहले अहिंसात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ये अधिकारी बल तथा आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग केवल तभी कर सकते हैं, जब अन्य साधन निष्प्रभाव या निष्फल हो जाएं।
5. जब विधि सम्मत बल प्रयोग तथा आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करना अपरिहार्य हो जाता है, तब विधि प्रवर्तन अधिकारी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा।
   (क) इस प्रकार के प्रयोग पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए तथा अपराध की गंभीरता तथा विधिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाए।
   (ख) कम-से-कम क्षति या चोट पहुंचाई जाए तथा मानव जीवन का आदर करने हुए उसकी रक्षा की जाए।
   (ग) सुनिश्चित किया जाए कि घायल या प्रभावित व्यक्तियों को यथा शीघ्र तत्काल सहायता तथा चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।
   (घ) सुनिश्चित किया जाए कि घायलों या पीड़ित व्यक्तियों के निकट संबंधियों या मित्रों को यथासंभव तत्क्षण सूचित कर दिया गया है।
6. यदि विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल तथा आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करने पर कोई घायल होता है या किसी की मृत्यू हो जाती है तो नियम 22 के अनुसार वे तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना दे।
7. सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल या आग्नेय अस्त्रों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल या दुरुपयोग करने पर कानून के तहत दांडिक अपराध के रूप में सजा दी जाती है।
8. आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता या अन्य आपातस्थिति जैसी असाधारण परिस्थितियों में इन बुनियादी नियमों का पालन न करने के संबंध में कोई औचित्य नहीं मांगा जाएगा।

विशेष प्रावधान

9. यदि जान के खतरे जैसे अपराध कर्म रोकने, ऐसा खतरा खड़ा करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उनके भाग जाने के अवसर समाप्त करने तथा उद्देश्य प्राप्ति में कम कठोर साधन अपर्याप्त रहते हैं, तो ऐसी स्थिति एवं अपने तथा अन्य लोगों के प्रति मृत्यु की धमकी या गंभीर चोट पहुंचाने के खतरे जैसी अपवादजन्य स्थितियां छोड़कर विधि प्रवर्तन अधिकारी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि लोगों की जान बचाने के लिए आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग अपरिहार्य है, केवल तभी जानबूझकर घातक आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया जा सकता है।
10. नियम 9 के तहत बताई गई परिस्थितियों में यदि

विधि प्रवर्तन अधिकारियों को कोई खतरा नहीं है या अन्य व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचने या उनकी जान को खतरा नहीं होता अथवा घटना की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना स्पष्टतः अनुपयुक्त नहीं हो तो विधि प्रवर्तन अधिकारी तादात्म्य स्थापित करके आग्नेय अस्त्र के प्रयोग की स्पष्ट रूप से चेतावनी देंगे तथा चेतावनी देने के बाद पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा करेंगे।

11. विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग के संबंध में नियम और विनियम में निम्नलिखित दिशा निर्देश शामिल होने चाहिए।
   (क) उन परिस्थितियों का विशेष रूप से वर्णन किया जाए, जिनके तहत विधि प्रवर्तन अधिकारी को आग्नेय अस्त्र रखने का प्राधिकार दिया गया है तथा ऐसे आग्नेय अस्त्रों के प्रकार भी निर्धारित किए जाएं, जिनके संबंध में अनुमति दी गई है।
   (ख) सुनिश्चित किया जाए कि समुचित परिस्थितियों के तहत कम-से-कम अनावश्यक रूप से नुकसान को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया जाए।
   (ग) ऐसे आग्नेय अस्त्रों तथा गोला-बारूद का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, जिनके कारण अनुचित क्षति पहुंचे या कोई खतरा खड़ा हो।
   (घ) आग्नेय अस्त्रों पर नियंत्रण, भंडारण तथा अस्त्र देने की प्रक्रिया विनियमित की जाए। इसमें ऐसी पद्धतियां भी शामिल हैं, जिनके तहत यह सुनिश्चित किया जा सकता है विधि प्रवर्तन अधिकारी उन आग्नेय अस्त्रों तथा गोला-बारूद के लिए जिम्मेदार होंगे, जो उन्हें दिए गए थे।
   (ङ) यदि उपयुक्त हो तो, तब गोली आदि दागनी हो तो पहले चेतावनी दी जाए।
   (च) जब कभी विधि प्रवर्तन अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाते समय आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो वे इसकी रिपोर्ट दें।

गैर-कानूनी सभाओं पर नियंत्रण

12. चूंकि सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणापत्र तथा अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति कानूनी तौर पर तथा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित सभाओं में भाग ले सकता है, इसलिए सरकार, विधि प्रवर्तन एजेंसियां तथा अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि नियम 13 और 14 के अनुसार ही बल तथा आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया जाए।

13. गैर-कानूनी, परंतु अहिंसात्मक सभाओं को तितर-बितर करते समय विधि प्रवर्तन अधिकारी बल प्रयोग न करे या जहां यह व्यवहार्य नहीं है, वहां यह प्रयास किया जाएगा कि बल प्रयोग कम-से-कम सीमा तक किया जाए।

14. हिंसात्मक सभाओं को तितर-बितर करते समय विधि प्रवर्तन अधिकारी केवल तभी आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं जब कम खतरनाक साधन व्यावहारिक नहीं हैं तथा न्यूनतम सीमा तक आवश्यकता के अनुसार आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया जा सकता है। विधि प्रवर्तन अधिकारी ऐसे मामलों में आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु नियम 9 में निर्दिष्ट परिस्थितियां इसका अपवाद हैं।

हवालात में बंद नजरबंद व्यक्तियों पर नियंत्रण

विधि प्रवर्तन अधिकारी हवालात या कारावास में रखे गए व्यक्तियों के साथ बल का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु जब संस्था के भीतर सुरक्षा और शांति व्यवस्था

बनाए रखने के लिए या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में हो, तब बल प्रयोग की आवश्यकता इस उपबंध का अपवाद है।

15. विधि प्रवर्तन अधिकारी हवालात या कारावास में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, परंतु अपने बचाव या मृत्यु या गंभीर क्षति के खतरे से जूझ रहे दूसरे लोगों के बचाव या पैरा 9 में वर्णित खतरा खड़ा करते हुए हवालात या कारावास से भाग रहे व्यक्ति को रोकने के लिए आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग इस उपबंध का अपवाद है।

16. कैदियों के साथ बरताव के लिए निर्धारित मानक न्यूनतम नियमों के अनुसार, विशेष रूप से नियम 33, 34 और 54 जेल अधिकारी के अधिकार, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम तैयार किए गए हैं।

17. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि समुचित जांच के बाद चुने गए सभी अधिकारी नैतिक मूल्यों, मनोवैज्ञानिक गुण तथा शारीरिक बल के आधार पर कार्य करते हैं तथा उन्हें निरंतर प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारियों की कार्य करने की निरंतर क्षमता की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए।

18. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी विधि प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा बल प्रयोग की दृष्टि से उपयुक्त प्रवीणता/निपुणता संबंधी मानदंडों के अनुसार उनकी परीक्षा ली जाती है।

19. विधि प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण पर सरकार तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पुलिस के नीति विषयक नियम तथा मानव अधिकारों के मुद्दे (विशेष रूप से जांच प्रक्रिया के दौरान), जैसे बल प्रयोग या आग्नेय अस्त्रों के झगड़ों का शांतिपूर्वक निपटारे जैसे विकल्प, भीड़ का व्यवहार समझने तथा समझाने -बुझाने, बातचीत तथा मध्यस्थता एवं तकनीकी साधनों के प्रयोग के तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि बल और आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग कम किया जा सके। विधि प्रवर्तन एजेंसियों कों विशिष्ट घटनाओं के अनुसार अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आपरेशन प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी चाहिए।

20. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां ऐसे विधि प्रवर्तन अधिकारियों को परामर्श देने पर बल देंगी, जो ऐसी परिस्थितियों से जुड़े हैं, जहां बल और आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है।

रिपोर्टिंग और समीक्षा की प्रक्रियाएं

21. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां नियम 6 और 11 (च) में वर्णित घटनाओं के लिए प्रभावी रिपोर्टिंग तथा समीक्षा की प्रक्रियाएं स्थापित करेंगी। इन नियमों के अनुसरण में बताई गई घटनाओं के लिए सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां सुनिश्चित करेंगी कि प्रभावी समीक्षा प्रक्रिया मौजूद है तथा स्वतंत्र प्रशासनिक या अभियोजन संबंधी प्राधिकारी समुचित परिस्थितियों में न्याय देने/निर्णय देने की स्थिति में है। मृत्यु तथा गंभीर चोट या अन्य कटु परिणाम प्राप्त होने के मामले में प्रशासनिक समीक्षा की जाएगी तथा न्यायिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार सक्षम प्राधिकारियों के पास तत्संबंधी रिपोर्ट भेजी जाएगी।

22. बल प्रयोग या आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग से प्रभावित/पीड़ित व्यक्ति या उनके विधिक प्रतिनिधि न्यायिक प्रक्रिया सहित स्वतंत्र प्रक्रिया अपना सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर तदनुसार आश्रितों पर यह प्रावधान लागू होगा।

23. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां सुनिश्चित करेंगी

कि यदि अधिकारी जानते हैं कि उनकी कमान के तहत आने वाले विधि प्रवर्तन अधिकारी गैर-कानूनी ढंग से बल तथा आग्नेय अस्त्रों को सहारा ले रहे हैं या ले चुके हैं और वे इस प्रवृति को रोकने, दबाने या रिपोर्ट देने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करते तो इस संबंध में उच्च अधिकारी ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

24. सरकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियां सुनिश्चित करेंगी कि उन विधि प्रवर्तन अधिकारियों पर कोई दांडिक या आपराधिक आदेश अधिरोपित नहीं किया जाएगा, जो विधि प्रवर्तन अधिकारियों की आचार संहिता तथा मूलभूत नियमों के अनुसार अन्य अधिकारियों द्वारा बल तथा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग संबंधी आदेश का पालन करने के लिए इन्कार कर देते हैं या इसकी रिपोर्ट देते हैं।

25. यदि विधि प्रवर्तन अधिकारी जानते थे कि बल तथा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग के आदेश के परिणामस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी या उसे गंभीर क्षति पहुंचेगी तथा वे जानबूझकर गैर-कानूनी ढंग से ऐसी कार्रवाई करते हैं तथा ऐसे आदेश को मना करने के लिए उनके पास समुचित अवसर भी थे, तो इस संबंध में उच्च आदेशों के पालन का तर्क देकर बचाव नहीं किया जा सकता। किसी भी मामले में गैर-कानूनी आदेश देने वाले उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है।

❒

बालिका यौन शोषण

डा. जयश्री एस. भट्ट

सीनियर रिसर्च एसोशिएट,
समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग
डा. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर (म.प्र.)

[हमारी भारतीय संस्कृति में संवेगों पर संयम धारणकर उस पर विजय प्राप्त करके आध्यात्मिकता की ओर ले जाने पर जोर दिया गया है ऐसे में बालिका यौन शोषण का कुरुप पक्ष हमारी पाक-साफ संस्कृति पर कुठाराघात है किंतु जब मासूम दुधमुही बच्चियों के साथ घर के सदस्यों या परिवार के नजदीकी लोगों द्वारा बलात्कार एवं जब एक मां गरीबी-भुखमरी से अपने ही कलेजे के टुकड़ों को यौन शोषित हेतु बेच देती है, तब ज्ञान-विज्ञान एवं अध्यात्मिकता की बातें सब एक तरफ धरी रह जाती हैं, तब मानवाधिकार की बातें तो मृग मरीचिका के समान हैं। ऐसे में हमारी सामाजिक व्यवस्था उस पर पर्दा डालने में ही बच्चियों की भलाई समझती है जिससे दुराचारी को बढ़ावा ही मिलता है। अतएव बच्चियों के साथ बढ़ते यौन शोषण के आंकड़े सिर्फ दुनिया के लिए ही बड़ी चुनौती नहीं हैं, बल्कि मानवाधिकार के हनन का संगीन मामला भी है। इसलिए इस शोध आलेख से बालिका यौन शोषण को रोकने के लिए इसके आंकड़ों एवं इस पर हुए शोध कार्यों एवं राष्ट्रीय, अंर्तराष्ट्रीय प्रयासों का विश्लेषण कर इसके अंर्तनिहित कारणों एवं प्रभावों को जानकर निष्कर्ष पर पहुंचने का संक्षिप्त प्रयास किया गया हैं।]

प्रस्तावना

विडंबना यह है कि जैसे-जैसे बालिकाओं एवं महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक रूप से सक्षम बनाने एवं उनकी सुरक्षा के नए-नए नियम कानून बनते जा रहे हैं वैसे-वैसे बालिकाओं एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध का स्वरूप विकृत घिनौना होने के साथ-साथ आपराधिक ग्राफ भी बढ़ते क्रम में पाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहले यौन शोषण नहीं होते थे। उस समय इस विषय पर बातचीत नहीं की जाती थी, बल्कि बात को वहीं दबा देने में लोग अपनी और बच्ची की भलाई समझते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारी पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में तेजी से आई गिरावट, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण सार्वभौमिकीकरण (ग्लोबलाईजेशन), मुक्त बाजारीकरण, उपभोग संस्कृति के प्रचार प्रसार, अश्लील साहित्य, दूरदर्शन के चैनल, इंटरनेट, मोबाइल के बढ़ते जाल ने कम आयु की बालिकाओं के यौन शोषण के विकृत रूप में वृद्धि की हैं। पहले 20-30 वर्ष की उम्र की महिलाओं की तस्करी एवं बलात्कार होते थे, अब यह उम्र खिसककर 2 वर्ष से 16 वर्ष के बीच पहुंच गई है इसलिए पहले सिर्फ युवा बालिकाओं के मां बाप चिंतित रहते थे अब बचपन को लेकर भयभीत रहते हैं, पहले बालिकाएं बाहर ही हैवानियत का शिकार बनती थी अब घर के अन्दर ही भाई और पिता तुल्य पुरुषों की हैवानियत का शिकार बन रही हैं राजधानी दिल्ली में सन् 2003 में 11 लड़कियों ने अपने पिता के खिलाफ हवस की शिकायत दर्ज कराई इनमें से ज्यादातर मामलों में पिता ने किसी एक दिन अपनी बेटी की देह का भोग नहीं किया बल्कि वे महीनों और सालों तक यह कृत्य करते रहे।[1] बलात्कारी पीड़ित बालिका को बेहोश कर या प्रताड़ित कर बलात्कार कर जिन्दा समाज में तिल-तिल कर मरने छोड़ दिया जाता था, अब दुराचारी बलात्कार कर हत्या ही नहीं करता बल्कि हत्या कर बलात्कार करता हैं उदाहरणस्वरूप 27 फरवरी सन् 2004 को नवरंगपुरा (अहमदाबाद) इलाके के गुलबाई टेरी के सुनसान क्षेत्र में किशन बेलाभाई मारवाडी ने दूर की रिश्तेदार की छह वर्षीय एक बच्ची की दोनों टागें

काटकर पहले हत्या की फिर बलात्कार।[2] अब तो अकेले भारत में ही नहीं बल्कि दुनियां भर में बच्चियां अय्याशों की यौन कुंठाओं की पूर्ति का साधन बनती जा रही हैं।

नाबालिग बच्चियों की खरीद बिक्री का कारोबार अरबों डालर का है जो देश से विदेशों तक, गांव से शहरों, परिवार से समाज, मंदिर-मस्जिद, गुरुद्वारे चर्च से श्मशान घाट तक इसके व्यापारी फैले हुए हैं वे इंतजार करते हैं आतंकवादी के बम विस्फोटों, सुनामी की लहरों बाढ़, सूखा, भूकम्प, एवं गरीबी-भुखमरी से असुरक्षित होते परिवारों की नाबालिग कन्याओं का जिन्हें वे शादी, नौकरी, आर्थिक मदद का दिलासा देकर लाखों बच्चियों को दूसरे देशों में बेच देते हैं या स्वयं ही उनसे भीख मंगवाकर, श्रम करवाकर, अश्लील तस्वीरे, वीडियो रिकार्डिंग करके वेश्यावृति का धंधा करवाने सिर्फ चकलाघरों में ही नहीं बल्कि ब्यूटी पार्लरों, मसाज पार्लरों और बीयर बारों तक पहुंचा देते हैं। इन्हें नाबालिग से बालिग बनाने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाकर एक दिन में 60-70 ग्राहकों से उसका शरीर नुचवा कर वेश्यावृति का धंधा करवा कर स्वयं व्यापार करते हैं। इस तरह जहां हमारी सभ्य सामाजिक संस्कृति में वयस्क वेश्यावृत्ति को स्वीकारा नहीं गया वहीं बाल वेश्यावृत्ति पर चर्चा करना असहज एवं घिनौना प्रतीत हो रहा है।

बालिका यौन शोषण का अर्थ

सर्वोच्य न्यायालय ने यौन शोषण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा यौन शोषण कई प्रकार से उजागर होता हैं । "गलत ढंग से मनोभावों, वाक स्वर से, वार्तालाप से और शारीरिक संपर्क से" हैंनरी कैम्प के अनुसार बाल यौन शोषण में "अपरिपक्व बच्चों का उन यौन संबंधी गतिविधियों में लिप्त होना है जिन्हें वे पूरी तरह नहीं समझते और जिसके लिए वे जानकर सहमति नहीं दे सकते हैं"।[3] राजीव सिंह के अनुसार "किसी व्यस्क द्वारा खुद के जननांगों को बच्चे के सामने प्रदर्शित करना या ऐसा करने के लिए बाध्य करना, बच्चे के जननांगों को छूना, बच्चे को अश्लील क्रियाओं में शामिल करना खुद को उत्तेजना के लिए बच्चे के अंग में बाहरी वस्तु डालना"।[4] यौन उत्पीड़न की परिभाषा नीतिमार्ग पत्रिका में कुछ इस तरह से दिया है कि "शारीरिक सम्पर्क या प्रस्ताव, यौन कृपा की मांग या प्रार्थना, यौन अर्थ वाली टिप्पणियां, अश्लील सामग्री दिखाना तथा अन्य कोई यौन प्रवृत्ति का शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक अप्रिय व्यवहार सहित सभी तरह के अवांछनीय लिंग निर्धारित व्यवहारों" को शमिल किया गया (नीति मार्ग,10/1-5 मार्च 2004) सुरेश कुमार भाटिया के अनुसार भारतीय दंड सहिता की धारा 375 में यह उल्लेखनीय है कि 16 वर्ष की कम आयु की लड़की के साथ अवैध संभोग बलात्कार माना गया है, भले ही ऐसा संभोग उस लड़की की सम्मती से किया गया हो या उसकी सम्मति के बिना।[5] लेखिका के अनुसार "जो व्यक्ति स्वयं की यौन संतुष्टि या अन्य की यौन संतुष्टि के लिए नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करता या करवाता है बालिका यौन शोषण कहलाता है" जिसे दो भागों में वर्गीकृत कर अध्ययन किया गया है-

1. बालिका बलात्कार (बालिका का मानसिक-शारीरिक यौन शोषण)

किसी भी पुरुष वर्ग द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र की किसी नाबालिग बच्ची से उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन संबंधी गतिविधियां करना बालिका बलात्कार की श्रेणी में आता है।

2. बालिका वेश्यावृत्ति (बालिकाओं की तस्करी एवं देह व्यापार)

किसी व्यक्ति (दलाल) द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए विकृत मानसिकता एवं यौन कुंठित पुरुषों की यौन पिपासा शांत करने के लिए नाबालिग बच्चियों को यौन शोषित होने के लिए भेजना उनसे कमाई करना या

कराना बालिका वेश्यावृत्ति की श्रेणी में आता है एवं इस काम के लिए उन्हें दूसरे देश में बेचना या खरीदना बालिकाओं की तस्करी की श्रेणी में आता है।

बालिका बलात्कार : राष्ट्रीय, अर्तराष्ट्रीय सर्वे एवं अध्ययन

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो हर साल बच्चियों से बलात्कार, अश्लील वीडीयो में उनका इस्तेमाल और छेड़खानी जैसी वारदातों में बढ़ोत्तरी होती नजर आती है। 2001 में बच्चों के साथ दुष्कर्म के 2113 मामले दर्ज किए गए थे तो 2002 में यह आंकड़ा 2532 तक पहुंच गया। 2003 में लगभग तीन हजार यानी 2949 मामले दर्ज किए गए, कुल मिलाकर 16.5 फीसदी बढ़ोत्तरी पाई गई। मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा 699 मामले दर्ज किए गए। बच्चों के यौन शोषण के मामले में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र जहां 605 मामले दर्ज किए गए। देश में दर्ज कुल मामलों के 44.2 फीसदी मामले इन्हीं दो राज्यों के हैं।[6] मुंबई में 2004 और 2005 के वर्षों में बच्चियों के साथ बलात्कार के कुल 124 व 126 मामले दर्ज किए गए जबकि जनवरी 2005 से चार महीने के भीतर ही 49 मामले दर्ज किए गए इनमें 10 मामलों में दो से सात साल की नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया।[7] 2006 में अकेले मार्च महीने में 25 मामले दर्ज किए गए, इनमें से तीन मामले तो शिक्षाकों के खिलाफ दर्ज किये गए।[8] नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो रिर्पोट के अनुसार रेप की शिकार 62.2 फीसदी (11,343), 19 से 30 की 11 फीसदी (2004), 15 से 18 वर्ष की 8.9 फीसदी (1022) से रेप हुआ (दैनिक भास्कर, 2-9-2006, पृ. 9)।

मुंबई के टाटा समाज विज्ञान संस्थान ने 1999 में एक प्रतिवेदन में बताया कि मुंबई में किए गए 150 नाबालिग लड़कियों के सर्वेक्षण में 58 ऐसी थीं जो दस साल ही होने से पहले ही दुराचार की शिकार हो गई थी। इन 58 में भारी बहुमत उनका था जो अपने परिवार के ही किसी सदस्य या किसी पारिवारिक मित्र द्वारा हवस का शिकार हुईं।[9]

टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज, मुंबई द्वारा एक अध्ययन में पाया गया कि मध्यवर्गीय परिवारों की प्रत्येक 3 लड़कियों में एक लड़की का यौन शोषण होता है। भारत में यौन शोषितों की संख्या 3 लाख से ऊपर है।[10]

मध्यप्रदेश में बलात्कार की वारदातें बढ़ी हैं जो नीचे तालिका क्रमांक-1 में दिखाई गई हैं :

तालिका क्रमांक - 1

मध्यप्रदेश में बलात्कार के आंकड़े

वर्ष	आयु		
	10 वर्ष से कम	10 से 14	14 से 18
2003	73	259	505
2004	92	280	388
2005	102	294	474

स्रोत : दैनिक भास्कर, 29 मार्च 2006, पृ.—21

'बचपन से बलात्कार' पुस्तक के लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील अरविन्द जैन के मुताबिक दिल्ली में हर साल करीब 40 ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें दो से सात साल की लड़कियां हवस के दरिंदों शिकार बनती हैं।

वर्ल्ड हैंल्थ आर्गेनाईजेशन के एक अध्ययन से पता चलता हैं कि चार लड़कियों में से एक और सात लड़कों में एक के साथ अनुचित यौन व्यवहार किया जाता है।[11]

डा. लुईस जे. एंगलब्रेंच जो कि बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार पर शोध कर रही हैं, ने अपने द्वारा तैयार की गई रिर्पोट का खुलासा किया कि भारत में 50 फीसदी से ज्यादा बच्चें दुष्कर्म के शिकार होते हैं यह आंकड़ा अन्य देशों से कहीं ज्यादा है।[12]

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वे के अनुसार दुनिया भर में 10 में से एक बचपन में जरूर यौन शोषण का शिकार हो जाता है अध्ययनों के अनुसार बच्चों के यौन शोषकों में से 90 फीसदी उनके दोस्त या पारिवारिक लोग होते हैं।[13] यौन शोषण के शिकार होने वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। हर मिनट 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ बलात्कार होता है, प्रत्येक घंटे में 10 वर्ष से कम उम्र के एक बच्चे की यही दुर्गति होती है, 1/7 हिन्दुस्तानी लड़के और 1/4 लड़कियां यौन शोषित है।[14]

बालिका वेश्यावृत्ति : राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सर्वे एवं अध्ययन

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रायोजित ऐक्शन रिसर्च ऑन ट्रेफिकिंग इन वूमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया (आर्टवाक) के लिए नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने दो साल के देशव्यापी शोध जिसमें 12 राज्यों में 4006 लोगों के साक्षात्कार लिए। इन लोगों में अवैध व्यापार से पीड़ित महिलाएं और बच्चे वेश्यालय चलाने वाले दलाल, वेश्यालयों में जाने वाले ग्राहक और पुलिस वाले शमिल हैं। असम, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में किए गए सर्वे का निष्कर्ष बताते हुए मुख्य जांच अधिकारी केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल के आई.जी.पी.एम.नायर कहते हैं कि मानव के अवैध व्यापार की सबसे ज्यादा शिकार नाबालिग लड़कियां होती हैं जिन्हें आम तौर पर सीधे-सीधे जिस्म फरोशी के धंधे में उतार दिया जाता है। देशभर के चकलाघरों मसाज पार्लरों और इसी तरह के अन्य धंधों से मुक्त कराई गई लड़कियों में से 69.8 फीसद का यौन शोषण 18 साल से कम उम्र में ही शुरू हो गया था, 41.35 फीसदी का 7 से 15 साल के बीच की अवस्था में ही शुरू हो गया था। नायर टीम ने वेश्यालय जाने वाले ग्राहकों से बातचीत की तो 45.5 फीसदी विवाहित लोग हैं, 72.9 फीसदी लोग अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, 20.4 फीसदी अनपढ़,17.2 फीसदी प्राइमरी, 23.4 फीसदी हाईस्कूल तक पढ़े होते हैं इनमें से 70 फीसदी ग्राहकों की पसंद कम उम्र की लड़कियां हैं इनके मूल में धारणा होती है कि इनके साथ मनमर्जी की जा सकती है एवं एड्स जैसी बीमारियों से मुक्त होती हैं।[15]

समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कराए गए अध्ययन से भी पता लगा कि महानगरों में एक लाख वेश्याओं पर किए गए अध्ययन के बाद पाया कि इनमें से 70 हजार 18 वर्ष से कम उम्र की थीं।[16] देश भर की कुल यौनकर्मियों की तीस प्रतिशत आबादी बच्चों की हैं। प्रतिवर्ष नेपाल से पांच-सात हजार लड़कियां मात्र हजार रुपये में भारत लाकर बेची जाती हैं और शीघ्र ही वेश्यावृत्ति के लिए दिल्ली और मुंबई के कोठों में खप जाती हैं। दिल्ली के जी.बी.रोड में कुल 86 कोठे हैं सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि यहां ढाई हजार वेश्याओं में 60 प्रतिशत बालिकाएं हैं, जिनमें तीस में से बीस नाबालिग हैं।[17]

संयुक्त राष्ट्र बालकोश (यूनिसेफ) की कार्यकारी निदेशक कैरोल बेलामी ने टिप्पणी की कि "बच्चों को गाय-भैसों की तरह खरीदा जाता है। उन्हें देशों के भीतर नहीं बल्कि बाहर ही जबरन विवाह, वेश्यावृत्ति और अश्लील फिल्मों के धंधे में धकेल दिया जाता है"। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक के इन शब्दों को उद्धृत करते हुए समाचार एजेंसी रायटर ने बताया है कि रिर्पोट के मुताबिक बच्चों के यौन शोषण का धंधा अरबों रुपयों के कारोबार में तब्दील हो चुका है और यह सबसे ज्यादा आघात पहुंचाने वाला मानवाधिकार उल्लंघन है।[18] फिलिपीन्स, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया तथा ब्राजील आदि में बाल वेश्यावृत्ति का घिनौना रूप चल रहा है फिलिपीन्स में इस प्रकार की सैकड़ों बाल

वेश्याएं हैं. जिनकी आयु 10 से 15 वर्ष है, ब्राजील में इस प्रकार की 15,000 से भी अधिक है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपने अल्प वयस्क शरीर का धंधा करती हैं।[19] यूनिसेफ की रिर्पोट में बताया गया हैं कि एशिया महाद्वीप में हर साल करीब 10 लाख युवतियां यौन व्यापार के नरक कुंड में झोंक दी जाती हैं। इससे थाईलैंड का नाम सबसे अग्रणी हैं जहां लगभग 10 हजार लड़कियां व महिलाएं हर वर्ष गरीब पड़ोसी देशों से आकर देह व्यापार में लग जाती हैं।[20]

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिर्पोट के मुताबिक पूरे एशिया में सिर्फ बच्चों के सेक्स का कारोबार 10 अरब डालर सालाना का है, अनुमान के मुताबिक इसमें भारत का हिस्सा एक-चौथाई है। भारत में सेक्स व्यापार एवं तस्करी रोकने वाली एजेंसियों का अनुमान है कि अकेले दिल्ली में हर साल बच्चों की तस्करी का कारोबार 10 लाख डालर का है।[21]

बालिका यौन शोषण : कारण

1. भारतीय सामाजिक पृष्ठभूमी : हमारी भारतीय सामाजिक संस्कृति पितृसत्तात्मकता पर आधारित है जहां घर परिवार एवं समाज द्वारा एक ही बात बच्चों के अवचेतन मन में डाली जाती हैं कि लड़कों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लड़का कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं इसी प्रकार की कई बातें लड़कों को मनमर्जी के लिए भड़काती हैं और वे लड़कियों को यौनेच्छा की पूर्ति का साधन मान लेने की भूल कर बैठते हैं, इसके विपरीत बेटियों को चुप रहने या उत्पीड़न सहते रहने की शिक्षा बचपन से देते रहते हैं उनकी यही चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है। इसी तरह लैंगिक भेदभाव, पैतृक अधिकार में भी भेदभाव तथा विषम सामाजिक संरचना वाले देश में जहां प्राचीन काल से कहा जा रहा है कि बचपन में पिता, भाई यौवन में पति एवं बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में ही जीवन बिताना चाहिए ऐसे में जब रक्षक ही भक्षक बन यौन शोषण करता है तो लड़की कुछ समझ नहीं पाती कि वो क्या करे? उदाहरणस्वरूप भोपाल में नशे में धुत्त एक सौतेले पिताजी ने मासूम 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य किया (दैनिक भास्कर 26 मई 2004, पृ. 3)। धर्म पिता ने पति बनकर आगरा में देहशोषण किया (दैनिक भास्कर 14 अगस्त 1995, पृ. 3)। राजधानी 2003 में 11 लड़कियों ने अपने पिता के खिलाफ हवस की शिकायत दर्ज कराई पिता ने किसी एक दिन नहीं बल्कि वे महीनों सालों तक दुष्कृत्य करते रहे (सहारा समय,14 अगस्त 2004, पृ.34-35)।

2. अशिक्षा एवं गरीबी : छोटी आयु में मां-बाप की मृत्यु, निर्धनता, सौतेले मां-बाप का व्यवहार, अशिक्षा, बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण नगरीकरण एवं सार्वभौमिकीकरण (ग्लोबलाइजेशन) के कारण गांवों से लोग नौकरी की तलाश में शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं जिससे आवास समस्या उत्पन्न हो रही है जिसके कारण झोपड़ियों एवं गंदी बस्तियों में लोग बस रहें हैं एक झोपड़ी में कई वैवाहिक जोड़ियां अपने परिवार सहित साथ में रहते हैं एवं सोते हैं जिसका प्रभाव बच्चों पर गलत पड़ता है जब परिवारों में घनिष्टता ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वयस्क अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते हैं इसलिए ऐसी घटनाएं झुग्गी, झोपड़ियों और गंदी बस्तियों में ज्यादा घटती हैं। दुनिया भर में बच्चों की स्थिति बताते हुये यूनिसेफ की रिर्पोट बताती हैं कि 50 करोड़ बच्चे बुनियादी बाल अधिकार से महरुम हैं हर 13 में से एक बच्चा अनाथ या बेघर हैं करीब 10 मिलियन बच्चे अपने जीवन का अधिकांश समय सड़कों पर गुजारते हैं (दैनिक भास्कर 16 दिसम्बर 2005)। यही बच्चे बाल वेश्यावृत्ति, तस्करी जैसे खतरनाक व्यापार में फंस जाते हैं तो कहीं परिजन ही दो वक्त की रोटी के लिए छोटी बच्चियों को इस धन्धे में धकेल देते हैं। उदाहरणस्वरूप उड़ीसा में

गरीबी से त्रस्त एक महिला ने अपनी एक महिने की अबोध बच्ची को 10 रुपये में बेच दिया (दैनिक भास्कर, 19 दिसम्बर 2003,पृ . 1)। शुजालपुर में एक मां ने 13 वर्षीय रेखा व 12 वर्षीय पूजा को 40,000 में बेच दिया (दैनिक भास्कर, 2 अगस्त 2005)।

3. भोगवादी संस्कृति का प्रचार-प्रसार : अखबार एवं पत्रिकाओं के रंगीन कवर, टी.वी. पर व्याप्त अभद्रता, इंटरनेट पर बढ़ती अश्लीलता, समाज में वासना भड़काने वाली वस्तुओं का प्रचार बढ़ रहा है जिससे पूरे समाज की युवा पीढ़ी एवं आने वाली पीढ़ी स्वतः इसे अख्तियार कर रही है जिसका दुष्परिणाम 'बालिका यौन शोषण' का सामना हमें करना पड़ रहा है। ब्रिटेन नेशनल, क्राइम स्कवाड की शेरोन गिरलिंग के अनुसार हाल ही में चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान 30 इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स की पड़ताल की इससे ब्रिटेन व अन्य देशों में 9800 लोगों पर नजर रखी जो या तो बाल उत्पीड़न से जुड़े चित्रों को वितरित करते थे या डाऊनलोड करते थे। 1996 में मैनचेस्टर पुलिस ने बाल फिल्मांकन-छायांकन के 12 चित्रों व वीडियों जब्त किए थे, जबकि 1999 में इसकी संख्या 41,000 थी और ये सब इंटरनेट पर उपलब्ध था। अब 2008 तक इसकी संख्या अनगिनत हो चुकी होगी भारत में तो बाल अश्लील फिल्मांकन-छायांकन विरोधी कानून भी प्रभावी तौर पर सक्षम नहीं रहे हैं।[22]

4. दुराचारी का मानसिक रोग से ग्रस्त होना : पुरुषों में नए अनुभव की प्रवृति के बारे में डा.नायक का कहना हैं कि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार हैं आमतौर पर पुरुष एक निश्चित सीमा के बाद उत्तेजित या आकर्षित नहीं होता और यही इस तरह की घटनाओं में वृद्धि का कारण हैं। डा. अरुणा ब्रूटा बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधियों के बारे में कहती हैं कि ऐसे लोग किसी मनोरोग के शिकार होते हैं वे नकारात्मक ऊर्जा में विश्वास करते हैं बच्चों के साथ जबरदस्ती दुर्व्यवहार करने में उन्हें अजीब किस्म का सुकून और चैन मिलता है इसलिए एक बलात्कारी इन्सान कभी नार्मल नहीं हो सकता, (सहारा समय 24 दिसम्बर 2005)। मनोचिकित्सक डा. काकोली राय का कहना है बच्चे नासमझ हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते इसलिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं (दैनिक भास्कर मधुरिमा 11अगस्त 2004)। मनोविज्ञान की. प्रोफेसर डा. साधना शर्मा इसके लिए मनोरोग, आंतरिक कुंठा और विक्रित यौन इच्छाओं को जिम्मेदार बताती है, (सहारा समय,12 मार्च 2005, पृ. 30)। मनोचिकित्सक डा. रणजीत चक्रवर्ती कहते हैं कि इस अपराध की जननी सेक्स की कुठां है अधिकतर बलात्कारी इस कुठां के शिकार होते हैं (रंजू सिंह, सहारा समय 14 अगस्त 2004)। इसी तरह मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. आर. एन. साहू कहते हैं कि अपराधी दिमागी रूप से विकृत यौन विकारों से ग्रस्त लोग ही इस तरह की वारदात करते हैं इन अपराधियों को पीडोफीलिया या पर्सनैलिटी डिसआर्डर होता है (दैनिक भास्कर 29 मार्च 2006, पृ. 2)। अपराधशास्त्र की मनोविश्लेषणात्मक शाखा के संस्थापक फ्रायड के अनुसार वह आपराधिक भावना जो निकट संबंधियो में यौन संबंध रखने की इच्छा परिणामस्वरुप उत्पन्न होती है इसलिए ईडिप्स कांम्पलेक्स कहलाती है।[23] इस प्रकार मानसिक रोग विशेषज्ञों की कही बातों के आधार पर दुराचारी मानसिक रोग से पीड़ित होता है।

5. शारीरिक कमजोरी : बाल वेश्यावृत्ति एवं बाल बलात्कार के बढ़ने का यह कारण भी हो सकता हैं बच्चे साफ्ट-टारगेट होते हैं उनमें शारीरिक रूप से विरोध करने की ताकत नहीं होती जिसका पूरा-पूरा लाभ विकृत मानसिकता के लोग बच्चों को मारने की धमकी देकर चुप रहने की हिदायत देते हैं जिसके डर से बच्चे जुबान नहीं खोलते।

6. मौन प्रवृत्ति का लाभ : समाज में सिर्फ लड़की के चरित्र पर जोर दिया जाता है उससे ही परिवार का मान

सम्मान जुड़ा होता है इसलिए मां-बाप बेटी के प्रति हुए यौन शोषण को वहीं दफना देते हैं क्योंकि बेटी की यह समस्या उसके स्वयं के भविष्य से भी जुड़ी होती है इस प्रकार हमारे समाज में सेक्स संबंधी चुप्पी की संस्कृति, लोक-लॉज की परंपरा एवं यौन शोषित बच्ची के प्रति हमारे समाज का रवैया दुराचारी को यौनजनित कुकर्म करने को प्रोत्साहित करता है पुलिस में रिपोर्ट करने की दूर की बात है जो सज्जन बचाव के लिए अपनी जान भी दे देता है तो बचने वाली अपनी इज्जत एवं समाज के डर से गवाह देने भी सामने नहीं आती उदाहरणस्वरूप 'बापी सेन हत्याकांड' को ही लें बापी सेन ने 5 सिपाहियों के चंगुल से एक महिला को बचाने की कोशिश की तो पांचों उस पर टूट पड़े हफ्ते भर बाद उसकी मौत हो गई पर बापी ने जिस स्त्री की आबरु बचाने में अपनी जान दे दी वह आज भी सामने नहीं आई (सहारा समय, 14 अगस्त 2004)।

7. समुद्रीतट के पर्यटन उद्योग : समुद्रीतट में पर्यटन उद्योग के बढ़ते हुए विकास की नींव बाल वेश्यावृत्ति पर ही खड़ी है अब तक बैंकाक, कोलंबो, फिलिपींस ही सेक्स टूरिज्म के लिहाज से सबसे कुख्यात थे लेकिन अब भारत के केरल और गोवा के समुद्री तट के काटेज और बड़े होटलों तक में विदेशी पर्यटकों की मालिश के नाम पर बालिकाओं को उनके सामने पेश किया जाता है। उदाहरणस्वरूप हाल ही में स्विटजरलैंड व ब्रिटेन के चार पर्यटकों को 27-35 बच्चों के यौन शोषण का दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई है।[24]

8. असंवेदनशील रवैया : कानून एवं समाज दोनो का पीड़ित के प्रति असंवेदनशील रवैया उन्हें न्याय नहीं दे पाता जहां तक कानून की बात है वो मददगार तो है पर प्रक्रिया बहुत लंबी होती है पीड़ित के अपील करने के बाद निजी अदालत में दो से चार साल फिर हाईकोर्ट में 8 या 10 साल और फिर सुप्रीम कोर्ट में 6-8 साल लंबा खिंचता है। वो केस जीते या हारे पर समाज में उसकी क्या दुर्गती होती है ये पीड़ित और उसका परिवार ही समझ सकता है यदि यह केस बाल वेश्यावृत्ति का रहा तो उसके जीतने के बाद परिवार भी उसे नहीं अपनाता तो समाज तो बहुत दूर की बात नतीजा यह होता है कि पीड़ित फिर से पीड़ा सहने बाजार के हवाले हो जाती है।

9. प्रतिशोध की भावना : हमारी बेटियां परिवार, समाज, समुदाय, कुटुम्ब एवं देश की इज्जत की प्रतीक मानी जाती हैं इसलिए किसी से भी प्रतिशोध लेना हो तो बेटियों एवं महिलाओं का यौनशोषण कर बेइज्जती करना बड़ा आसान तरीका होता है उदाहरणस्वरूप दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान जापानी सेना ने कोरियाई लड़कियों एवं महिलाओं का यौन शोषण किया था। दूसरा सुडान के डारफुर क्षेत्र में स्थानीय अश्वेत किसानों और सरकार के समर्थन वाले अरब आतंकियों के बीच चल रहे गृहयुद्ध में सबसे बड़ा हथियार बलात्कार बन गया। एमनेस्टी इण्टरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जंजावीड के अरब आतंकी समूह के सदस्य ने गांव में जाकर अपमानित करने के लिए परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के सामने बलात्कार किया जिससे उनको अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा (दैनिक भास्कर, 21 जुलाई, 2004, पृ. 9)। ऐसे कई उदाहरण हैं जो महिला को आगे बढ़ने से रोकती है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी गांव की सुनैना को सिर्फ इसलिए स्थानीय लोगों के सामूहिक बलात्कार का शिकार होना पड़ा क्योंकि वह इस पिछड़े इलाकों की महिलाओं को संगठित और जागरुक कर रही थीं।

10. कुप्रथाएं : हमारे समाज में कुछ ऐसी भी कुप्रथाएं हैं जो व्यभिचार, एवं बच्चों को वेश्यावृत्ति की तरफ धकेलती हैं और उड़ीसा और आंध्रप्रदेश में देवदासी, जोगनिया प्रथा, नेपाल की कुमारी देवी प्रथा, आंध्रप्रदेश के डोमारा जनजाति में बैकटासनी प्रथा, पथरिया में सिर ढकाप्रथा।

11. एड्स से प्रतिरक्षा एवं अन्य मिथ्या धारणा : लोगों को यह भ्रम हैं कि छोटी बच्चियां एच.आई.वी. से संक्रमित नहीं होती एवं उन्हें यौन जनित रोग भी नहीं होते इसलिए बाल बलात्कार एवं बाल वेश्यावृत्ति का शिकार बन रही हैं। दूसरा चीनी लोगों में भी यह भ्रम हैं कि कम उम्र बालिका के साथ यौन क्रियाओं से ढलती उम्र का पुरुष भी अपने खोए यौवन को पुनः प्राप्त कर लेता है।[25]

12. नशीली वस्तुओं का सेवन : शराब एवं नशीली दवाओं का सेवन बढ़ता जा रहा है, आधे अपराध नशे के कारण होते हैं, नशे में इंसान को नैतिकता का बोध नहीं रहता एवं नशे में बच्चियां साफ्ट टारगेट होती हैं।

13. अन्य कारण : बालक एवं बालिका के लिए अनुपात में अन्तर, शहर में परिवार के टूटने से बालिकाओं के प्रति समाज का नजरिया, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं की कथनी एवं करनी में अन्तर, परिवारों का सांस्कृतिक अपदूषण, जनसंख्या वृद्धि, अवैध संतानों में वृद्धि, पारिवारिक हिंसा की मार से परेशान बच्चों के घर से भागने की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ एक बार बलात्कार हुई बच्ची को समाज में स्थान न मिल पाने के कारण वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर होना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भारत की कुल बाल वेश्याओं में लगभग 8 प्रतिशत ऐसी हैं जो अपने परिवार में ही यौन शोषण का शिकार होकर देह व्यापार के बाजार तक पहुंची।[26]

बालिका यौन शोषणः प्रयास

बच्चों से यौन शोषण का अपराध हमारे देश में व्यापक रूप से फैला होने पर भी उससे निपटने के लिए अलग से कोई कानून नहीं हैं। बच्चों से दुराचार के सारे मामले भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 375 (बलात्कार संबंधी कानून,) धारा 354 (सेक्स से जुड़े आघात से संबंधित कानून) और धारा 377 (समलैंगिक संबंधी कानून) के तहत चलाए जाते हैं।[27]

नारी देह के अशिष्ट रूपण या प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए सन् 1986 में स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिशोध) अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम की धारा 3 में महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों तथा धारा 4 में महिलाओं का अशिष्ट रुपण करने वाली पुस्तक, लेखन, रंगचित्र, रेखाचित्र, छायाचित्र आदि उत्पादन विक्रय एवं वितरण आदि पर रोक लगाई गई है इनका उल्लंघन करने वाले को अधिनियम की धारा 6 के अनुसार 6 मास से 2 वर्ष तक के कारावास एवं दो हजार जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।[28]

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह और योगेश्वर दयाल ने 4 मई 1992 को अपने अभूतपूर्व ऐतिहासिक फैसले में लिखा है कि अभियुक्त को अपने बचाव का कानूनी अधिकार है। किसी भी रिश्तेदार के साथ बलात्कार होता देखकर बलात्कारी की हत्या तक कर देने में भी बचाव का अधिकार (राईट आफ प्राईवेट डिफेंस) एक कानूनी अधिकार है बच्चियां स्वयं अपने बचाव में हथियार उठाने के कानूनी अधिकार का प्रयोग कर सकती हैं। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले, एक 14 वर्षीय लड़की ने बलात्कार का प्रयास करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी थी निःसंदेह उसे बचाव में हत्या करने का अधिकार मिला।[29]

मुंबई पुलिस जल्द ही महिलाओं और बच्चों के लिए सोशियल सिक्योरिटी सेल की स्थापना करने जा रही है इस सेल का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारियों के पास होगा और बल के सभी 33 प्रभाग इस सेल के जरिये ही कवर किए जाएंगे (दैनिक भास्कर, 3 मई 2005, पृ. 11)।

बालिका यौन शोषण : प्रभाव

दुराचारी बच्ची के शरीर और मन पर गहरे जख्म

छोड़ देता है जिसके प्रभाव से डर के दौर बुरे सपने, भय, पुरुष वर्ग से घृणा, खुद से ग्लानि, और बड़ों का भरोसा खोना, नुकसानदेय यौन बीमारियों के शिकार एवं मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। मनोचिकित्सक डा. अरुणा ब्रूटा ऐसे बच्चों की मानसिक हालत के बारे में कहती हैं कि जो बच्चे अतिसंवेदनशील होते हैं उन्हें मानसिक रोग हो जाता है। असुरक्षा, हीन भावना, आत्म विश्वास में कमी, अनिंद्रा जैसी समस्या तो आम है।[30] मनोवैज्ञानिक डा. वी.के.चौधरी का कहना है कि पीड़ित ना सिर्फ अवसाद का शिकार होता है बल्कि वह खुद को कमजोर भी समझने लगता है (सहारा समय, 24 दिसंम्बर 2005)। पिछले पांच वर्षों से काम कर रही सुनीता ने बताया कि ऐसे हादसों के बाद बच्चियां अक्सर मानसिक संतुलन खो देती हैं हादसे उनका जिंदगी भर पीछा करते हैं, शिकारी बच्चियों की शादी में भी परेशानी होती है।[31]

मनोचिकित्सक डा. शिल्पा अदारकर का कहना है कि यौन शोषण के शिकार बच्चे अक्सर अपने माता पिता से संवाद नहीं बना पाते, वे पूरा बोझ स्वयं ही उठाए रहते हैं, ऐसे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, वे निकट संबंधियों की वे उपेक्षा करने लगते हैं, अकेले में रहने से डरने लगते हैं, रात में अक्सर दुःस्वपनों का सामना करते हैं।[32] इस तरह जब बचपन की घृणित घटना की समझ जब उन्हें युवावस्था में आती है तो वे अविवाहित जीवन बिताना ज्यादा पसंद करते हैं मजबूरी में विवाह करना भी पड़ा तो अपनों पर विश्वास की कमी के कारण वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पाता जीवन भर अलगाव और संदेह की मानसिकता की शिकार रहती हैं, यौन शोषित होने के बाद शारीरिक रूप से बच्चियां अपंग हो जाती थीं या मर जाती थीं परन्तु अब दुराचारी यौन हवस को पूरा करके उसकी हत्या भी कर रहें हैं वैसे भी हमारे देश में बच्चियों का अनुपात कम है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बाल वेश्यावृत्ति का सबसे घिनौना और विभत्स रूप सामने आया है इन देशों में 7-12 वर्ष की मासूम बच्चियों को हार्मोन के इंजेक्शन लगा कर समय से पूर्व ही आकर्षण स्त्रियों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है उनको पर्यटकों के आगे धकेल कर धन लूटा जाता है ये बाल वेश्या युवावस्था आने तक बूढ़ी हो जाती हैं।[33] इसके दुष्परिणाम मरते दम तक झेलने पड़ते हैं।

निष्कर्ष

बाल यौन शोषन पर हुए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सर्वे एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि दुनिया भर में 10 में से एक बच्चा बचपन में जरूर यौन शोषन का शिकार होता है जिसमें 90 फीसदी उनके पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त एवं जानकार व्यक्ति ही होते हैं। हर मिनट, 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ बलात्कार होता है प्रत्येक घंटे में 10 वर्ष से कम उम्र के एक बच्चे की दुर्गति होती है। जिसमें **1/7** हिन्दुस्तानी लड़के और **1/4** लड़कियां यौन शोषित हैं। यौन शोषित बच्चों को सर्वाधिक संख्या भारत में है। भारत में भी मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चों के यौन शोषण के मामले दर्ज किए जाते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी आकड़ों के मुताबिक सारी दुनिया में देह व्यापार के कारोवार में शमिल बच्चों की सबसे ज्यादा 4 लाख बच्चे भारत में हैं दूसरा नम्बर अमेरिका का हैं जहां करीब सवा तीन लाख बच्चें इस कारोबार में हैं। अंतरराष्ट्रीय एंजेसियों की रिर्पोट के मुताबिक पूरे एशिया में बच्चों के सेक्स का कारोबार 10 अरब डालर सालाना जिसमें भारत का हिस्सा एक-चौथाई है। अकेले दिल्ली राजधानी में हर साल बच्चों की तस्करी का कारोबार 10 लाख डालर का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा देशव्यापी शोध में पाया गया कि वेश्यालय जाने वाले ग्राहकों में सबसे ज्यादा 23.4 फीसदी हाईस्कूल तक पढ़े पाए गए एवं सबसे ज्यादा 72.9 फीसद लोग अपनी पत्नियों के साथ

रहते हैं। इनमें से 70 फीसदी ग्राहक एड्स से प्रतिरक्षा हेतु एवं मनमर्जी आसानी से की जा सकने के कारण कम उम्र की बच्चियों को पसंद करते हैं।

यौन शोषित बच्चियों की सर्वाधिक संख्या भारत में पाए जाने का मुख्य कारण भारत की गरीबी, अशिक्षा, सार्वभौगोलिकरण, विदेशी चैनल, पुरुष वर्ग की परवरिश एवं पारिवारिक, सामाजिक मानवीय मूल्यों में निरन्तर आती गिरावट है। सार्वभौगोलिकरण के कारण विदेशों की संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति का आदान-प्रदान हो रहा है जिसमें नई भोगवादी संस्कृति का विकास हो रहा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ या हितों के प्रति जागरुक हो गया है समाज में अपने आपको जीवित रखने, तरक्की, पैसे कमाने के लिए नए-नए तरीकों को अपना रहा है और इस संघर्षमय, प्रक्रिया में साफ्ट टारगेट होती हैं बच्चियां जो अन्याय एवं शोषण का विरोध नहीं कर पाती इसलिए भूकंप, बाढ़ एवं भुखमरी से अनाथ हुई बच्चियां बिक रही हैं एवं खरीदने वाले खरीद रहें हैं इस तरह व्यापार गुप्त रूप से फल-फूल रहा है। इस संक्रमण दौर में संघर्षमय प्रक्रिया से धीरे-धीरे सामाजिक मानवीय मूल्य टूट रहें हैं एवं नये मूल्यों की जीत हो रही हैं। इस तरह आज नए दौर का नया सामाजिक परिवर्तन आपके सामने दिखाई दे रहा है।

बालिका यौन शोषण के मुख्य अपराधी है शोषक पुरुष वर्ग जिसकी यौन पिपासा को शांत करने के लिए वेश्यावृत्ति के व्यापार में कराड़ों का लेन-देन हो रहा है यदि वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी जाए तो बलात्कार बढ़ जाएंगे अतएव इस समस्या की जड़ शोषक पुरुष वर्ग के मस्तिष्क में खोजनी होगी जो उसे यौन शोषण करने के लिए प्रेरित करता है। भोगवादी संस्कृति के कारण हम अपनी मानसिक संरचना की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते अतएव बचपन से ही मस्तिष्क में अच्छे संस्कारों को सात्विक दिशा देने का सतत प्रयास करना चाहिए क्योंकि मनुष्य जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु मस्तिष्क की विचार क्षमता जो हमारे जीवन को सुखी एवं दुःखी दोनों बना सकती है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रकाश प्रेम 'बलात्कार की राजधानी' सहारा समय 14 अगस्त 2004, पृ. 34-35।
2. दैनिक भास्कर, एजेंसी, 'अपराधी को सजा-ए-मौत', 19 अगस्त 2004, पृ. 1।
3. यादव रवि प्रकाश, बाल मित्र फीचर्स, ग्लोबल मूवमेन्ट फार चिल्ड्रन भोपाल द्वारा प्रकाशित, वर्ष : 01, अंक : 05, पृ.1-2।
4. सिंह राजीव 'जिनसे घर गुलजार वे घर में ही शिकार हुए' सहारा समय, 27 नवम्बर 2004, पृ. 3।
5. भाटिया सुरेश कुमार 'कौटुम्बिक व्यभिचार की समस्या' नीति मार्ग पत्रिका, भोपाल, वर्ष- 4, अंक-24, 1-5 मार्च 2003, पृ. 23।
6. स्पर्धा 'मासूमों का शिकार' सहारा समय, 24 दिसम्बर 2005।
7. सहारा समय, 'असुरक्षा और अविश्वास के बीच', 24 दिसम्बर 2005।
8. स्वामीनाथन पूर्णिमा, 'बच्चियों पर यौन अपराध में मुंबई अव्वल', दैनिक भास्कर, 6 अप्रैल 2006, पृ. 15।
9. तिवारी प्रदीप 'बचपन के आखेट का प्रतिरोध', सहारा समय, 24 दिसम्बर 2004, पृ. 36।
10. अब्राहम शर्ली, 'कल को रौंधता आज' दैनिक भास्कर मधुरिमा-11 अगस्त 2004।

12. वेंकटेश, 'बचपन बिकता बीच बाजार' सहारा समय 21 जनवरी 2006।
13. शुक्ला पंकज '21 वीं सदी में बाल वेश्यावृत्ति की बढ़ती हुई समस्या', समाज कल्याण, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली, वर्ष-47, अंक-6 जनवरी 2002, पृ. 35-36।
14. शर्मा रजनी, 'अबोध एवं नाबालिग बच्चियां' दैनिक भास्कर, 21 जुलाई 1999, पृ. 8।
15. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग : 'राइट्स ऑफ द चाइल्डः रिर्पोट आफ द स्पेशल रिपोर्टियर ऑन द सेल आफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जनवरी 1996, पृ. 7।
16. शर्मा योगेश चन्द्र 'समय की भीड़ में खोता बचपन' समाज कल्याण, नवम्बर 1996, पृ. 14-15।
17. कृषि दस्तक न्यूज ब्यूरो, समाज कल्याण केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारत सरकार की मासिक पत्रिका वर्ष 47 अंक-4, नवम्बर 2001।
18. दैनिक भास्कर, 14 जनवरी 2007।
19. ग्रुमेऊ सैमुअल 'बच्चों की यौन शोषण' समाज कल्याण पत्रिका, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, दिल्ली, वर्ष 51. अंक-5 दिसम्बर 2005 पृ. 12।
20. सिंह एम.एन. 'विकासशील देशों में बाल वेश्यावृत्ति पर्यटन उद्योग' समाज कल्याण, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली, वर्ष -45, अंक-6 जनवरी 2000, पृ. 20।
21. चौहान श्याम सुंदर सिंह, 'सभ्य समाज पर एक बदनुमा दाग', समाज कल्याण , केन्द्रीय समाल कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली, वर्ष-42, अंक-4, नवम्बर 1996, पृ- 22
22. अरविन्द जैन 'यौन हिंसा और न्याय की भाषा', मूलप्रश्न, उदयपुर (राजस्थान), सितम्बर दिसम्बर 2002, पृ. 52।
23. निवेदिता 'चिडियों के घरौंदों में बाज' सहारा समय, 24 दिसम्बर 2005।

❐

निदेशक (अनु. एवं वि.) की कलम से

39 वीं पुलिस साइंस कांग्रेस

पुलिस साइंस कांग्रेस प्रतिवर्ष पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में बारी-बारी से आयोजित की जाती है। अब तक 38 स्थानों पर इसका आयोजन किया जा चुका है।

दिनांक 19 जनवरी 2009 से 21 जनवरी 2009 तक गुवाहटी, असम में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से असम पुलिस द्वारा 39 वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया।

इस कांग्रेस के आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य केन्द्र एवं राज्यों के पुलिस बलों को अधिक प्रभावी व उनकी सेवाओं के निष्पादन से संबंधित विभिन्न मुद्दों व समस्याओं पर चर्चा करना है। महानिरीक्षकों के सम्मेलन 1958 में लिए गए एक निर्णय के आधार पर यह कांग्रेस प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। सर्वप्रथम इस कांग्रेस को पटना, बिहार में 1960 में आयोजित किया गया था तभी से देश के विभिन्न राज्यों में प्रतिवर्ष यह कांग्रेस आयोजित की जा रही है। गत वर्ष यह जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई थी।

इस वर्ष निम्नलिखित विषयों पर कांग्रेस में विस्तार से विचार विमर्श किया गया—

1. पुलिस में विभिन्न रैंकों, यूनिटों व पदों के कार्य-निष्पादन से संबंधित सूचकों को निर्धारित करना—इसमें कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे कार्य निष्पादन प्रणाली की समीक्षा व औपचारिक मूल्यांकन किए जाने के साथ।
2. जांच व कानून व व्यवस्था को अलग-अलग करना—पुलिस के इन दो महत्वपूर्ण कार्यों जैसे अभी हाल में हुए मुंबई में आतंकवादी हमले, असम व अन्य जगहों में बम-ब्लास्ट तथा उत्तर-पूर्व में विद्रोह के परिप्रक्ष्य में जांच व कानून व व्यवस्था को बनाने को अलग-अलग करने की अत्याधिक आवश्यकता है ताकि इन कार्यों का सही व प्रभावी रूप से निष्पादन हो सके।

दिनांक 19 जनवरी 2009 को इस कांग्रेस का शुभांरभ हुआ जिसमें मुख्य उद्बोधन असम के मुख्य मंत्री श्री तरूण गोगोई ने किया। इस अवसर पर महानिदेशक, असम पुलिस ने पुलिस की विभिन्न समस्याओं व देश में हो रही विभिन्न गतिविधियों का जिक्र किया। इस अवसर पर कांग्रेस का संचालन महानिदेशक, पु. अनु.वि.ब्यूरो द्वारा किया गया।

इस कांग्रेस के लिए कुल मिलाकर उपरोक्त विषयों में 24 शोध पत्र प्राप्त हुए इसमें से विस्तृत जांच व विचार-विमर्श करने पर 16 शोध पत्र तथा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए गए। इस कांग्रेस में लगभग 100 से ऊपर प्रतिनिधियों जो देश के सभी राज्यों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों व अन्य विभागों से संबंधित थे, ने भाग लिया। अधिकतर प्रतिनिधि महानिदेशक से लेकर पुलिसउपाधीक्षक स्तर के थे। उपरोक्त अनुशंसाओं को आगे के अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुलिस मिशन से संबंधित कार्यों के उपयोग के लिए भी किया जाएगा।

21 जनवरी को खुला सत्र विवेकानंद केन्द्र, उजन बाजार, गुवाहटी में आयोजित किया गया तथा उपरोक्त दोनों सत्रों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं एवं अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया गया।

कांग्रेस का समापन दिनांक 21.1. 2009 को मेघालय के राज्यपाल महामहिम श्री आर. एस. मुशायरी के अभिभाषण से हुआ।

रमेश चन्द्र अरोड़ा

❑❑❑

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1.	**भारतीय पुलिस का इतिहास** (अतीत काल से मुगल काल तक)	डा. शैलेन्द्र चतुर्वेदी	54/-
2.	**भारत में केन्द्रीय पुलिस संगठन**	श्री एच. भीष्मपाल	65/-
3.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री रामलाल विवेक	65/-
4.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री शंकर सरौलिया	70/-
5.	**विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका**	श्री आर.एस. श्रीवास्तव	105/-
6.	**स्वातंत्र्योत्तर भारत में पुलिस की भूमिका एवं जनता का दायित्व**	डा. कृष्णमोहन माथुर	210/-
7.	**मादक पदार्थ एवं पुलिस की भूमिका**	श्री हरीश नवल	—
8.	**सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका का उद्‌भव**	प्रो. मीनाक्षी स्वामी	—
9.	**समग्र न्याय-व्यवस्था में पुलिस का स्थान एवं भूमिका**	श्री ललितेश्वर	600/-
10.	**पुलिस दायित्व एवं नागरिक जागरूकता**	डा. सी. अशोकवर्धन	568/-
11.	**महिला और पुलिस**	श्रीमती अमिता जोशी	100/-
12.	**मानवाधिकार और पुलिस**	डा. जी.एस. वाजपेयी	346/-
13.	**नई आर्थिक नीति एवं अपराध**	डा. अर्चना त्रिपाठी	183/-
14.	**बाल अपराध**	डा. गिरिश्वर मिश्र	225/-
15.	**न्यायालयिक विज्ञान की नई चुनौतियां**	डा. शरद सिंह	200/-
16.	**मानवाधिकार संरक्षण एवं पुलिस**	श्री रामकृष्ण दत्त शर्मा एवं डा. सविता शर्मा	510/-
17.	**सामुदायिक पुलिस व्यवस्था**	डा. तपन चक्रवर्ती डा. रवि अम्बष्ट	205/-
18.	**संगठित अपराध**	श्री महेन्द्र सिंह आदिल	313/-
19.	**पुलिस कार्यों का निजीकरण**	डा. शंकर सरौलिया	330/-
20.	**साइबर क्राइम**	डा. अनुपम शर्मा	450/-

ब्यूरो द्वारा प्रकाशित उपरोक्त सभी पुस्तकें, नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 से प्राप्त की जा सकती हैं।

लेखकों से निवेदन

यदि पुलिस विज्ञान में प्रकाशन के लिए आपके पास पुलिस, शांति-व्यवस्था, अपराध न्याय-व्यवस्था आदि पर कोई लेख है या आप लेख लिखने में सक्षम हैं तथा रुचि रखते हों तो अपने लेख यथा शीघ्र भेजें। अच्छे लेखों को प्रकाशित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेख टाइप किया होना चाहिए तथा इसके संबंध में फोटो, चार्ट आदि हों तो उन्हें भी साथ भेजना चाहिए। प्रकाशित होने वाले लेखों पर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है।

यदि आपने पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर उपयोगी पुस्तक लिखी है और आप पुलिस विज्ञान में उसे कड़ी के रूप में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें पांडुलिपि भेजें।

यदि आप कर्मियों के कार्य को लेकर कहानी या अन्य किसी विधा में लिखने में रुचि रखते हों तो हम ऐसे साहित्य का भी स्वागत करेंगे।

यदि पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी हिन्दीतर भाषा के उच्चस्तरीय लेख का अनुवाद किया हो और आपके पास अनुवाद प्रकाशन का कापीराइट हो अथवा उनके कापीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख/सामग्री भी प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों पर समुचित मानदेय देने की व्यवस्था है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित व अप्रकाशित है तथा इस पर कोई मानदेय नहीं लिया गया है। अनूदित लेख के कापीराइट के संबंध में भी सूचित करें।

विषय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस विज्ञान की नमूने की प्रति मंगाने के लिए संपर्क करें :--

संपादक
पुलिस विज्ञान
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
ब्लाक-11, चौथी मंजिल
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
फोन : 24360371 एक्स. 253

वैब साइट — डब्लू डब्लू डब्लू.बीपीआरडी.जीओवी.इन
डब्लू डब्लू डब्लू. बीपीआरडी.एनआईसी.इन